लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
01/5.2.84
Parliament Library

[खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

43 L.S.S./72—1.

विषय-सूची/Contents

अंक 10, शुक्रवार, 11 अगस्त, 1972/20 श्रावण, 1894 (शक)

No. 10, Friday, August 11, 1972/Sravana 20, 1894 (Saka)

	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रशनों मौखिक उत्तर	ORAL ANSWER TO QUESTIONS	1—19
ता० प्र० संख्या S.Q.No.		
181 विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Oil Companies	1
182 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी शासी निकायों की नियुक्ति	Appointment of permanent Governing Bodies for Nationalised Banks	2
183 हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि०, पिम्परी, के उत्पादन में कमी	Decrease in production in Hindustan Anti biotics Ltd., Pimpri . .	5
184 निकोबार द्वीपसमूह में नौसेना चौकी की स्थापना	Establishment of Naval Outpost at Nicobar Island . . .	7
185 एकाधिकार आयोग को सौंपे गए मामले	Cases referred to Monopolies Commission . . .	7
186 इंडियन आयल द्वारा छोटे पैमाने के उद्योग को मशीनी तेल की सप्लाई न किया जाना	Non Supply of Lubrication oil to Small Scale Industries by Indian Oil	10
187 देश में विमान टैक्सी सेवा	Air Taxi Service in the country .	12
188 कुकिंग गैस की कीमत में कमी	Reduction in the Price of Cooking Gas	12
189 अपंग सैनिकों कां पुनर्वास तथा मृत सैनिकों के परिवारों को सहायता	Rehabilitation of Disabled Soldiers and quantum of assistance to those who were killed . . .	15
190 इंडियन एयरलाइन्स में जनता विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce a Janta Air Service in Indian Airlines	19
प्रशनों के लिखत उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
191 दिल्ली में मिट्टी के तल का संकट	Crisis of Kerosene Oil in Delhi	20

किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+ marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
192 कानपुर में स्पेशल मिश्रित इस्पात संयंत्र	Special Alloy Steel Plant in Kanpur	20
193 देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमानों के अपहरण तथा तोड़फोड़ की घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय	Security Measures at International Airports in the country against incidents of Sky jacking and Sabotage . .	21
194 खेती योग्य भूमि की खरीद के लिये किसानों को ऋण देना	Grant of Loans to Farmers for Purchase of Cultivable Land . .	21
195 घाटे की अर्थव्यवस्था में वृद्धि	Increase in Deficit Financing .	22
196 पाइपलाईन जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pipeline Enquiry Commission	22
197 चिलका लेक में लड़कों के लिये नौसेनिक प्रशिक्षण केन्द्र	Boys Naval Training Centre at Chilka Lake	23
198 बिहार के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीयकृत बेंकों की शाखाओं का खोला जाना	Setting up of Branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Bihar	23
199 बंगलौर में एयरो इंजन बनाने का कारखाना	Aero Engines Factory at Bangalore	24
200 जयपुर मेटल्स, जयपुर पर छापा	Raid on Jaipur Metals, Jaipur	24
अ०ता०प्र० संख्या U. S. Q. No.		
1780 सैनिक स्कूल रीवां	Rewa Sainik School . .	25
1781 युद्ध विधवाओं को रोजगार देना	Jobs to War Widows	25
1782 समाचारपत्रों के बाक्स नम्बर मध्यम के रिक्त स्थानों का विज्ञापन	Advertisement of Vacancies through Box Number of Newspapers .	25
1783 विदेशी मुद्रा की चोरी का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड द्वारा एक अध्ययन दल की स्थापना	Setting up of a study group by National Tourism Board to Investigate Foreign Exchange Leakage . . .	26
1785 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित स्थानों को सामान्य स्थानों में परिवर्तित करना	Conversion of reserved posts into general due to non-availability of S.C. and S.T. Candidates . .	26
1786 पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी	Number of Scheduled Castes and Schedulled Tribes Employees in the Ministry of Tourism and Civil Aviation .	26
1787 कम्पनी कार्य विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी	Employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Department to Company Affairs .	27

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1788 पालम, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to construct modern airports at Palam, Bombay, Calcutta and Madras	27
1789 तकनीकी व्यवसायों के कमीशन प्राप्त और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन	Additional pay to Commissioned and Non-Commissioned Officers in Technical Trades . . .	28
1790 राज्य में उर्वरक समूह की स्थापना के लिये राजस्थान सरकार से अनुरोध	Request from Rajasthan Government for setting up of Fertilizer Complex in the State . . .	29
1791 मालाबार सिगार निर्माता एसोसिएशन से अभ्यावेदन	Representation from Malabar Cigar Manufacturers Association . .	29
1792 इंडियन एयर लाइन्स के बोइंग 737 विमान की उड़ान का मोहनवाड़ी डिब्रूगढ़ तक विस्तार	Operation of Boeing 737 Flights of Indian Airlines to Mohanbari Dibrugarh	29
1793 सोडा ऐश का उत्पादन	Production of Soda Ash . .	30
1794 विदेशी फर्मों द्वारा प्रयोगशाला रसायनों का निर्माण	Manufacture of Laboratory Chemicals by Foreign Firms . .	30
1795 नेपाल को भारतीय शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Indian Arms to Nepal .	31
1796 श्री आर० पी० गोयनका और उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी वाले औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ऋण देना	Loans to Industrial/Commercial Establishments in which Shri R.P. Goenka and his Family Members are partners	31
1797 गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयर लाइन्स तथा एयरइंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमानों की संख्या	Number of Air Crashes involving Aircrafts of Indian Airlines and Air India during the last three years .	32
1798 मद्रास फर्टिलाइजर्स के उत्पादों का गैर सरकारी फर्मों के माध्यम से वितरण	Distribution of Madras Fertiliser products through Private Sector Firms . .	32
1799 नशीली वस्तुओं की बिक्री	Sale of Narcotics . . .	33
1800 चीनी के प्रशुल्क मूल्य का पुनरीक्षण	Revision of Tariff value of sugar	33
1801 एंटिबायोटिक्स संयंत्र को हुई हानि	Losses suffered by Antibiotics Plant .	34
1802 दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया से और वहां को तस्करी	Smuggling from and to South Africa and Rhodesia	34
1803 केरल में उपलब्ध नफथा का निपटारा	Disposal of Naphtha available in Kerala	35
1804 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण	Loans by Nationalised Banks to Industries	35

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1805 नायलोन टायर कोर्ड के निर्माण के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licence for Manufacture of Nylon Tyre Cord . . .	36
1806 विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने हेतु कार्यवाही	Steps to make up shortage of foreign exchange	37
1807 फर्मों के विरुद्ध जांच कार्य	Enquiry against firms . .	37
1808 सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये समय बद्ध कार्यक्रम	Time bound programme for improving efficiency of Public Undertakings .	37
1809 मिग-21 में देशी पुर्जों को बढ़ाने के लिये विशेष दल की नियुक्ति	Appointment of special team for increasing indigenous contents of Mig-21	38
1810 केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान	Central Industrial Establishments .	38
1811 केन्द्रीय औद्योगिक संस्थानों में विदेशी तकनीशियन और इंजीनियर	Foreign Technicians and Engineers in Central Industrial Establishments .	38
1812 इस्पात सम्बन्धी कार्यवाही समिति के सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members of Action Committee on Steel . .	39
1813 राज्य अधिनियमों सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाये गये प्रशासनिक उपायों की क्रियान्विति	Implementation of Administrative measures suggested by expert Group on State Enactments . .	40
1814 इन्डियन एयरलाइन्स के कलकत्ता से बम्बई जाने वाली केराविल विमान में 27 मई, 1972 को बिना टिकट पाये गये व्यक्ति	People found without tickets in Calcutta Bombay Caravelle of Indians Airlines on 27th May, 1972. .	40
1815 पेट्रोलियम की 'हाइड्रो-क्रैकिंग' विधि	Technique of Hydro-cracking of Petroleum	40
1816 आयुध कारखानों का आधुनिकरण	Modernisation of Ordnance Factories . .	41
1817 बिहार के पालामाऊ जिले का सर्वेक्षण	Survey in Palamau District (Bihar)	41
1818 पाकिस्तान में घायल भारतीय युद्ध बन्दी	Injured Indian POWs in Pakistan	42
1819 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Advance made by Nationalised Banks	42
1820 फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के पास काला धन बरामद होना	Unearthing of black money with Film Actors and Actresses .	42
1821 मदुरै के लिये बोइंग विमान सेवा प्रारम्भ करना	Introduction of Boeing Service to Madurai . . .	43
1822 एयर इंडिया द्वारा 250 सीटों वाले डगलस डी० डी०-10 मीडियम रेंज विमानों की खरीद	Purchase of Douglas DC-10 Medium Range 250 Seator planes by Air ndia . . .	43

प्र० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1823 ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of an Oil Refinery in Gwalior (M.P.)	44
1825 हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटड कानपुर में प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र	Certificates to Apprentices trained in HAL, Kanpur . . .	44
1826 गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर के मजदूर संघ के पदाधिकारियों को हटाया जाना	Removal of Office Bearers of the Union in Gun Carriage Factory Jabalpur	44
1827 इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय	Decision on Demands of employees of IDPL Rishikesh . . .	45
1828 पैट्रो रसायन उद्योगसमूह के कुछ एककों की स्थापना के लिये मध्य प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन	Representation from Madhya Pradesh Government for Location of some Units of Petro Chemicals Complex	45
1829 आयकर विभाग द्वारा आरम्भ किया गया जन-सम्पर्क कार्यक्रम	Mass Communication programme launched by Income Tax Department	46
1830 आयकर वसूल करने संबंधी प्रक्रिया का सरल बनाया जाना	Simplification of procedure for collecting Income Tax . . .	46
1831 भारत रिजर्व बैंक द्वारा स्टर्लिंग की नई विनिमय दरों की घोषणा	Announcement of new exchange rates of Sterling by Reserve Bank of India .	47
1832 मैसूर में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Mysore .	47
1833 आसाम में प्राकृतिक गैस की बरबादी	Wastage of Natural Gas in Assam	48
1834 आयकर संबंधी अनिर्णित मामले	Pending cases of Income Tax . .	50
1835 जीवनबीमा निगम द्वारा उद्योगपतियों उद्योगों को दिये गये ऋण	Loans given to Industrialists/industries by LIC. . . .	52
1836 राष्ट्रीय छात्र सेना के कार्य के पुनर्विलोकन के लिये समिति की स्थापना	Setting up a Committee to Review the Working of NCC . . .	54
1837 मैसूर में तेल की खोज	Oil Exploration in Mysore . .	55
1838 राज्यों द्वारा अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट)	Overdrafts by States . . .	55
1839 चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशों से सहायता	Assistance from Foreign Countries for Fourth Plan . . .	56
1840 मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में राजस्थान सरकार का विरोध	Protest from Rajasthan Government for Locating oil refinery at Mathura	56
1841 एयर इंडिया के पास फालतू बोइंग-707	Boeing-707 Aircrafts surplus with Air India . . .	56
1842 फालतू पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण बोइंग 737 विमानों की उड़ानें बन्द होना	Boeing 737 Planes Grounded due to the Non-Availability of spare parts .	57

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1843 कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा अंशदान	Donations by India under Colombo Plan	57
1844 इन्डियन एयर लाइन्स के पायलटों द्वारा पायलटों की विश्वव्यापी सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया जाना	Participation of Pilots of Indian Air Lines in the World Wide Token Strike by Pilots .	58
1845 दक्षिणी ईराक में तेल की खुदाई सम्बन्धी योजना	Oil Exploration Scheme in Southern Iraq . . .	59
1846 राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में सहायता	Assistance from United Nations Development programme	
1847 वर्तमान तेल शोधक कारखानों का विस्तार	Expansion of Existing Oil Refineries	60
1848 समुद्र जल में तेल की खोज के लिये जापान से एक स्वचालित प्लेटफार्म प्राप्त करना	Acquiring of an automatic Platform from Japan for Oil Exploration in Sea Waters . .	61
1849 लघु स्तर पर निर्माण कार्य करने के लिये सैनिकों की सहकारी संस्थाएं	Servicemen Co-operatives for Undertaking Small Scale Manufacture	61
1850 कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में वायुसेना की एक स्क्वैड्रन का तैनात किया जाना	Setting up of an Air Squadron at Kulu (H.P.)	62
1851 कोषकार्यालयों को व्यपगत जमाराशियों की वापसी के लिये स्वीकृति देने की शक्ति	Power to Treasury Offices to sanction Refunds of Lapsed Deposits .	62
1852 पेंशनों की बकाया राशि का भुगतान	Payment of Outstanding Arrears of Pensions	63
1853 खजानों संबंधी संगठ नात्मक ढांचों के नवीकरण के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC Recommendations for reorientation of Organisation for Treasuries	63
1854 एयर इंडिया द्वारा बी० ओ० ए० सी तथा कन्टास के साथ बनाये गये पूल से अलग होना	Air India's withdrawal from its pool with BOAC and QUANTAS	63
1855 कलकत्ता में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगाना	Unearthing of Foreign Exchange Racket in Calcutta . .	64
1856 इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड	Indian Oxygen Limited	65
1857 नंगल और सिंदरी उर्वरक कारखानों में मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन	Production of Complex Fertilisers in Nangal and Sindri Fertilizer Plants	65
1858 भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी	Officers of the Indian Economic Service	95
1859 रक्षा अनुसंधान परियोजनाएं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सौंपना	Handing over of Defence Research Project to CSIR.	66

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1860 राजनैतिक दलों की स्वामित्व वाली पत्र-पत्रिकाओं में बड़े बड़े व्यापार गृहों द्वारा विज्ञापनों का दिया जाना	Advertisements by big Business Houses in Journal owned by Political Parties	66
1861 स्टेट बैंक आफ इंडिया की बुरहानपुर (मध्य प्रदेश शाखा से बरोजगार युवकों को ऋण	Loans to Unemployed Youth from Burhanpur Branch of the State Bank of India (M.P.)	67
1862 मध्य प्रदेश में ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Gliding Training Centre in Madhya Pradesh . .	67
1863 मालवा (मध्य प्रदेश) में अफीम का उत्पादन	Production of Opium in Malwa (M.P.) .	68
1864 भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दुर्गापुर के कारखाने के लिये खराब मशीनों का आयात	Faulty Machinery Imported by FCI for Durgapur Unit . . .	68
1865 तमिलनाडु में कर लगाने के लिये हिदायतें जारी करना	Issue of Directions for Imposition of Taxes in Tamil Nadu . . .	69
1866 कोचीन हवाई अड्डे पर एक दुर्घटना में एवरो विमान का क्षतिग्रस्त हो जाना	Avro Aircraft damaged in accident at Cochin Airport . .	69
1867 केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala .	70
1868 फ्रेंच नेशनल सेन्टर के सहयोग से त्रिवेन्द्रम मे स्वचालित ऋतु केन्द्र	Automatic Weather Station at Trivandrum in Collaboration with French National Centre	70
1869 विभिन्न पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों के लिये नियंत्रक कम्पनी की स्थापना	Setting up of Holding Company for various Petro-chemical Complexes	71
1870 कर लगाने के लिये पत्नी और पति की आय को जोड़ना	Aggregation of Income of Wife and Husband for Taxation .	71
1871 पी० एल० 480 के धन का उपयोग	Utilisation of PL480 Funds . .	72
1872 हैवी व्हिकल्स फैक्टरी, आवडी में दुगुना उत्पादन	Doubling the production of Heavy Vehicles Factory, Avadi . .	72
1873 कलकत्ता में महासागर में चलने वाला पहला बड़ा टग चलाया जाना	Launching of First Large Ocean going Tug at Calcutta	72
1874 एयर इण्डिया को वर्ष 1971—72 में हुई हानि	Loss suffered by Air India during 1971-72	73
1875 भारतीय नौसेना के लिये गश्ती जहाज	Patro Ships for Indian Navy . .	73
1877 नेशन कैडिट कोर के मैस के लिये उपयोग में लाये जा रहे केरल सरकार के काटन हिल बंगलों को छोड़ना	Release of Cotton Hill Bungalow of Kerala Government used for accommodating NCC Mess . . .	74
1878 उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa .	74

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1879 सूखे के कारण बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar due to Drought	75
1880 भारतीय तेल निगम द्वारा थोड़े समय के नोटिस पर टेंडर मांगना	Calling for Tenders at Short Notices by IOC	75
1881 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण	Advance to States by Nationalised Banks	76
1882 इन्डियन एयर लाइन्स को पुराने बोइंग 707 विमान अन्तरित करने संबंधी एयर इण्डिया का प्रस्ताव	Air India offer to Indian Airlines regarding Transfer of old Boeing 707 Aircraft	77
1883 नौबतपूर पटना में बैंक ग्राफ इंडिया की शाखा खोलना	Opening of Branch of Bank of India in Nobatpur, Patna . . .	78
1884 सेना को दालें सप्लाई में भ्रष्टाचार	Corruption in the Supply of Pulses to Army	78
1885 पटना हवाई ग्रड्डे के वर्तमान भवन के विस्तार की योजना	Scheme to Expand the Present Building Housing the Patna Aerodrome	79
1886 आई० टी० डी० सी० और अशोक होटल कर्मचारी संघ के बीच 26 फरवरी 1971 को हुआ समझौता	Agreement between ITDC and Ashoka Hotel Employees' Union on 26-2-71	79
1887 सलेम में एक हवाई ग्रड्डे का निर्माण	Construction of an Aerodrome at Salem	79
1888 पेंशनरों को आयकर से छूट	Exemption to Pensioners from Payments of Income Tax	80
1889 कोलम्बो योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रीय संसाधनों की कमी दूर करने के लिये विदेशों से सहायता	Assistance from Foreign Countries to meet gap in National Resources for Development of Regions covered by Colombo Plan . . .	80
1890 उत्पादन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराने की सुविधाएं	Facilities for depositing Excise Duty in Nationalised Banks . . .	80
1891 जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों को ऋण देना	Advancing of Loans to Policy Holders of LIC	81
1892 जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों को दिया जाने वाला बोनस	Bonus Allowed by LIC to Policy Holders	82
1893 जीवन बीमा निगम के एजेंटों को लाभ पहुंचाने के लिये योजना	Scheme for Providing Benefits to the Agents of LIC	83
1895 विजयन्त टैंक का दूसरा माडल	"Second Generation" of Vijayanta Tank	84
1896 मैसूर राज्य में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार	Steps to Improve Tourist Facilities in Mysore State	84
1897 मैसूर में औद्योगिक वित्त निगम के पास ऋण के बकाया आवेदन पत्र	Applications for Loans Pending with Industrial Finance Corporation in Mysore	85
1898 विदेशी कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Foreign Companies	86

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1899 भारतीय वायु सेना को स्वावलम्बी बनाना	Making Indian Air Force Self-Sufficient	86
1900 'उत्पादक उद्यमों' के लिये रियायती दर पर ऋण	Concessional Lending for 'Productive Endeavours'	87
1901 बैंकिंग प्रणाली का कार्यक्रम	Operation of Banking System .	87
1902 बम्बई में डाक के एक पार्सल से हशीस का पकड़ा जाना	Seizure of Hashish from a post Parcel in Bombay . . .	88
1903 बड़े उद्योगगृहों में जीवन बीमा निगम के पूंजी निदेश का अंश	Share of LIC's Investment in Big Houses	88
1904 भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व राशि	India's Foreign Exchange Reserves	88
1905 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ	Profit made by Nationalised Banks	90
1906 उर्वरक उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised Capacity in Fertiliser industry	90
1907 गुजरात के कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Koyali Refinery (Gujarat)	91
1908 इंडियन एयर लाइन्स की दिल्ली-वाराणसी काठमांडू सेवा के गोरखपुर म रुकने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal to provide a Touch Down of Indian Airlines Delhi-Varanasi-Kath Mandu Service at Gorakhpur	91
1909 मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को नियंत्रण में लेना	Take over of M/s. Balmer Lawrie & Co. Ltd., Calcutta . . .	92
1910 श्री बीजू पटनायक द्वारा किये गये कर अपवंचन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Enquiry into Evasion of Taxes by Shri Biju Patnaik	93
1911 भारत सहायता संघ की बैठक	Meeting of Aid India Consortium	93
1912 मारुति एण्ड कम्पनी लिमिटेड	Marauti and Co. Ltd. . .	93
1913 गोयनका ग्रुप के अधीन कम्पनियां	Companies under Goenka Group	94
1915 इंडियन आयल के प्रबन्ध निदेशक (विपणन) को चिकित्सा व्यय की प्रति-पूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses to Managing Director (Marketing) of Indian Oil	94
1917 बंगला देश से भारतीय सेना का हटाया जाना	Withdrawal of Indian Army from Bangladesh	94
1918 विश्व बैंक से ऋण	Loans from World Bank . . .	95
1919 कारखाने के मजदूरों में "बढ़ने वाली सावधि जमा योजना" का प्रचार	Propagation of Cumulative Time Deposit Scheme among Factory workers	95
1920 घर में काम आने वाली गैस का प्रति सिलेंडर लाभ	Margin of profit per cylinder of Domesti Gas	96

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1921 मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर मंहगाई भत्ते का दिया जाना	Grant of Central DA to Madhya Pradesh Government Staff . . .	96
1922 मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Rural Areas of Madhya Pradesh and other parts of the country . . .	96
1923 सलया में सीमा शुल्क अधिकारियों पर हमला	Assault on Customs Officials at Salaya	97
1924 रक्षा उत्पादन एककों के प्रबन्धकों की कर्मचारी सम्बन्धी नीति	Personnel Policy of the Management of Defence Production Units . .	97
1925 मैसूर सरकार द्वारा संचालित कित्तूर रानी चेन्नम्मा गर्ल्स मिलिटरी स्कूल का नियंत्रण अपने हाथ में लेना	Taking over of Kittur Rani Chennamma Girls' Military School run by Mysore Government	98
1926 'येन' का पुनर्मूल्यांकन	Revaluation of Yen . . .	98
1927 नौसेना कमानों की सख्या में वृद्धि	Increase in the number of Naval Commands	99
1928 जीवन बीमा निगम की एजेंसियों के माध्यम से छिपाये हुये धन को प्रकट करना	Conversion of Black Money into White through LIC Agencies . . .	99
1929 अशोधित तेल का आयात और भण्डार बनाने के लिये पृथक क्रय संगठन बनाया जाना	Separate purchase Organisation to Import and stock Crude Oil . .	100
1930 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों के साथ भेदभाव किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding discrimination by Nationalised Banks to States	100
1931 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये एक संगठन स्थापित किया जाना	Setting up of Organisation for Implementation of Policy decisions regarding Nationalised Banks . . .	101
1932 भारत सहायता कलब से सहायता	Assistance from Aid India Consortium	101
1933 भारत बंगला देश सीमा पर मुद्रा का विनिमय	Exchange of Currency on India-Bangladesh border	102
1934 सीरिया में तेल उद्योग का राष्ट्रीकरण का भारत को वहां से होने वाली अशोधित तेल की सप्लाई पर प्रभाव	Impact of Nationalisation of Oil Industry in Syria on the supply of Crude to India	102
1935 नायलोन यार्न का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to step up production of Nylon Yarn	102
1936 भारत में चोरी छिपे लाये जाना वाला सामान	Smuggling of goods into India	103
1937 कर की चोरी करने के लिये नम्बर दो का खाता रखना	Maintenance of "No. 2 Accounts" to evade Taxes	103

अ० ता० प्र० संख्या U.S.O.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1938 सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के एककों को दिये गये ऋण	Loans advanced to Private Sector Units by Public Financial Institutions	104
1939 ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा योजना का विस्तार	Extension of Life Insurance Scheme to Rural Areas . .	104
1940 जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by Way of Life Insurance Policies	105
1941 जीवन बीमा निगम की ग्रुप बीमा योजना	Group Insurance Scheme of LIC .	105
1942 दिल्ली फ्लाइंग क्लब के विमानों की दुर्घटनाओं की संख्या	Number of Accidents to Aircrafts of Delhi Flying Club . . .	106
1943 भारत और लन्दन के बीच एयर इंडिया की दैनिक जम्बो जैट सेवा. . .	Air India's daily Jumbo Jet Service between India and London . .	107
1944 बरौनी तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम उप-उत्पादों का उपयोग करने के लिये कारखाने का निर्माण	Construction of Factory for Utilising Petroleum by-products of Barauni Oil Refinery	107
1945 रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Defence University	108
1946 केन्द्रीय पर्यटन योजना में कुछ ऐतिहासिक स्थानों को सम्मिलित किये जाने के लिये बिहार सरकार का अनुरोध	Request from Bihar Government for inclusion of somer historical places in Central Tourism Scheme . .	108
1947 बिहार में व्यक्तियों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Individuals in Bihar	108
1948 सेना द्वारा बांधों का निर्माण	Construction of Dams by Military Personnel	109
1949 मध्य प्रदेश में मंदसौर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Mandsaur in Madhya Pradesh as a Tourist Centre	109
1950 नोटों का प्रचलन	Circulation of Currency Notes . .	109
1951 त्रिवेंद्रम और कोलम्बो के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत	Negotiations between India and Sri Lanka Regarding Direct Air Service between Trivandrum and Colombo	110
1952 कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों का धरना	Dharna of Central Government Unions in Calcutta	110
1953 नगरों और कस्बों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Cities and Towns .	110
1954 गुजरात के देना बैंक के शाखाओं में धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of Money in Branches of Dena Bank of Gujarat . .	111
1955 उत्तरी सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधि	Movement of Chinese Troops on Northern Border	111

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1956 उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa . . .	111
1957 व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण करने की योजना	Scheme of Financing Primary Agricultural Credit Societies by Commercial Banks	113
1958 कृषि पुनर्वित निगम द्वारा स्वीकृती योजना	Scheme sanctioned by Agricultural Refinance Corporation . . .	113
1959 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षित पद	Reservation of Posts for S.C. and S.T. in Nationalised Banks . . .	115
1960 कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डे की स्थापना	Establishment of an International Civil Aerodrome at Cochin . . .	115
1961 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ इंजीनियरों के लापता होने का समाचार	Reported missing of some Engineers of ONGC	116
1962 एल० पी० जी० सिलेंडर बदलते समय आग लगना	Fire mishaps in replacement LPG Cylinders	117
1963 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाना	Granting of loans to Farmers through Cooperative Societies . . .	117
1964 दरभंगा जिले (बिहार) में राजा बालि के किले में पर्यटन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal for opening a Tourist Centre in the Fort of Raja Bali, District Darbhanga (Bihar) . . .	117
1965 आयकर विभाग में भ्रष्टाचार	Corruption on Income Tax Department	118
1966 बम्बई और कलकत्ता में 'मैट्रो' छविगृहों की कथित तस्कर व्यापारियों को बिक्री	Sale of Metro Cinemas in Bombay and Calcutta to alleged sumugglers	118
1967 एकाधिकार आयोग का विभाजन	Bifurcation of Monopolies commission	118
1968 भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा लोदी होटल में एक रेस्टोरेंट का एक गैर सरकारी होस्टल मालिक को ठेके पर दिया जाना	Restaurant in Lodi Hotel given contract to a Private Hotelier by ITDC	119
1969 जीवन बीमा निगम की गतिविधियां	Activities of Life Insurance Corporation	119
1970 प्रतिकर भत्ते के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग	Demands of Central Government Employees regarding Compensatory Allowance	120
1971 छावनी बोर्डों में नियुक्तियों आदि के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल के दिनांक 3 मार्च 1960 के न्यायिक पंचाट कर लागू न किया जाना	Non-implementation of judicial Award of the National Industrial Tribunal dated 3-3-1960 regarding appointment etc. in Cantonment Boards	120
1972 राजकोट में मुद्रा के रूप में कूपनों का प्रचलन	Circulaion of Coupons as Currency in Rajkot	121
1973 आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax	121

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1974 राज्य विधान सभाओं के चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा वायु सेना के विमानों का उपयोग	Flights undertaken by Prime Minister during Elections to State Assemblies	122
1975 आसाम के खाद्यान्न व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loan from Nationalised Banks to Foodgrain Traders of Assam . . .	122
1976 आसाम के औद्योगिक एककों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by IFC to Industrial Units in Assam	122
1977 आसाम में आयकर अधिकारियों द्वारा फर्मों तथा व्यक्तियों पर मारे गय छापे	Raids by Income Tax Authority on Firms and Individuals in Assam	123
1978 केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिये आसाम सरकार का अनुरोध	Request from Assam Government to increase Central Assistance . .	124
1979 दिल्ली क्षेत्र में सभी होटलों के लिये केन्द्रीकृत लांड्री सेवा	Plan for a Centralised Laundry Service for All Hotel Units in Delhi Region	124
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent Public Importance . . .	125
बेलापुर शुगर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की गई धोखाधड़ी का समाचार	Reported Fraud by Bellapur Sugar Industries Ltd.	125
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	130
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	131
सभा की कार्यवाही	Business of the House . .	131
उगांडा में एशियाई लोगों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Asians in Uganda	134
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh . . .	134
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट द्वारा क्रान्तिकता प्राप्त करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Criticality of the first unit of Rajasthan Atomic Power project	136
श्री कृष्ण चन्द पन्त	Shri K.C. Pant . . .	136
कंपनी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Companies (Amendment) Bill—Introduced	137
आय-कर संशोधन (विधेयक), 1972	Income Tax (Amendment) Bill, 1972 .	138
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider .	138—141
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	138
श्री माधुर्य हालदार	Shri Madhuryya Haldar .	138
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan .	139
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	140
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	141
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur	141
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	141

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	141
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	141
प्रति व्यक्ति ग्राय के बारे में संकल्प---वापस लिया गया	Resolution Re. Per Capita Income—Withdrawn	141—145
श्री झारखन्डे राय	Shri Jharkhande Rai . . .	142
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya . .	142
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . . .	142
श्री ई० ग्रार० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan . . .	143
श्री के० ग्रार० गणेश	Shri K.R. Gansesh . . .	143
श्री विभूती मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . . .	145
पश्चिम बंगाल के ग्रार्थिक गतिरोध सम्बन्धी समस्याग्रों के बारे में संकल्प	Resolution Re. Problems of Economic Stagnation of West Bengal . .	146—153
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	146
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	150
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma . . .	151
श्री बी० के० दासचौधुरी	Shri B. K. Daschowdhury . .	151
ग्राधे घन्टे की चर्चा	Half an hour Discussion . . .	153—155
स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pensions to Freedom Fighters	153
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	153
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant .	155

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 11 अगस्त, 1972/श्रावण 20, 1894 (शक)

Friday, August 11, 1972/Sravana 20, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

181. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रासायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत स्थित तीन विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के मार्ग में सरकार के सामने कौन सी कठिनाइयां हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री **एच० आर० गोखले** : बातचीत द्वारा शोधनशाला के करारों का पुनरीक्षण अथवा विदेशी तेल कम्पनियों के विपणन एवं संशोधन संक्रियाओं में अधिकांश शेयरों के अर्जन आदि जैसे विभिन्न वैकल्पिक उपायों, जो सरकार के विचाराधीन है, का विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ किया गया है। जब अध्ययन पूरा हो जायेगा, इस विषय पर अन्तिम रूप से विचार किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दो विकल्प विचाराधीन हैं: (1) शोधन कारखाने सम्बंधी करारों का पुनरीक्षण और (2) इन कम्पनियों में सरकार द्वारा शामिल होने की संभावना क्या मैं यह मान लूं कि राष्ट्रीयकरण का तीसरा विकल्प विचाराधीन नहीं है ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन विदेशी तेल कम्पनियों में 106 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है, जबकि वे 125 करोड़ रुपये की राशि को लाभ के रूप में विदेशो में भेज चुकी है, मैं यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण के विकल्प पर विचार न करने के क्या कारण हैं ? राष्ट्रीयकरण के अलावा अन्य विकल्प ही विचाराधीन हैं।

श्री एच०आर० गोखले : मूल प्रश्न यह था कि तीनों विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार के सामने क्या बाधाएं हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते समय स्पष्टतः मुझे राष्ट्रीयकरण के अलावा उन अन्य विकल्पों का उल्लेख करना है, जिन पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व विचार करना है। दो विकल्पों का उल्लेख किया गया है। मैंने कहा है कि इन दो विकल्पों पर विचार करने के बाद ही

निश्चित रुख अपनाया जायेगा। इसलिए उत्तर में तीसरा विकल्प निहित है। यह तभी आता है जब कि उत्तर में उल्लिखित दो विकल्पों के बारे में कोई निर्णय कर लिया जाय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी तेल कम्पनियां इन कम्पनियों को रुपये में भुगतान वाली कम्पनियों में बदलने का प्रयास कर रही हैं, जिससे कि संयुक्त क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में भारत सरकार को शामिल करने के लिए आकर्षित किया जा सके। अगर इस पर विचार किया जा रहा है, तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस प्रकार के प्रस्ताव से लाभांश की राशि को भेजे जाने पर रोक नहीं लगेगी और विदेशों में धन भेजा जाना पहले की तरह जारी रहेगा ? यही मुख्य कठिनाई है, जो हमारे सामने आ रही है। वे उन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार क्यों कर रहे हैं, जिनसे विदेशों को धन भेजने पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगेगी ?

श्री एच० आर० गोखले : सरकार को इन सब बातों की जानकारी है। तेल कम्पनियों ने बराबरी के आधार पर शामिल होने के लिए हमसे प्रस्ताव किये हैं। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कराने का निश्चय कर लिया है। माननीय सदस्य भी यह महसूस करेंगे कि तेल कम्पनियों के साथ जो करार हैं, वे दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय करार हैं और जहां तक मुझे याद है, उनमें से सबसे पहले करार 1979 में समाप्त होगा और सरकार को कोई कार्यवाही करने से पहले सभी बातों पर ध्यान देना है और यह भी ध्यान रखना है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बारे में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या तीनो तेल कम्पनियों अर्थात एस्सो, कालटैक्स और बर्मा शैल ने 1000 कर्मचारियों की छंटनी के प्रस्ताव के बारे में सरकार को सूचना दे दी है, क्योंकि इस बीच हल्दिया तेल शोधक कारखाना चालू हो जायेगा।

श्री एच० आर० गोखले : यह प्रश्न वस्तुतः मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। परन्तु जहां तक मुझे पता है, मुझे इस बारे में सूचना नहीं दी गई है, पर मैं इसकी जांच करूंगा। परन्तु यह प्रश्न मूल प्रश्न से पूर्णतया भिन्न है।

Shri Hukam Chand Kachwai : In reply to a question, the hon. Minister just now stated that negotiations are going on. I would like to know as to since when these negotiations are going on and when a final decision would be taken? Are the Government thinking of taking over any indigenous company? Do they propose to paying Compensation to them ?

श्री एच० आर० गोखले : मुख्य प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया है, उसमें मैंने 'बातचीत' का शब्द नहीं कहा। मैंने सिर्फ यह कहा है कि दो विकल्प सरकर के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए स्थायी शासी निकायों की नियुक्ति

*182 **श्री जे० माता गौडर** :

श्री एस० ए० मुरुनन्तम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी शासी निकायों की नियुक्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार सब राष्ट्रीयकृत बैंको के लिए स्थायी शासी निकायों की नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक मण्डल, जिनका गठन 18 जुलाई, 1970 को बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7(3) के अधीन किया गया था, कार्य कर रहे हैं। ये मण्डल तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 के अनुसार नये निदेशक मंडलों का गठन नहीं किया जाता। आशा है, नये निदेशक मण्डलों के गठन में अब अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री जे० माता गौडर : मुख्य प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और भाग (क) में कहा गया है :

"राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी शासी निकायों के नियुक्ति में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं;

परन्तु इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। भाग (ख) में यह कहा गया है :

"सरकार सब राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए स्थायी-शासी निकायों की नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है ?"

इसका उत्तर यह दिया गया है कि नये निदेशक बोर्डों के शीघ्र ही गठित होने की सम्भावना है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विलम्ब के अनेक कारण हैं, परतु विलम्ब का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करना था . . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब उसका समाधान हो चुका है। अब वह स्थिति समाप्त हो चुकी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदस्य कृपया मेरी बात सुन लें। पूर्वाग्रह से सोचना ठीक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया 31 जुलाई, 1972 को ही पूरी हुई थी। प्रस्ताव को 31 जुलाई, 1972 को ही अन्तिम रूप दिया गया। अब, हमें जमाकर्त्ताओं, दस्तकारों, कृषकों और कई अन्य लोगों के प्रतिनिधियों का चयन करना है। सम्बद्ध बैंकों से विभिन्न स्थानों से सिफारिशे मांगी गई हैं। यह देखने के बाद ही कि आयकर की दृष्टि से तथा रुपये पैसे की दृष्टि से उनके नामों पर कोई आंच नहीं है। हमें उनकी मंजूरी देनी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की इन बैंकों के निदेशक मंडल में नियुक्ति करनी होती है तो बहुत सावधानी बरतनी होती है कि वे व्यक्ति सभी दृष्टि से पूर्णतया निर्दोष हों और इसी कार्य में समय लग रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राष्ट्रीयकरण हुए तीन साल हो चुके हैं।

श्री जे० माता गौडर : मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। 'शीघ्र ही' का क्या मतलब है ? नये निदेशक मण्डलों द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ कर देने की सम्भावना है ? क्या वित्त मंत्री महोदय इस प्रश्न पर और अधिक प्रकाश डालेंगें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं निश्चित रूप से यह चाहता हूं कि नये बोर्ड शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दें और इसके लिये मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा।

श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : अगर विलम्ब इसलिए हुआ कि निदेशक मण्डलों के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बारे में निर्णय करने में विलम्ब हुआ तो तत्सम्बन्धी वास्तविक कठिनाई क्या थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वस्तुतः यह कठिनाई नहीं थी, परन्तु कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना था। सबसे पहले, प्रतिनिधि मज़दूर संघों के बारे में निर्णय करना था। उसमें समय लगा, क्योंकि प्रतिनिधि मजदूर संघों की पहचान का प्रश्न था और उसके लिए संस्थाओं की सदस्यता के बारे में पुष्टि करनी थी। अब प्रतिनिधि संघों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। प्रतिनिधि संघों से अपने नाम भेजने के लिए कहा गया था। मजदूर संघों की पहचान, पुष्टि और उनके बारे में अन्तिम निर्णय करने और उनसे नाम भेजने के लिए अनुरोध करने में इतना समय लग गया कि यह सब कार्य इस वर्ष 31 जुलाई को ही पूरा हो पाया।

अब हमें अन्य नामों का चयन करना है, हमारे पास बहुत से नामों की सूचियां हैं और हमें इस मामले में अन्तिम निर्णय लेना है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि लगभग सभी राज्यों को इस मामले में प्रतिनिधित्व मिले। जैसा मैंने कहा है, हमें इन व्यक्तियों के बारे में आय-कर आदि संबंधी जांच-पड़ताल करनी है। यह प्रक्रिया संबंधी मामले हैं परन्तु बहुत आवश्यक है और इनमें समय तो लगता ही है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : दश के विभिन्न भागों में स्थिति प्रमुख बैंकों के लिए क्षेत्रीय समितियां बनाने का प्रस्ताव था, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो शासी निकायों के बारे में है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : यदि आप अनुमति दें और मंत्री महोदय राजी हों तो उत्तर मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रश्न संगत तो होना चाहिये। मुझे खेद है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री अमृत नाहाटा : क्या राजस्थान के एक बड़े दिग्गज व्यक्ति को भी, जो राजस्थान विधान सभा में चर्चा का विषय रहा है और जो पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान शासी निकाय का भी सदस्य है पंजाब नेशनल बैंक के शासी निकाय का पुनः सदस्य बनाने पर विचार किय जा रहा है ? . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए पृथक सूचना दें। आप कोई संगत प्रश्न पूछें।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : राज्य सरकारों ने मांग को थी कि राष्ट्रीयकृत बैंको के शासी निकायों म उनके भी प्रतिनिधि होने चाहिये। क्या सरकार स्थायी निकाय बनाते समय इस पर विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस अधिनियम के अधीन इस योजना को मंजर करते समय पूरे प्रश्न पर विचार किया गया था, और मैंने शायद विस्तारपूर्वक बताया था कि इसकी क्यों आवश्यकता नहीं है और कहा था कि तब ये उस प्रकार कार्य नहीं कर पायेंगे जैसा कि उन्हें करना चाहिये। फिर भी बैंकों के कार्यकरण में राज्य सरकारों को सम्बद्ध करने के लिये इसी योजना के अन्तर्गत किसी न किसी प्रकार की प्रादेशिक समितियां बनाई जाएंगी।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या इनमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे तो होंगे ही। मैं पहले ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र की बैठक बुला चुका हूं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री उपस्थित थे और उस बैठक में इन प्रश्नों पर विचार किया गया था। अतः राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित कस्टोडियनों के साथ इन बैंकों के उन क्षेत्रों में कार्यकरण में शामिल किया जाता है।

हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लि०, पिम्परी के उत्पादन में कमी

*183 **श्री अजीतकुमार साहा** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लि0, पिम्परी के उत्पादन में कमी होने का क्या कारण है ;

(ख) उक्त कारखाने के उत्पादों को किन-किन एजेंसियों के माध्यम से बाजार में बिक्री के लिये लाया जाता है ; और

(ग) इन कारखानों को विभिन्न किस्मों की सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एजेंसी प्रति वर्ष कितनी सामग्री सप्लाई करती है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जहां तक पेनिसिलिन का संबंध है, 1970-71 में लगभग 58 एम एम यू से बढ़ कर 1971-72 में लगभग 66 एम एम यू और चालू वर्ष के प्रथम चतुर्थांश में लगभग 21 एम एम यू हो गया था। जहां तक स्ट्रेप्टोमाइसीन, जो इस उपक्रम द्वारा उत्पादित की जा रही एक मुख्य एन्टीवायोटिक्स है, का संबंध है, पिछले वर्षों के उत्पादन की तुलना में इसके उत्पादन में कमी हो गई थी। स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन के लिए अपेक्षित सही किस्म के सोयाबीन का न मिलना तथा अन्य परिचालन संबंधी समस्याएं उत्पादन में कमी होने के मुख्य कारण थे। उत्पादन में गिरावट होने की प्रवृत्ति को दूर किया गया है और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 1970-71 में 61 मीटरी टन की तुलना में 1971-72 के दौरान 62 मीटरी टन स्ट्रेप्टोमाइसीन का उत्पादन हुआ था इस औषधि के लगभग 17.5 मीटरी टन का उत्पादन इस वर्ष के प्रथम चतुर्थांश में किया गया था।

(ख) यह उपक्रम अपने उत्पाद दोनों प्रपुंज औषधियों के रूप में और ऊपर आधारित सूत्रयोगजों के रूप में बेचता है। जबकि औषधियां इकट्ठे रूप से वायलर्ज को बेची जाती हैं, उपक्रम द्वारा सूत्र-योजना विभिन्न सरकारी अस्पतालों तथा अन्य संस्थानों को सीधे रूप से और व्यवसाय को स्टोक धारियों/थोक व्यापारियों के मार्फत बेचे जाते हैं।

(ग) उपक्रम द्वारा अपेक्षित विभिन्न मदों की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट एजेंसियां नहीं हैं। इस उपक्रम द्वारा प्रतिवर्ष 2.75 करोड़ रुपये की लागत की 10,000 से अधिक मदें खरीदी जाती हैं। 20,000 रुपये से अधिक की तमाम खरीदों के लिए सार्वजनिक टेंडर मंगवाये जाते हैं जिनके लिए प्रेस में नोटिस जारी किये जाते हैं।

श्री अजीत कुमार साहा : विवरण से पता चलता है कि दवाइयाँ इकठ्ठे रूप में वायलर्स (शीशियां भरने वालों) को बेची जाती है। क्या ये गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं है और वे मोटा लाभ कमा रहे हैं ? यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का है ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैं बता चुका हूं अधिकांश दवाइयां सीधे उपभोक्ताओं को ही बेची जाती हैं। अब तो हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम क्यों न उत्पादन और बढ़ाएं और अपनी वितरण व्यवस्था स्थापित करें।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या यह सच है कि बहुत सी मूल तथा अन्य आवश्यक औषधियों ठेकेदारों के माध्यम से बाहर से खरीदी जाती है जिससे कई एकक बन्द पड़े रहते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : अधिकांश औषधियों के लिए यह कारखाना किन्हीं विशेष एजेंसियों की सहायता नहीं लेता है। 10,000 मदों की आवश्यकता होती है जिनका मूल्य लगभग 2.75 करोड़ रुपये है। जब भी खरीद 20,000 रुपये से अधिक होती है, प्रैस में टेंडर देकर इसे प्राप्त किया जाता है। किसी एजेंसी विशेष से ही ये वस्तुयें खरीदने या न खरीदने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिम्परी में तैयार होने वाले पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का खुदरा विक्रय मूल्य अन्य कम्पनियों द्वारा तैयार इन औषधियों के मूल्य की अपेक्षा कम है या अधिक ?

श्री एच० आर० गोखले : यह प्रश्न तो भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न उत्पादन के विक्रय मूल्य के बारे में न होकर इसमें कमी के बारे में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका संबंध उत्पादन-मूल्य से तो है।

अध्यक्ष महोदय : यह सगत नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : एक ही दल के दो सदस्यों को कैसे अवसर दिया जा सकता है जबकि अनेक सदस्य अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन में कमी का एक मुख्य कारण प्रबन्ध और श्रमिकों के वर्तमान संबंध नहीं हैं, और यह स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री एच० आर० गोखले : मैं बड़े सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की यह धारणा ग़लत है क्योंकि यह एक ऐसा एकक है, जहां श्रमिकों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सभी स्थानों पर उपयुक्त बैठता है।

श्री एच० आर० गोखले : जहां कहीं भी उपयुक्त होगा, वहां मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वहां संबंध सबसे अच्छे हैं।

निकोबार द्वीपसमूह में नौसेना चौकी की स्थापना

*184. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी छोर पर नौ सेना और वायु सेना के हथियारों से लैस एक नौसेना चौकी की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य (रक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : जब हम ऐसे कोई प्रश्न मंत्रालयों को भेजते हैं, तो उन्हें प्रश्नों की सूची प्रकाशित होने से पूर्व हमें अध्यक्ष को यह सूचित कर देना चाहिये कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना लोकहित में नहीं होगा ताकि ऐसे प्रश्न सूचियों में प्रकाशित न किये जायें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : साधारणतया हम ऐसा करते हैं। मैं पता करूंगा कि हमने इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में भी ऐसा किया है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी हम इन्हें दर्ज नहीं करते और समीक्षा के लिये भेज देते हैं और उसी समय आप कोई आपत्ति कर सकते हैं ताकि हम माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे सकें।

एकाधिकार आयोग को सौंपे गए मामले

*185. **श्री मधु दण्डवते** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के तृतीय अध्याय के अधीन एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं सम्बन्धी आयोग को कोई मामले सौंपे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) क्या सौंपे गये मामलों पर सरकार के आदेशों सहित इस आयोग की रिपोर्टें जनता और संसद को उपलब्ध कर दी गई हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत अभी तक 28 मामले एकाधिकार एवं निर्बन्धनात्मक व्यापार आयोग को संदर्शित किये गये हैं और 16 मामलों में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) प्रस्ताव में इच्छुक पार्टियों को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत सरकार द्वारा सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया था कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 62 में सभी रिपोर्ट संसद को उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्था की गई थी, और फिर भी ये रिपोर्ट संसद को उपलब्ध क्यों नहीं कराई

जातीं ? क्या इसलिये कि अधिकांश सिफ़ारिशें बड़े बड़े व्यापार-गृहों के पक्ष में हैं तथा सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश भी बड़े बड़े व्यापार-गृहों के हित में हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य द्वारा वर्णित धारा 62 के स्पष्टीकरण के बारे में विधि मंत्रालय की सलाह प्राप्त की गई है और इसी सलाह पर सरकार ने निर्णय किया है कि इन प्रतिवेदनों को सभापटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 21, 22 तथा 23 के अधीन ये प्रतिवेदन सरकार के विचारार्थ पेश किये जाते हैं न कि सार्वजनिक जानकारी के लिये।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच नहीं है कि इस आयोग ने ही स्वयं यह सुझाव दिया था तथा सिफ़ारिश की थी कि इन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखा जाये? फिर क्या यह सच है कि अधिकांश प्रतिवेदनों में बहुमत का एक के मुकाबले दो का निर्णय है और क्या यह भी सच है कि अधिकांश मामलों में सिफ़ारिशें सदैव बड़े-बड़े व्यापारियों के पक्ष में ही होती हैं ? क्या यह सच है कि आप इन प्रतिवेदनों को संसद से दूर ही रखते हैं ताकि इन बड़े एकाधिकारियों को बचाया जा सके?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ऐसी बात नहीं है । कुछ मामलों में सर्व सम्मति से स्वीकृति भी हुई है तो कुछ मामलों में विपक्ष मत के मुकाबले में बहुमत का फैसला हुआ है : संभव है, एक सदस्य ने असहमति प्रकट की हो। परन्तु जहां तक इन प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखने का प्रश्न है, इस मामले पर सरकार ने चर्चा भी की है तथा विचार भी किया है। विधि मंत्रालय की सलाह के अनुसार ही इन दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, जब धारा 21, 22 तथा 23 के अधीन एकाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन भेजता है, तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार ही को है और सरकार यह विचार किये बिना ही कि यह किसी एकाधिकार गृह के हित में हैं अथवा नहीं, केवल गुण दोष के आधार पर निर्णय करती है। सरकार एकाधिकार गृहों से बिल्कुल नहीं डरती है और प्रत्येक मामले में गुण व दोष के आधार पर निर्णय करती है।

प्रो० मधु दण्डवते : हर रिपोर्ट में यही बात कही जाती है। मरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। अधिकांश सिफारिशें बड़े व्यापार-गृहों के पक्ष में है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : काफ़ी मामलों में एक के विरुद्ध दो मतों से निर्णय करके प्रतिवेदन तैयार किया गया है। कई मामले ऐसे भी हैं जहां तीनों सदस्य सहमत हुए हैं। आर्थिक मामलों में मत-भिन्नता होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है. . . . . (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ प्रतिवेदन संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध हैं और उनमें से अधिकांश प्रतिवेदन बड़े बड़े व्यापार-गृहों जैसे टेल्को, कार्बोरेन्डम यूनीवर्सल, टीवी एस, मैट्रो कैमिकल्स आदि, के हितों के पक्ष में हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनसे यह स्थिति स्पष्ट करने को क्यों नहीं कहते ? मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अनुपूरक प्रश्न पूछने की तो अनुमति दी है परन्तु मैं आपकी रूचि के अनुरूप तो उत्तर नहीं दिलवा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी रुचि के अनुरूप तो नहीं परन्तु उनकी रुचि के अनुसार ही जिन्होंने एकाधिकार आयोग गठित किया है?

श्री पी० गंगादेव : ऐसे कितने मामले हैं जिनमें औद्योगिक एककों के विस्तार के लिये एकाधिकार आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आयोग को 28 मामले सौंपे गये थे और उन्होंने अभी तक 16 प्रतिवेदन पेश किये हैं। 12 मामलों की जांच हो रही है।

श्री के० लकप्पा : आयोग के सुपुर्द किये गये अधिकांश मामलों में प्रत्येक मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आर्थिक नीति के बारे में कई सदस्यों में मत-भेद था—क्या यह सच है? क्या आयोग के किसी सदस्य के इस तरह के विचार भी हैं कि कतिपय बड़े व्यापार-गृहों को आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही से बचाया जाये? यदि हां, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापार-गृह कौन कौन से हैं?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आयोग के सदस्यों पर कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

श्री के० लकप्पा : हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं. . . . . (व्यवधान)

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मैं संबंधित प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन्, में आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आयोग को कोई मामला सौंपने के पश्चात् उस पर विभिन्न प्रकार के विचार दिये जाते हैं। इस संबंध में कितने व्यापार-गृहों के मामले आते हैं? वह इस प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : आपही बताइये कि मैं आपको क्या संरक्षण प्रदाम करूं? मैं मंत्री महोदय से क्या कहूं?

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री के० गोपाल : क्या जिन कम्पनियों के मामले एकाधिकार आयोग को सौंपे गये हैं उनमें से कुछ ने अपना विशाखन आरंभ कर दिया है, और यदि हां, तो क्या सरकार उनको ऐसा करने से रोकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इस प्रश्न को नहीं समझ पाया?

श्री के० लकप्पा : इस प्रश्न का सारांश भी वही है जो कि मेरे प्रश्न का था। मंत्री महोदय इस प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक मैं समझता हूं

अध्यक्ष महोदय : तो आप कुछ समझ गये हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जी हां, कानूनी स्थिति यह है कि विशाखन करने की अनुमति तब दी जाती हैं जब कि या तो विस्तार किया जाये अथवा कोई नया एकक स्थापित किया जाये। एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम तथा औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कानून यदि अनुमति दें तो कोई कम्पनी अपना विशाखन कर सकती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह प्रश्न सरकार द्वारा एकाधिकार आयोग को सौंपे गये मामलों से संबंधित है। परन्तु मेरा विचार है कि आयोग स्वयं अपनी मर्जी से कुछ भी मामलों पर विचार कर सकता है। क्या आयोग ने अपनी मर्ज़ी से भी कतिपय मामलों पर विचार करके सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है? दूसरे, क्या आयोग की सदस्य-संख्या बढ़ाने संबंधी भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि आयोग द्वारा अब तक की गई सिफ़ारिशों की ही क्रियान्विति नहीं हुई तो फिर उसकी सदस्य संख्या बढ़ाने का क्या लाभ होगा?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह प्रश्न एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अध्याय III से संबंधित है। अध्याय III के अन्तर्गत आये मामलों के बारे में यह आयोग कोई जांच आरम्भ नहीं कर सकता।

आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। हम इसमें ऐसे सदस्य रखना चाहेंगे जो एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की पेचीदगियों को समझ सकें। इसके अतिरिक्त आयोग को कार्य भी अधिक करना होगा।

श्री **श्याम नन्दन मिश्र :** जब आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने का क्या लाभ होगा?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आयोग का शीघ्र ही विस्तार करने का तो कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में इस दृष्टि से विचार किया जा रहा है कि भविष्य में आयोग का कार्य कितना होगा। अभी हम इसी संदर्भ में विचार कर रहे हैं?

श्री एस० एन० मिश्र : एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 62 में यह प्रावधान है कि इस आयोग के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जायेगा। क्या इन अधिनियम में कोई संशोधन किया गया है, और यदि नहीं तो उक्त धारा में किये गये प्रावधान के अनुसार उसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया?

श्री० रघुनाथ रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर, मैं श्री दण्डवते के प्रश्न के उत्तर के साथ दे चुका हूं।

इंडियन आयल द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को मशीनी तेल की सप्लाई न किया जाना

*186. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल छोटे पैमाने के उद्योगों को मशीनी तेल की सप्लाई नियमित रूप से नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारतीय तेल निगम ने, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान सहित, उचित सत्यापन करने के पश्चात् लघु उद्योगों की जिन्होंने उक्त निगम को लुब्रीकेटिंग तेलों की सप्लाई के लिए निवदन किया है, यथार्थ आवश्यकताओं को, पूरा करता रहा है। छोटे ग्राहकों की आवश्यकताएं सामान्यतः भारतीय तेल निगम के व्यापारियों एवं वितरकों के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Kumari Kamla Kumari: We are aware that Indian Oil are giving short supply of lubricating oil to the small scale industries whereas the hon. Minister does not agree with it and he says that there is no question of short supply.

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्या की यह धारणा गलत है कि मशीनी तेल की कम सप्लाई हो रही है। परन्तु उनकी इस धारणा का एक कारण भी है। इस तेल को खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त किये जाने की बहुत संभावना है । लोग इसकी बहुत मांग करते हैं और यदि इतनी भारी मांग को पूरा किया जाये, तो वे इसे खाद्य-तेल के रूप में परिवर्तित कर देंगे और हमें बताया गया है कि यह बहुत खतरनाक बात है और इससे कैन्सर का रोग हो जाता है। अतः इस संबंध में बड़ी सावधानी बरती जाती है। जब भी हम देखते हैं कि तेल की मांग न्यायोचित है, हम सप्लाई करते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि जहां तक इस तेल की न्यायोचित मांग पर सप्लाई नहीं की गई हो।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या सरकार को जानकारी मिली है कि भारतीय तेल निगम के कुछ विक्रेता स्नेहकों को काले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री एच०आर० गोखले : हमें इसकी जानकारी नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मामला हमारी जानकारी में लायें तो निश्चय ही हम उसकी जांच करेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : यह सदस्य बिना स्नेहक ही अच्छी प्रकार कार्य करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that ordinarily no quota of lubricants is fixed for the small scale entrepreneurs and they face a lot of difficulty in getting the supplies; but those very small entrepreneurs can get regular desired supplies of they pay more? May I know whether any survey has been made in regard to the consumption of the lubricants in the country? How much stock is available and how the existing shortage is proposed to be met?

श्री एच० आर० गोखले : जैसाकि मैंने पहले ही जिक्र किया है, भारतीय तेल निगम स्वयं ही ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों को स्नेहकों की सप्लाई का सीधे ही प्रबंध करता है जिनकी आवश्यकता काफ़ी मात्रा की है। छोटे उद्योगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जो इस तेल का उपयोग तैयार माल के लिये करते हैं। उनकी आवश्यकता भी भारतीय तेल निगम सीधे ही पूरी करता है क्योंकि वे भी काफ़ी मात्रा में मशीनी तेल लेते हैं और उसके दुरुपयोग की भी संभावना हो सकती है। हम कड़ी निगरानी रखते हैं और न्यायोचित मांग के समय तदर्थ कोटा भी जारी करते हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि वे खुले बाजार में अधिक मूल्य देकर स्नेहक खरीदते हैं। ऐसे मामलों की हमें जानकारी नहीं है।

Shri T. Sohan Lal : As he has just now stated that the lubrication oil is also being used as edible oil, it is because the lubrication oil is cheaper than the edible oil and therefore they use it as edible oil ?

श्री एच० आर० गोखले : यही बात है। और इसीलिये हमने इस पर नियंत्रण लगाया है।

देश में विमान टैक्सी सेवा

*187 **श्री बेकारीया**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विमान-टैक्सी सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने विमान-टैक्सी सेवा आरम्भ करने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस राज्य का नाम क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) मामले पर फिलहाल कोई कार्यवाहीं नहीं की जा रही है।

(ख) हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Vekaria : The hon. Minister has said that the matter has not been considered so far. May I know whether it will be considered and if so, by what time?

Dr. Karan Singh : The matter regarding ancillary air services is considered times and again but there is no scheme at present as regards starting an air-taxi service.

श्री डी० पी० जदेजा : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री ने 18 जुलाई को एक वक्तव्य में कहा था कि उन्होंने बम्बई हवाई अड्डे से नारीमन पान्इट तक विमान टैक्सी सेवा आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है; यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है?

डा० कर्ण सिंह : मेरे ध्यान में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है। न ही उन्होंने मुझ से पूछा है। मैंने समाचार पत्र में भी ऐसा वक्तव्य नहीं देखा है।

श्री डी०पी० जदेजा : मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य प्रश्न, काल के दौरान विधान सभा में दिया था।

डा० **कर्ण सिंह** : यदि वे हम से इस सम्बन्ध में पूछेंगे तो इसके गुण-दोषों को देखते हुए इस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

कुकिंग गैस की कीमत में कमी

188 **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुकिंग गैस की कीमत में कमी करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है और मूल्य में कितनी कमी करने का विचार है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 1-8-1972 से तरल पेट्रोलियम गैस, जो एल० पी० जी० अथवा कुकिंग गैसे के नाम से विख्यात है, का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किए जाने पर, उसका मूल्य निर्धारण उसी प्रकार अन्य प्रपुञ्ज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण (अर्थात् शोधनशाला द्वारा पर मूल्यों का निर्धारण) के आधार पर किया है। भाड़े विपणन प्रभार लाभ, एजेंट की कमीशन, बिक्रय-कर आदि को जोड़ने के बाद उपभोक्ता के लिए विक्रय-मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कमियां, तेल कम्पनियों द्वारा पहले स्वयं निर्धारित किए गए मूल्य तथा उक्त आधार पर अब पुनः निर्धारित किए गए मूल्य पर निर्भर होते हुए गैस के प्रति सिलैंडर के मूल्य में विभिन्न स्थानों पर कहीं-कहीं एक रुपये से कम एवं कहीं कहीं लगभग 7 रुपये तक हुई।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के विवरण से एक यह संदेह उत्पन्न होता है कि सरकार द्वारा कुकिंग गैस का युक्तिसंगत मूल्य निर्धारित कर दिये जाने पर भी वास्तविक मूल्य निर्धारण तेल कम्पनियों के मालिकों के हाथों में छोड़ दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ मिल सके ?

श्री एच० आर० गोखले : यह युक्तिसंगत मूल्य उपभोक्ताओं के लाभ के लिये ही निर्धारित किया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण से पहले स्वयं तेल कम्पनियों ने तदर्थ आधार पर मूल्य निर्धारित किये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सप्लाई किये जाने वाला स्थान उत्पादन स्थल के समीप होने पर भी वहां के लिये वही मूल्य रहे जो उत्पादन स्थल से एक हजार मील की दूरी वाले स्थान के लिये थे। अतः युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण आवश्यक हो गया। जहां भाड़े, बिक्री-कर यातायात जैसी अन्य दूसरी मदों पर कम व्यय आते हैं, मूल्यों के कमी करना संभव है। ऐसे निकटवर्ती क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस अपेक्षाकृत कम मूल्य पर मिलनी ही चाहिये थी। इसके लिये भी लगभग अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसी पद्धति अपनाई गई है। इसका शोधशाला बाहर मूल्य आयात समता के आधार पर उसी पर निर्धारित किया जाता है जिस प्रकार प्रत्येक एल० पी० जी० उत्पादन शोधशाला में बढ़िया मिट्टी के तेल का मूल्य ऊष्मीयमान के आधार पर निकाला जाता है और तत्पश्चात् उसमें भाड़ा, विपणन प्रभार लाभ, बिक्रीकर, चुंगी आदि को जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि चुंगी, बिक्रीकर भाड़ा आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं। उत्पादन स्थल से सप्लाई किये जाने वाले स्थल की दूरी के अनुसार विभिन्न स्थानों के लिये भाड़ा भिन्न-भिन्न होगा। पहले, दूरी चाहे जितनी हो, थोड़ी दूरी के लिये भी अधिक मूल्य देना होता था। अब सरकार ने इसे इस प्रकार युक्तिसंगत बना दिया है कि यदि सप्लाई किये जाने वाला स्थान निकट में ही है तो उत्पादकों द्वारा निकटवर्ती उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लेने में कोई औचित्य नहीं है। इसी कारण से भिन्न-भिन्न स्थानों के लिये मूल्य भिन्न-भिन्न हैं और इनमें 1 रुपये से 7 रुपये तक की कमी हुई है।

श्री बी०के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने बताया है कि कुकिंग गैस का मूल्य कम्पनी मालिकों द्वारा तदर्थ आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्या मंत्री महोदय तेल के मूल्यों पर भी विचार करेंगे क्योंकि कुकिंग गैस तेल का ही उप-उत्पाद है? इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कुकिंग गैस का मूल्य कम्पनी मालिकों द्वारा तदर्थ आधार पर

निर्धारित किया जाता है, क्या सरकार फिर से तेल का युक्तिसंगत मूल्य निर्धारित करने पर गंभीरता से विचार करेगी?

क्या सरकार को विभिन्न स्थानों के लिये कुकिंग गैस के वास्तविक मूल्यों का कोई अनुमान है? क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि शिलांग, कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई के लिये कुकिंग गैस से वास्तविक मूल्य क्या हैं?

श्री एच० आर० गोखले : मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। माननीय मित्र ने बम्बई के विषय में पूछा है। उदाहरण के लिये बम्बई में कुकिंग गैस सिलैन्डर का मूल्य 12.80 था, पुनरीक्षण से पूर्व इसका बिक्री-मूल्य 17.29 रुपये था जो पुनरीक्षण के पश्चात् घटकर 15.81 रुपये रह गया है। सप्लाई किये जाने वाले 15 अन्य स्थानों के सम्बन्ध में मेरे पास ऐसे ही आंकड़े हैं। दिल्ली में सिलैन्डर का मूल्य 14.50 रुपये था, पुनरीक्षण से पूर्व इसका बिक्री मूल्य 22.81 रुपये था जो पुनरीक्षण के पश्चात् घटकर 22 रुपये रह गया है। इस प्रकार मूल्य 89 पैसे कम हुआ है। गोहाटी के लिये मूल्य में सबसे अधिक कमी हुयी है। वहां सिलैन्डर का मूल्य 15.00 रुपये था पुनरीक्षण से पूर्व बिक्री मूल्य 25.42 रुपये था जो पुनरीक्षण के पश्चात् घटकर 18.64 रुपये रह गया और इस प्रकार मूल्य में 6.78 रुपये की कमी हुई है।

श्री बी० के० दास चौधरी : कलकत्ता के लिये मूल्य किस प्रकार हैं?

श्री एच० आर० गोखले : में इस जानकारी को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर सकता हूं। सदन को ऐसी जानकारी देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बी०के० दास चौधरी : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या सरकार फिर से तेल के मूल्य निर्धारित करने पर गंभीरता से विचार करेगी?

श्री एच० आर० गोखले : संभवतया माननीय सदस्य ने तेल उत्पादों के मूल्यों के विषय में कहा है। तेल उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिये एक व्यवस्था है, चाहे वे विदेशी कम्पनियों द्वारा बेचे जायें चाहे स्वदेशी शोधशालाओं द्वारा। उन्हीं मूल्यों को सरकार विनियमित करती है।

Shri B. S. Bhaura: Cooking gas is an essential item and everybody wants to have it. May I know whether the Government are going to take steps to provide cooking gas at concessional rates to people of low income group ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य के विचारों से असहमति का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार की नीति यह है कि सस्ती से सस्ती दर पर गैस उपलब्ध कराई जाये। परन्तु आर्थिक पहलुओं को भी नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि हमें गैस अधिकांशतः सरकारी शोधशालाओं से प्राप्त होती है। जहां हमें यह ध्यान रखना होता है कि शोधशालाओं को घाटा न हो, वहां गैस के युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण से गैस के मूल्य में हुई कमी से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार मूल्य कम करने की आवश्यकता के प्रति भी पूर्णतया सजग है।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या सरकार ने गैस के मूल्यों में भी कमी की है अथवा पहले ही मूल्य स्थिर रखे हैं और क्या मूल्य की यह कमी भाड़े तथा यातायात के मूल्यों के अन्तर के कारण हुई है।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने बताया है कि अब शोधशाला बाहर मूल्य को आधार बनाया गया है जो पहले नहीं था।

Shri Satpal Kapur : May I know whether there is a proposal to convert Rs. 100 security deposit into small saving certificates? May I also know whether any metre can be fixed in a cylinder to detect the quantity of the gas into it?

Mr. Speaker : The question is regarding the price of the gas.

श्री पीलू मोदी : यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इन जमाराशियों से वे लाखों रुपये बना लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री **सतपाल कपूर** : पर क्यों?

श्री समर गुह : क्या प्राकृतिक गैस, जिसे कुकिंग गैस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, ऊपरी आसाम में कुओं के मुहानों पर जलाकर बेकार की जा रही है? इस प्रकार कितनी गैस बेकार की जा रही है और क्या इसे कुकिंग गैस के रूप में प्रयोग करने की सरकर के पास कोई योजना है?

श्री पीलू मोदी : गैस का उपयोग तो वे करते हैं, परन्तु खाना पकाने के लिये नहीं।

श्री समर गुह : प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस बेकार की जारही है। इसे कुओं के मुहानों पर जलाया जा रहा है। इसे खाना पकाने के उद्देश्य के लिये प्रयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? श्रीमन्, संभवतया आपने भी वह क्षेत्र देखा है।

अध्यक्ष महोदय ; यह मूल प्रश्न से किस प्रकार सम्बद्ध है ?

श्री समर गुह : प्रश्न कुकिंग गैस के मूल्य के विषय में पूछा गया है। यदि खाना पकाने के उद्देश्य के लिये प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाये, जो आज बहुत बड़ी मात्रा में बेकार की जा रही है, तो गैस के मूल्य में कमी आसकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गैस की कितनी मात्रा बेकार की जा रही और खाना पकाने के उद्देश्य के लिये इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में तो इनकी बात आयी नहीं है, यदि आप समझ सकें हों, तो कृपया इन्हें उत्तर दे।

श्री एच० आर० गोखले : सरकार भी यह नहीं चाहती है कि प्राकृतिक गैस को जलाया जाये। उपलब्ध गैस को कुकिंग गैस में परिर्वतित करने के सम्बन्ध में इसे सिलेन्डरो में भरने की प्रक्रिया किसी भी स्थान पर उपलब्ध नहीं है अतः इसके लिये कोई विलल्प नहीं है। परन्तु सरकार चाहती है और उसकी नीति भी यही है कि जहां कहीं भी संभव हो शीघ्रातिशीघ्र ऐसी प्रक्रिया बनायी जाये।

Rehabilitation of Disabled Soldiers and Quantum of Assistance to those who were killed

*189. SHRI R. V. BADE :
SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of soldiers disabled in Indo-Pak War of 1971 who have since been rehabilitated and the time by which the remaining soldiers would be rehabilitated; and

(b) the number of families of soldiers killed in action in the wai to whom rehabilitation facilities have been provided and the time by which such facilities would be provided to the remaining families?

रक्षा मंत्रालय में राज्य (रक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विव रण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1971 के युद्ध में जख्मी हुए किसी भी सैनिक को अभी तक सेवा मुक्त नहीं किया गया है। वे या तो अस्पताल में उपचार करा रहे हैं या बीमारी की छुट्टी पर हैं। तथापि उन सैनिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। जिन्हें अयोग्य घोषित कर सेवा से हटा दिये जाने की संभावना है। ऐसे व्यक्तियों की सूचियां बनाई जा रही हैं और इस मामले में उनकी इच्छाओं का पता लगाया जा रहा है। उन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन किया जा रहा है जो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उन व्यक्तियों के बारे में, जो सीधे ही नौकरी करना चाहते हैं, उनकी शैक्षणिक अर्हता, तर्जुबा, उनकी विकलांगता की किस्म, और प्रत्यक्षतः वे किस प्रकार की नौकरी के काबिल हैं, के बारे में ब्यौरे तैयार कर लिए गये हैं और उन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को अग्रेषित कर दिए गयें हैं ताकि उनके लिए नौकरियां चिह्नित की जा सकें। इस संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न आवश्यक कदमों की देख-भाल तथा समन्वय करने के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया गया है।

अपंग सैनिकों के लिए पेंशन सम्बन्धी हित उदार कर दिए गये हैं। इससे उनके पुनर्वास में काफी सहायता मिलेगी।

(ख) उदार बनाए गए पेंशन सम्बन्धी अवार्ड अथवा जांच पूरा हो जाने तक के लिए पेंशन की राशि के बराबर धन उन सभी परिवारों को दे दिया गया है जो उसके पात्र हैं। उदार बनाए गये पेंशन सम्बन्धी अवार्ड उनके पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाता है। रोजगार के बारे में यह है कि सीधा हो रोजगार प्राप्त करने वाले 924 आश्रितों को रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशक के पास मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त युद्ध में मारे गये जवानों के 133 आश्रितों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार की पेशकश की गई है। पुनर्वास के लिए अन्य योजनाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण, उपयुक्त आवास ढूंढने में सहायता, जिनके पास मकान हैं उनके लिए उसकी मरम्मत का प्रबन्ध करना, और जिनके पास अब मकान नहीं हैं उनके लिए क्वार्टरों का निर्माण करना सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श चल रहा है। बिहार, मैसूर और मध्य प्रदेश राज्य उनको विशेषतौर से निर्मित आवास की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ मकान निर्माणाधीन हैं। केरल सरकार कम लागत आवास योजना के अधीन हर विधवा को निशुल्क मकान देने के लिए सहमत हो गई है। युद्ध के कारण हुई विधवाओं के लिए मकान निर्माण परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेने से पूर्व महाराष्ट्र सरकार एक सर्वेक्षण कर रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इमदादी दरों पर 64 प्लाटों का आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निम्न आय/मध्य आय वर्ग के 5 फ्लैट युद्ध के कारण हुई विधवाओं को आवंटित किए हैं। ये प्रबन्ध तो किए जा रहे हैं, युद्ध के कारण हुई विधवाओं को मामूली किराया अदा करने पर रक्षा मूल में से पृथक हुए परिवारों का आवास पाने का पात्र बनाने के लिए भी आदेश जारी कर दिये गये हैं।

Shri R. V. Bade : It has been mentioned in the statement that the lists of the persons who have been declared invalid are being prepared and their wishes in the matter are being ascertained. May I know the number of lists prepared so far and the persons covered under them? May I know whether the details of the children of invalid armed personnel are also being ascertained to mention in those lists referred to by you as under preparation? How many persons have expressed their wishes in this connection?

Shri Vidya Charan Shukla : The House has been informed times and again that the preparation of the lists has not obstructed any kind of help to be provided to disabled armed personnel. We are providing that help which is required to be provided. Preparation of these lists does not mean that those people who are not covered under them are not getting any help from the Government. As has been mentioned in the statement no disabled Jawan has so far been discharged from service. They are either undergoing treatment in hospitals or have been deputed on some work.

As regards children, we have been informed about 900 cases and we are collecting further informations in this regard. According to the figures available with us there are 1936 children associated with the casualties and who are to be provided such facilities. About 900 children have already been provided such facilities. As regards rest of the children, we are following the relevant procedure and hope to complete it very soon.

Shri R. V. Bade : There are three categories of such persons i.e. those who have expired. those who have been wounded and those who are missing. May I know whether you have prepared separate list of each category for whom you are trying to provide rehabilitation facilities? May I know whether the Central Government have discussed the matter, as they discussed it with Madhya Prades [illegible] with other State Governments also for the remaining such persons.

Shri Vidya Charan Shukla : We have discussed the matter with each State. Some of the State Governments have provided built up flats and in some states these arrangements are under way.

श्री ग्रार० वी० बड़े : मैं संख्या जानना चाहता हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : संख्या विवरण में दी गई है। मैं विवरण का तत्संगत भाग पढ़ूगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि :

> "बिहार मैसूर ग्रोर मध्य प्रदेश राज्य उनके लिये विशेष रूप से निर्मित ग्रावास की व्यवस्था करने को सहमत हो गये हैं। उत्तर प्रदेश में पृथक किराये के भवनों का निर्माण विचाराधीन है।"

जहां तक उनकी संख्या का प्रश्न है, मैं इस [illegible] जानकारी एकत्र कर सभा पटल पर रख दूंगा। मुझे इस बारे में जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र करनी होगी यह मामला कार्यवाही के लिये विचाराधीन है ग्रतः उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी सभा पटल पर रखूंगा।

श्री आर० वी० बड़े : उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ सकती है? युद्ध को समाप्त हुए काफी समय हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से म...... ...दस्यों ने सैनिकों की संख्या के बारे में पूछा था।

श्री आर० वी० बड़े : मैंने मकानों की ख्या के बारे में पूछा था। लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उल्लेख कर चुका हूं कि मकानों का निर्माण जारी है। मैं इस बारे में नवीनतम जानकारी सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मकानों की संख्या के बारे में पूछा था अथवा सैनिकों की?

श्री आर० वी० बड़े : मैंने मकानों की संख्या के बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उसे सभा पटल पर रख देंगे। इसमें कोई गल्ती नहीं है। यदि उनके पास मकानों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो वे जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उक्त जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Maha Deepak Singh Shakya : The hon. Minister has stated that some institutions are being chosen for the education of the disabled persons. I want to know their number, statewise, and their places, and the time when this work will be completed?

Shri Vidya Charan Shukla : In case the hon. Member gives a separate notice, I will collect the information and place it on the Table of the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि जिला सिविल अधिकारी सैनिकों और उनके परिवारों विशेषकर विकलांगों के परिवारों को बसाने में असहयोगपूर्ण रवैया अपना रहे हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी बात नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether it is a fact that in case the soldiers go to take the possession of the land allotted to them by the Government, the trouble starts? Whether the Government will issue instructions to the State Governments to take the possession of the land themselves and rehabilitate the soldiers? Whether the Government intend to do something in this matter?

Shri Vidya Charan Shukla : It is true that there are some instances like that. But whenever there is a difficulty like that, we secure the co-operation of the local administration to allot the land to the person concerned. It is true that the Government first trie to get the possession of the land and then allots it to the relevant person. It also happens that sometimes the Government land is in the possession of some unauthorised persons and when efforts are made to get the possession of the land from them, the trouble starts. It such cases Government tries to help the actual allottees.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये विभिन्न नियम बनाये हैं? यदि हां, तो नियमों को समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जारही है?

क्या प्रत्येक राज्य द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवारों को दिये जा रहे अनुग्रह अनुदान और विकलांगों को दिये जा रहे पुरस्कारों में असमानता है? परिवारों को सहायता देने के मामले में लापता व्यक्तियों को मृतक अथवा विकलांग व्यक्तियों के समान समझा जाता है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे जानकारी है लापता व्यक्तियों को मृतकों के समान समझा जाता है। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है विभिन्न राज्य सरकारें अपने स्रोतों के अनुसार सुविधाएं देने की व्यवस्था कर रही हैं। वास्तव में हमने राज्य सरकारों से सहायता देने का अनुरोध किया है लेकिन अपने स्रोतों और अपने क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या को ध्यान में रखकर वे उनके लिये सुविधाओं की व्यवस्था करती है। अपने संसाधनों और अपने राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए हम उन्हें सुविधाओं का मानकीकरण करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।

इंडियन एयर लाइंस में जनता विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव

*190. **श्री पीलू मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने जनता विमान सेवा चालू करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) जनता विमान सेवा से किस सीमा तक सस्ती यात्रा सम्भव होगी और क्या इसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और यदि हां, तो कितना ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयर लाइन्स पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता, अगरतला, खोवाई, कमालपुर, कैलाशहर, मार्ग पर पहले से ही घटी दरों पर प्रति दिन एक सेवा के रूप में अत्यन्त मितव्ययी सेवाएं (आस्टेरिटी सर्विसेज) चला रही है। कारपोरेशन कुछ मार्गों पर जेट विमानों द्वारा रियायती किरायों पर रात्रिकालीन सेवाओं के परिचालन की व्यवहार्यता पर भी विचार कर रही है।

श्री पीलू मोदी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान 22 मई के स्टेटसमैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस सस्ती दर पर जनता सेवा आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है और उसका किराया रेलवे के प्रथम श्रेणी के किराये के बराबर होगा और यह सेवा रात्रि में एक जैट विमान की सहायता से चलेगी जिसकी क्षमता अधिक होगी जिससे वे लोग जो अधिक किराया नहीं दे सकते, लेकिन शीघ्रता से यात्रा करना चाहते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति जो रेलों में प्रथम श्रेणी यात्रा करने क अधिकारी हैं, और जिन्हें काफी समय ट्रंक रूटों पर यात्रा करने में गुजारना पड़ता इससे लाभ उठा सकेंगे। यह विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता लगता है कि एयरलाइंस ने इस बारे में असहमति प्रकट की है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका उत्तर गलत था या एयर लाइंस ने मुख्य मार्गों पर रात में जैट विमान द्वारा घटी दर पर जनता सेवा आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि इस योजना की व्यवहार्यता पर कार्यवाही की जा रही है। प्रत्यक्षतः यह रात को जैट विमान का उपयोग करने का बहुत आकर्षक विचार है। सर्वप्रथम विमानों के रखरखाव पर 6 घंटे लगते हैं। विमान पूरे दिन चलते रहते हैं। उनकी

पूर्ण देखभाल की आवश्यकता है। फिर विमान कर्मचारियों का प्रश्न है। विमान कर्मचारियों को रात में उड़ान भरनी होगी। इस बारे में समझौता करने अथवा और अधिक विमान कर्मचारी नियुक्त करने पर विचार करना होगा।

रात्रि में विमान सेवा आरम्भ करने के परिणामस्वरूप रात्रि पारी में ग्राउन्ड स्टाफ की भी आवश्यकता होगी क्योंकि हवाई अड्डों पर विमानों की सेवाएं न होने पर सामान्यतया ग्राऊन्ड सुविधाएं बन्द कर दी जाती है।

इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अन्य समस्याएं भी है। इन सब के बारे में तैयारी की जा रही है और यदि यह सम्भव हुआ कि हम इस प्रकार की सेवा आरम्भ कर सकेंगे, तो मैं माननीय मंत्री के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि इंडियन एयरलाइंस के लिए यह अतिरिक्त विमान सेवा बहुत उपयोगी होगी।

श्री पीलू मोदी : किसी भी औद्योगिक अथवा सेवा के विस्तार के लिये अधिक लोगों को नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। अतः हमें और अधिक विमान चालकों और विमान कर्मचारियों की, जो देश में बहुत फालतू हैं, नियुक्ति करनी होगी और हवाई अड्डा स्थित कर्मचारी सारी रात काम में लगे रहेंगे। इससे हवाई अड्डे और जैट विमान की प्रतिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग होगा। मैं यह नहीं समझ सका कि ऐसा करना किसी दृष्टि से अनुचित होगा। अतः मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि इन कठिनाईयों को दूर कर.....(अन्तर्बाधाएं) अतः मैं मंत्री महोदय से सिफारिश करूंगा कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करें और इस मामले का शीघ्र हल निकालें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में मिट्टी के तेल का संकट

*191. **श्री सी० के० चन्द्रप्पण : क्या पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मिट्टी के तेल का गम्भीर संकट हैं ;

(ख) क्या सरकार ने मिटटी के तेल का मूल्य 65 पैसे निश्चित किया है जब कि दिल्ली मे मिटटी के तेल की एक बोतल 60 पैसे मैं बेची जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने तथा चोर बाजारी को बन्द कराने के लिए कार्यवाही करने का है ?

विधि और न्याय तथा पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) :—अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, फुटकर विक्रय मूल्य नियत करने तथा उसे लागू करने का काम मुख्यतः दिल्ली प्रशासन से संबन्धित है। पूछे जाने पर, प्रशासन ने बताया है कि अधिक मूल्य लिए जाने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, प्रशासन अपने प्रवर्तन स्टाफ के माध्यम से इस पहलू पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

कानपुर में स्पेशल मिश्रित इस्पात संयंत्र

*192. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर मे स्पेशल मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के कार्य में आगे और क्या प्रगति ई है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) क्या इस परियोजना की सफलता के लिए विभिन्न आयुध कारखानों में कुछ दक्ष पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा दक्ष दस्तकारों को लिया जायेगा; और यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी अनुदेश जारी कर दिये गये है; और

(घ) इस परियोजना मे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उस स्थान पर एक संगठन ने जिसमें महा प्रबंधक, मुख्य इंजीनियर तथा उप वित्तीय सलाहकार हैं अन्य कुछ अफसरों तथा सहायक अमले के साथ कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस संगठन की परियोजना की सामयिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। महा प्रबंधक को विशेष शक्तियां संयन्त्रों तथा मशीनरी को प्राप्त करने, सिविल कार्यों के निर्माण कराने के लिए दी गई है जिससे उपवित्तीय सलाहकार के परामर्श से उसी स्थान पर किए गए निर्णय कार्यान्वित हो सकें।

(ख) अभी हाल में निर्माण कार्य के लिए साइटिंग बोर्ड को सिविल निर्माण कार्यों के ब्यौरे तथा कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप देने के लिए गठित किया गया था। सिविल निर्माण कार्य की विस्तृत योजना अभी हाथ में है।

(ग) जी हां, कुछ दक्ष पर्यवेक्षक अमले को तथा कुशल कर्यचारियों को डी जी ओ एफ संगठन में से तथा इंजीनियर-इन-चीफ ब्रांच में से लिया जाएगा तथा इस संबन्ध में अनुदेशों को जारी कर दिया गया है।

(घ) इस परियोजना में 2,674 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमानों के अपहरण तथा तोड़-फोड़ की घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षात्कम उपाय

*193. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न देशों में विभिन्न विमान सेवाओं के विमानों के अपहरण की घटनाओं में वृद्धि के फलस्वरूप भारत में पर्यटकों के आगमन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने स्थिति का क्या मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं तथा तोड़ फोड़ की गतिविधियों से यात्रियों तथा विमानों की सुरक्षा के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोई कारगर सुरक्षात्मक उपाय किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि विमानों के अपहरण की घटनाओं का भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के आगमन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) : जी, हां। भारत में सभी सिविल विमान क्षेत्रों पर विमानों के अपहरण तथा तोड़ फोड़ विरोधी सुरक्षात्मक उपाय फरवरी, 1971 में लागू कर दिये गये थे। इन उपायों में यात्रियों की शारीरिक तलाशी लेना तथा सामान की तलाशी/शिनाख्त करना, एप्रन तक जाने पर नियंत्रण करना तथा विमान की रक्षा करना सम्मिलित हैं। चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों तथा कुछ अन्य अन्तर्देशीय विमान क्षेत्रों पर धातु का पता लगाने वाले यंत्र प्रतिस्थापित कर दिये गए हैं।

खेती योग्य भूमि की खरीद के लिए किसानों को ऋण देना :

*194. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों, विशेषकर छोटे किसानों, को खेती योग्य भूमि की खरीद के लिये ऋण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिये किसानों को ऋण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने बहुत ही सीमित रूप में, कृषि स्नातकों को फारम विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिये, जिनमें कृषि भूमि की खरीद के लिये, दिया जाने वाला ऋण भी शामिल है, 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की विशेष योजनाएं शुरू की हैं।

घाटे की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि

*195. **श्री समर गुह** :

श्री वनमाली पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक के नवीनतम समीक्षा प्रतिवेदन से यह संकेत मिलता है कि सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा तथा घाटे की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मुद्रा सप्लाई में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या रिजर्व बैंक की समीक्षा के अनुसार मुद्रा की सप्लाई की समस्त वृद्धि का कारण सरकार को दिये गये बैंक ऋण हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में मूल्य की तेजी से हुई वृद्धि पर इस घाटे की व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). संभवतः यह संकेत भारतीय रिजर्व बैंक के मई, 1972 के बुलिटन की ओर है, जिसके अनुसार नवम्बर 1971--अप्रेल 1972 के पिछले व्यस्त मौसम में जनता के नाम मुद्रा की उपलब्धि में 786 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) मूल्यों पर जो दवाव पड़ा है, वह अर्थ-व्यवस्था में एक साथ होने वाली कई वातों का परिणाम हैं और घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रभाव को इससे अलग नहीं किया जा सकता। किन्तु ऐसा लगता है कि मुद्रा उपलब्धि में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य पर बढ़ने की ओर कुछ दवाव पड़ा है।

पाइपलाइन जांच आयोग का प्रतिवेदन

*196. **श्री एच० एम० पटेल** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइपलाइन जांच आयोग ने अपना जांच कार्य पूरा कर लिया

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चिलका लेक में लड़कों के लिए नौसेनिक प्रशिक्षण केन्द्र

*197. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिलका लेक में लड़कों के लिए नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) यह केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). चिलका लैक के समीप अब लड़कों के लिए नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित न करने का निर्णय किया गया है।

Setting up of Branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Bihar

*198. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of Branches of nationalised banks set up so far in the rural areas of Bihar;

(b) the amount of loan advanced for agricultural purposes in Bihar during the last six months;

(c) whether loan facilities provided by the banks to the farmers in Bihar are much less as compared to those provided in other States; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : (a) to (d). As at the end of March 1972, the number of branches of the public sector banks in the rural areas of Bihar was 225.

At the end of December, 1971 (the date up to which information on the point is available), the amount outstanding in respect of public sector banks' direct advances to agriculture in Bihar was Rs. 464.84 lakhs, the number of accounts being 24,232.

Admittedly, Bihar was and continues to remain one of the under-banked States. Consequently, the number of accounts in Bihar has also been rather low. Since the time of nationalisation, a conscious effort is being made to increase the coverage in the State by opening new branches.

At the time of nationalisation, the number of branches of all commercial banks located in Bihar was 273; this increased to 527 by the end of March, 1972. Thus since

the date of nationalisation and upto March. 1972, whereas for the country as a whole the augmentation rate for bank offices was 61 per cent, for Bihar the corresponding rate was higher at 93 per cent. As a result of this branch expansion programme, the average population per bank office in Bihar declined from 2,07,000 as at the time of nationalisation to 1,07,000 in March 1972.

With the enlargement of the bank offices net-work as the banking base in Bihar gains a more solid footing, its ability to serve the people of that State by undertaking a more vigorous drive in fields such as deposit mobilisation and credit extension will improve. A corrective trend is already in evidence as will be seen from the trend for public sector banks' advances for agriculture. Over the period end-December 1970 to end-December 1971, the number of such advances in Bihar increased from 14,761 to 24,232 and the outstanding amount from Rs. 335.73 lakhs to Rs. 464.84 lakhs. Thus, the percentage increase in the number of such accounts was much higher at 64.2 in Bihar compared with the all-India percentage increase at 14%. Similarly, the percentage increase in outstanding amounts in Bihar was higher at 38.4 compared with all-India percentage increase at 8.7.

बंगलौर में एयरो-इंजन बनाने का कारखाना

*199. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित एयरो-इंजन कारखाना अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन की गति तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) मुख्यतः विदेश से माल की सप्लाई देर से प्राप्त होने के कारण, बंगलौर एयरो इंजन फैक्टरी इस समय अपनी क्षमता से कम कार्य कर रही है। माल की सप्लाई में तेजी लाने के लिए सख्त कदम उठाए गये हैं और अब स्थिति में सुधार हो रहा है।

जयपुर मैटल्स, जयपुर पर छापा

*200. **डा० रानेन सेन :** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर मेटल्स, जयपुर पर छापा मारे जाने के फलस्वरूप यह पता लगा है कि उक्त कम्पनी की सरकार द्वारा सरकारी कार्य के लिये दिये गये तांबे के सम्बन्ध में गम्भीर गड़बड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी द्वारा की गयी इस गड़बड़ी के लिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में आयात किये गये तांबे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप की जांच की थी, एवं उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है।

(ख) यह रिपोर्ट वर्तमान में सरकार के परीक्षान्तर्गत है।

सैनिक स्कूल रीवां

1780. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल रीवां पर केन्द्र तथा राज्य का दुहरा नियंत्रण है और व्यव के अनुपात में सैनिक स्कूल की प्रगति संतोषप्रद नहीं है ;

(ख) क्या इस स्कूल में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये स्थान की बहुत कमी है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों तथा छात्रों को सुविधायें देने के लिये केन्द्र सरकार कौन से कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सैनिक स्कूलों का प्रबन्ध सैनिक स्कूल सोसाइटी में निहित है। सनिक स्कूल योजना के अनुसार स्कूल के लिए भूमि, भवन, पुंजीगत उपकरण तथा बहुत संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी जिस राज्य में वह स्कूल स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल में 300 लड़कों की संख्या निश्चित कर इसके विस्तार पर पाबन्दी लगा दी है, हालांकि सैनिक स्कूलों में लड़कों की संख्या 500 से 550 तक होने की आशा की जाती है।

(ख) और (ग). स्कूल में स्टाफ के लिए रियायती आवास की कमी है। यह बात मध्य प्रदेश सरकार को बता दी गई है और इस पर वे विचार कर रहे हैं।

युद्ध-विधवाओं को रोजगर देना

1781. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री युद्ध-विधवाओं को रोजगार देने के बारे में 14 अप्रेल 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कितनी युद्ध-विधवाओं को रोजगार उपलब्ध किया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : युद्ध के कारण हुई सभी विधवाओं को उदार बनाई गई पेन्शन मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त अभी तक केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा युद्ध के कारण हुई 42 विधवाओं को नौकरियां दी गई हैं।

समाचार-पत्रों के बाक्स नम्बर माध्यम से रिक्त स्थानों का विज्ञापन

1782. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक अब लिपिकों के तथा अन्य रिक्त स्थानों के लिए समाचार-पत्रों के बाक्स नम्बरों के माध्यम से विज्ञापन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों के लिए विज्ञापन देते समय अपनी पहचान गुप्त रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध उन बैंकों के अपने-अपने निदेशक मण्डलों द्वारा किया जाता है तथा निदेशक मण्डलों द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियाओं के अनुसार ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती की जाती है। आम तौर पर बैंक अपने कर्मचारियों की भर्ती, समाचार-पत्रों में अपना परिचय देते हुए, खुले विज्ञापनों के माध्यम से करते हैं, तथापि कुछ बैंक समाचारपत्रों के बाक्स नम्बरों के माध्यम से लिपिकीय अथवा अन्य रिक्तयों के लिए विज्ञापन देते हैं। जो बैंक अपना परिचय गुप्त रखते हैं उन्होंने कहा है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके यहां भर्ती का काम करने वाले व्यक्तियों के पास किसी तरह की संभावित सिफारिश आदि न लाई जाए और उन पर दबाव न डाला जाए। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए है।

विदेशी मुद्रा की चोरी का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड द्वारा एक अध्ययन दल की स्थापना

1783. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की चोरी का पता लगाने तथा वर्तमान विनियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड ने एक अध्ययन दल की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). बोर्ड ने पर्यटन के माध्यम से होने वाली विदेशी मुद्रा के क्षरण के प्रश्न पर सामान्य बातचीत की है, तथा एक छोटा वर्ग अपने सुझाव विचार के लिये रिजर्व बैंक के गवर्नर के समक्ष रखेगा। यह सरकार द्वारा इस समस्या के एक विशालतर तथा जारी रहने वाले अध्ययन का भाग है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित स्थानों को सामान्य स्थानों में परिवर्तित करना

1785. **श्री अम्बेश** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कितने-कितने पद हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कितने-कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त प्रत्याक्षी उपलब्ध न होने के कारण श्रेणी-वार कितने-कितने पद सामान्य रिक्त स्थानों में परिवर्तित किये गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

1786. **श्री अम्बेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने पद हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी कितने-कितने हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मंत्रालय (मुख्य) के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :

श्रेणी	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या
I	16	—	--
II	83	1	—
III	70	6	2
IV	51	14	1

कम्पनी कार्य विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी

1787. **श्री अम्बेश** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कितने-कितने पद है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी कितने-कितने हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त प्रत्याशी न मिलने के कारण श्रेणी-वार कितने-कितने पदों को सामान्य पदों में परिवर्तित कर दिया गया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

पालम, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

1788. **श्री लम्बोदर बलियार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम के लिए एक आधुनिक हवाई अड्डा बनाने की योजना तैयार की जा रही है ;

ख योजनाओं की विशेष बातों का व्योरा क्या है और इसके निर्माण पर कुल कितनी लागत आवेगी ;

(ग) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी ऐसे हवाई अड्डें बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). दिल्ली तथा मद्रास विमान क्षेत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय दोनों प्रकार के यातायात तथा बम्बई विमानक्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपेक्षित नयी टर्मीनल सुविधाओं की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मास्टर प्लानों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। दिल्ली विमान-क्षेत्र की मास्टर प्लान मोड्युलर प्रकार की है, जिसमें कुल 9 मोड्यूल सम्मिलित हैं जिनमें से प्रत्येक की प्रतिवर्ष 15 लाख यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता होगी। प्रथम चरण में, एक अन्तर्राष्ट्रीय मोड्यूल का निर्माण करने का प्रस्ताव है। मोड्यूल के लिये 'स्कीमेटिक डिजायन' तैयार किये जा रहे हैं। व्यय प्राक्कलन अभी तैयार किये जाने हैं।

कलकत्ता क नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल का निर्माण पहले ही किया जा चुका है तथा 1970 से चालू कर दिया गया है।

तकनीकी व्यवसायों के कमीशन प्राप्त और गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अतिरिक्त वेतन

1789. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न तकनीकी व्यवसायों/क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय और उसके पश्चात् अल्पकालीन कमीशन प्राप्त और आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित कमीशन प्राप्त और गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते दिये गये हैं और यदि हां, तो उनकी राशि कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तकनीकी व्यवसायों में अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कमीशंड तथा गैर-कमीशंड अधिकारी अपने धारित रैंक का वेतन प्राप्त करते हैं।

ले० कर्नल (अथवा समकक्ष) रैंक तक के कमीशंड अधिकारी जिन्होंने कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, निर्धारित अर्हताओं में से कोई एक रखने पर तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अर्हता वेतन/अर्हता अनुदान पाने के पात्र हैं। अर्हता वेतन तथा अर्हता अनुदान की दरें इस प्रकार हैं:—

(क) अर्हता वेतन

(1) उच्चतम दर	रु० 100.00 प्रति माह
(2) निम्न दर	रु० 70.00 प्रति माह

(ख) अर्हता अनुदान

(1) उच्चतम दर	रु० 2,400.00 प्रति माह
(2) निम्न दर	रु० 1,600.00 प्रति माह

किसी गैर-कमीशंड अधिकारी को किसी तकनीकी व्यवसाय में अर्हता प्राप्त करने पर इस प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ता नहीं दिया जाता। तथापि उनके इस प्रकार की अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें अन्य शर्तों के पूरा करने पर अगले उच्च वेतन-संवर्ग में रखा जा सकता है।

राज्य में उर्वरक समूह की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध

1790. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में एक उर्वरक समूह स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा दिया है और क्या इनकी स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए भी अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). उस राज्य में राक फास्फेट्स तथा पाइराइट्स के भंडारों पर आधारित राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में राजस्थान सरकार के अनुरोध पर राजस्थान में एक उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। कार्यकारी दल ने राजस्थान में इस प्रकार का एक उद्योग समूह स्थापित किए जाने की संभावना व्यक्त की है। इन भंडारों के व्यापारिक समुपयोजन के पश्चात उद्योगसमूह की स्थापना के लिए आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस प्रायोजना के बारे में राज्य सरकार से अभी तक कोई ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

मलाबार सिगार निर्माता एसोसिएशन से अभ्यावेदन

1791. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बटताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू पर लगाये गये उपकर पर पुनर्विचार करने के लिए मलाबार सिगार निर्माता एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

तथापि, मलाबार सिगार निर्माता संघ से दिनांक 15-4-1971 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें आग्रह किया गया है कि तमिलनाडु में निर्मित सिगारों का, शुल्क का अपवंचन करके केरल में लाना बन्द किया जाना चाहिए। इस अभ्यावेदन में तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में की गयी वृद्धि पर पुनर्विचार करने के लिए कोई निवेदन नहीं किया गया है।

(ख) : (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयर लाइन्स के बोइंग 737 विमान की उड़ान का मोहनबाड़ी-डिब्रूगढ़ तक विस्तार

1792. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने और बहुत से व्यापार तथा औद्योगिक संगठनों ने सरकार को ऐसे अभ्यावेदन दिये हैं कि इन्डियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 विमान की उड़ान का विस्तार आसाम के मोहनबाड़ी-डिब्रुगढ़ जिले तक कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस संबन्ध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु मोहनबाड़ी का विमानक्षेत्र अभी बोइंग 737 परिचालनों के लिये उपयुक्त नहीं है । विमान क्षेत्र के सुधार के प्रश्न को नागर विमानन विभाग ध्यान दे रहे हैं।

सोडा-ऐश का उत्पादन

1793. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'सोडा ऐश' के उत्पादन के लिए और लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में देश में इसकी उत्पादन बढ़ाने की स्वीकृति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में 'सोडा-ऐश' का कितना उत्पादन होने की संभावना है और इससे देश की अपनी आवश्यकताएं कहां तक पूरी होंगी; और

(घ) देश में सोडा-ऐश के उत्पादन में वृद्धि से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, दिसम्बर, 1971 से मार्च, 1972 की अवधि के बीच, प्रतिवर्ष 7.21 लाख मीटरी टन की क्षमता के लिए नये यूनिटों/वर्तमान यूनिटों के पर्याप्त विस्तार के सम्बन्ध में 9 आशयपत्र जारी किए गए हैं। प्रतिवर्ष 4.08 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) मई, 1972 में एक वर्तमान यूनिट में प्रतिवर्ष 1.40 लाख मीटरी टन तक क्षमता के विस्तार के लिए एक आशयपत्र जारी किया गया था।

(ग) वर्ष 1972-73 के दौरान देशीय उत्पादन एवं देश में मांग का अनुमान निम्नप्रकार हैः–

देशीय उत्पादन	5,30,000 मीटरी टन
देश में मांग	5,40,000 मीटरी टन

(घ) 1971-72 में 4.78 लाख मीटरी टन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष में उत्पादन के 53,000 मीटरी टन अधिक होने का अनुमान है। इस मात्रा का विदेशी मुद्रा मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा) लगभग 2 करोड़ रुपये होगा।

विदेशी फर्मों द्वारा प्रयोगशाला रसायनों का निर्माण

1794. **श्री मोहम्मद इसमाइल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कतिपय विदेशी फर्मे प्रयोगशाला रसायनों का निर्माण कर रही है जबकि यहां पर्याप्त देशी संसाधन और निर्माता विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में विदेशी फर्मों को प्रवेश करने की सरकार द्वारा अनुमति देने के क्या कारण हैं, और

(ग) प्रयोगशाला रसायनों का निर्माण करने वाली विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). संगठित क्षेत्र में प्रयोगशाला रसायनों के निर्माण के लिए लाइसेंस की गई 2,756 मीटरी टन की कुल क्षमता में से, दो यूनिटों, जिनमें 50% से अधिक विदेशी साम्य शेयर हैं, अर्थात् मैसर्स गलैक्सों लेबोरेटरीज तथा मैसर्स ई० मर्क इंडिया लिमिटेड को केवल 560 मीटरी टन की क्षमता का लाइसेंस दिया गया है। शेष 2196 मीटरी टन की क्षमता का लाइसेंस भारतीय यूनिटों को दिया गया है। मैसर्स गलैक्सों लेबोरेटरीज के बारे में प्रयोगशाला रसायनों का निर्माण शुरू शुरू में उस समय में प्रचलित विविधिकरण नीति के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था। उस निति में परिवर्तन होने से रसायनों का निर्माण 'कैरियिंग-आन-बिजीनैस' लाइसेंस जारी करने से नियमित किया गया है। जहां तक मैसर्स ई० मर्क का संबन्ध है, कुछ औषधियों तथा प्रयोगशाला रसायनों की एक जटलि शृंखला के निर्माण के लिए समेकित योजना के रूप में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।

नेपाल को भारतीय शस्त्रों की सप्लाई

1795. **श्री सी० टी० दण्डपाणिः** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत से भारतीय शस्त्रों की सप्लाई के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) तथा (ख). भारत सरकार की यह नीति है कि भिन्न देशों के लिए जिसमें नेपाल शामिल है यथासम्भव सहायक बना जाय। हमसे की गई मांग के ब्यौरे या विदेशों को रक्षा भण्डारों की पुर्ति के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही प्रकट नहीं की जा सकती है।

श्री आर० पी० गोयनका और उनके परिवार के सदस्यों की भागीदारी वाले औद्योगिक/ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ऋण देना

1796. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो में उन औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कितना ऋण दिया गया जिनके भागीदार श्री आर० पी० गोयनका और उनके परिवार के सदस्य हैं, और

(ख) उसकी शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य, अखिल भारतीय दीर्घावधिक सरकारी वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा श्री आर० पी० गोयनका के औद्योगिक गृह की औद्योगिक कम्पनियों को, जिनकी सूची औद्योगिक लाइसेंस नीति

जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट ।। में दी गयी है, स्वीकृत तथा संवितरित किए गए सावधिक ऋणों का उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऋण मंजूर नहीं करता। ये वितीय संस्थाएं वाणिज्यिक व्यापारी प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता नहीं देती।

पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान केवल भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम में श्री आर० पी० गोयनका के औद्योगिक गृह से सम्बन्धित एक औद्योगिक कम्पनी को विदेशी मुद्रा में दो ऋण दिये, हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

विदेशी मुद्रा के ऋणों की राशि			ब्याज की दर	प्रति भूति	वापसी अदायगी का कार्यक्रम
	स्वीकृत	संवितरित			
	(लाख रुपयों में)				
1.	6.36	3.65	8.5 प्रतिशत वार्षिक	बैंक गांरन्टी	अगस्त, 1971 से फरवरी 1979 तक
2.	6.50	——	9 प्रति शत वार्षिक	–तदैव–	सितम्बर, 1974 से मार्च, 1980 तक

गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमानों की संख्या

1797. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षो के दौरान इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इन्डिया के विमानों से कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई तथा दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों के परिवारों को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धन राशि दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : वर्ष 1969 में इंडियन एयरलाइन्स के पांच विमान, 1970 तीन विमान और 1971 में पांच विमान दुर्घटनाग्रस्त हुये । इनमें से 1969, 1970 और 1971 में एक-एक अर्थात् कुल तीन दुर्घटनायें घातक सिद्ध हुई जिनके लिये कारपोरेशन अब तक मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कुल 30,66,000.00 रुपये मुआवजा अदा कर चुकी है ।

एयर-इंडिया का केवल एक विमान अभ्यास उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त (सन् 1971 में) हुआ था। दुर्घटना घातक नहीं थी अतः कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

मद्रास फर्टिलाइजर्स के उत्पादों का गैर-सरकारी फर्मों के माध्यम से वितरण

1798. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास फर्टिलाइजर्स के उत्पादों के बड़ी-बड़ी गैर-सरकारी फर्मों के मध्यम से वितरण के बारे में एन० पी० के० इडियाना (जून, 1972 अंक) के सम्पादकीय टिप्पणी की ओर गया है ;

(ख) मंत्रालय, मद्रास फर्टिलाइजर्स पर चेयरमैन के माध्यम से, जिसका पद कई महीनों मे रिक्त पड़ा है, नियत्रण रखने में क्यों हिचकिचा रहा है ; और

(ग) मद्रास फर्टिलइजर्स को फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर तथा भारतीय खाद्य निगम आदि द्वारा विकसित विपणन कार्य प्रणाली का प्रयोग करने के लिए राजी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने रिपोर्ट देखी है।

(ख) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० में सरकार के हितों की देख-भाल के लिए, उक्त उपक्रम के निदेशकों के बोर्ड में (चेयरमैन को सम्मिलित करते हुए) सरकार के चार नामित सदस्य हैं । भूतपूर्व पदाधारी (चेयरमैन) की मृत्यु से रिक्त हुए स्थान पर चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इसी बीच में इस समय सरकार का एक सदस्य निदेशक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

(ग) सभी उर्वरक निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए निजी प्रबन्ध करने में स्वतन्त्र हैं। जहां तक मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० का सम्बन्ध है, इस कम्पनी का विक्रय पहलु एक विशेष विषय है जो भारत सरकार और अमोको (इडिया) इन्कारपोरेटिड के बीच हुए फारमेशन एग्रीमेंट के अन्तर्गत विशिष्ट-तया निहित है। इस करार के अनुसार, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० एक सक्षम (उस) विक्रेता या (उन) विक्रेताओं को नियुक्त कर सकती हैं, जो दीर्घावधि के आधार पर कम्पनी के उत्पादों के बड़े हिस्से को खरीदने के लिए सहमत होते हैं तथा जो उचित समय एवं कार्यकुशलता से कृषकों को अपनी विक्रियों के लिए व्यवस्थ भी कर पाते हैं।

नशीली वस्तुओं की बिक्री

1799. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री निहार लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि नशीली वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सरकार का विचार कोन से कदम उठाने का है जैसा कि 9 जुलाई, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ था ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : स्थिति को स्पष्ट करने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3351/72]

चीनी के प्रशुल्क मूल्य का पुनरीक्षण

1800. **श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैक्यूम पान फैक्टरियों में बनाई जाने वाली दानेदार चीनी के प्रशुल्क मूल्य का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति क्विटल पुनरीक्षण मूल्य क्या है और चीनी के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

43 L.S.S./72—4.

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) माह जुलाई अथवा अगस्त 1972 के लिये खुली बिक्री की चीनी के टैरिफ मूल्य में संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

एन्टीबायोटिक्स संयंत्र को हुई हानि

1801. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नौकरशाही तोड़ फोड़ के कारण सरकारी क्षेत्र के एन्टीबायोटिक्स प्लांट को 36 करोड़ रुपये का घाटा" शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 1 जुलाई, 1972 के "ब्लिटस" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) संदर्भित रिपोर्ट में लिखी गई कई बातें गलत तथ्यों तथा भ्रान्त धारणाओं पर आधारित है। रिपोर्ट में इंण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिक्ल्स लि० की कठिनाइयों, विशेषकर प्रारंभिक अवस्थाओं में, कों उपयुक्त ढ़ंग से समझा नहीं गया है। इन कठिनाइयों को जान लिया गया है और इन पर काबू पाने के निश्चित प्रयत्न किए जा रहें हैं। इसके परिणामस्वरूप उपक्रम की हानियों में उत्तरोत्तर कमी की जा रही है और इसकी कुल बिक्री भी 1968-69 में लगभग .1 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1971-72 में 11 करोड़ करोड़ रुपये हो गई है। सरकार कम्पनी के कार्यकरण पर कड़ी तथा सतत निगरानी रख रही है और यथावश्यक कदम उठाये जायेंगे।

दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया से और वहां को तस्करी

1802. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोडेशिया तथा दक्षिण-अफ्रीका से चोरी छुपे माल लाने ने जाने को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इन देशों से कौन-कौन सी वस्तुयें लायी जाती हैं तथा इनको कौन-कौन सी वस्तुयें ले जायी जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार ने रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका से आयात करने तथा वहां के लिए निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। सामान्यतया तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए, जिसमें रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका से तस्कर-आयात करना तथा वहां के लिये तस्कर निर्यात करना भी शामिल है, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्त्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर-व्यापार करने का संदेह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों तथा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जांच की व्यवस्था करना। तस्कर-व्यापारियों को प्रभावी तौर पर रास्ते में ही रोकने, रोक-थाम आदि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त नौकाओं एवं गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही हैं।

सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य की अनन्य रुप से देखभाल करने के लिये तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रुप में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है।

(ख) इन देशों से तथा वहाँ के लिये माल के सीधे तस्कर आयात-निर्यात का कोई मामला नहीं पकड़ा गया है। किन्तु, सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि किसी तीसरे देश को निर्यात की गयी कुछ भारतीय फिल्मों को रास्ते से ही दक्षिण अफ्रीका को भेज दिया जाता है।

केरल में उपलब्ध के नैफ्था का निपटारा

1803. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नैफ्था कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध है; और

(ख) इस समय सरकार इसका निपटारा किस प्रकार करती हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) चालू वर्ष 1972 के दौरान कोचीन परिष्करणशाला में लगभग 1,20,000 मीटरी टन नेफ्था का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) निम्नलिखित उर्वरक तथा रयसान यूनिटों—

(1) एफ० ए० सी० टी० अलवाय

(2) एफ० ए० सी० टी० कोचीन

(3) प्लास्टिक रेसिन्स एंड कैमिकल्स, साहूपुरम की आवश्यकताएं पूर्ण रुप से सबसे पहले पूरी की जाती हैं और शेष उपलब्ध मात्रा यदि कोई हों, अन्य उर्वरक तथा रसायन परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बाहर भेज दी जाती हैं।

Loans by Nationalised Banks to Industries

1804. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the system of granting loan by the nationalised banks for the development of industries is not satisfactory ; and

(b) if so, the improvements being made by Government therein ?

The Minister of Finance **(Shri Yeshwantrao Chavan)** (a) & (b): No, Sir. The Government do not share the view expressed by the Hon'ble Member, in the question. However Government will always consider steps to improve the system, if any lacuna is found.

नायलोन टायर कोर्ड के निर्माण के लिए लाइसेंस देना

1805. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलोन टायर कोर्ड के निर्माण के लिए वर्ष 1971 और 1972 में उद्योगपतियों को कोई लाइसेंस दिए गये हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और क्या उनमें से कोई एकाधिकार गृह से संबंध रखता है; और

(ख) इस समय प्रत्येक पार्टी के लिये स्वीकृत नायलोन क्षमता का मूल्य कितना है और कितने मूल्य की नई क्षमता के लाइसेंस दिए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी हां। नायलोन टायर कोर्ड के निर्माण के लिए 1972 में दो आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदला गया है। इन लाइसेंसों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :--

लाइसेंसों का नाम तथा वार्षिक क्षमता प्रतिवर्ष (मीटरी टनों में)	क्या यह 20 बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित है।
1. मैसर्स दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स कं० लि० (इस प्रायोजना को कार्यन्वित करने के लिए मैसर्स श्रीराम फाइबर्ज नामक एक नई कम्पनी बनाई गई है) क्षमता— 2000मीटरी टन	जी हां
2. मैसर्स नेशनल रेयन कारपोरेशन लि० बम्बई क्षमता 2,200 मीटरी टन नायलोन टायर कोर्ड के निर्माण के लिये इन दोनों पार्टियों के पास पहला कोई लाइसेंस नही है।	जी नही।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, दो पार्टियों नायलोन टायर कोर्ड का निर्माण करती हैं। इन पार्टियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

(1) मैसर्स जे० के० सिन्थैटिक्स . . .	प्रतिवर्ष 1000 मीटरी टन
(2) मैसर्स निरलोन सिन्थैटिक्स फाइबर्ज एंड कैमिकल्स .	प्रतिवर्ष 1400 मीटरी टन।

इनमें से मैसर्स जे० के० सिन्थैटिक्स 20 बड़े गृहों से संबंधित हैं।

Steps to Make up Shortage of Foreign Exchange

1806. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have taken some special steps to make up the shortage of foreign exchange during her current five-year plan ; and

(b)- if so what are those steps ?

The Minister of Finance **(Shri Yeshwantrao Chavan)** (a) & (b) : Efforts are being made to increase selfreliance by increasing indigenous production and promotion of exports to pay for imports needed for the implementation of the Fourth Five Year Plan. The Chief objective of the efforts is to generate export surpluses, improve competitives capacity of exports, remove disabilities which such exports suffer and provide a measure of stability in export policy.

Besides , various measures are being taken to reduce dependence on imports without detriment to growth by further intensification of import substitution.

फर्मों के विरुद्ध जांच कार्य

1807. **श्री राजराज सिंह देव : कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने उन बहुत से मामलों की जांच करने का निर्णय किया है जिनमें कुछ फर्में प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां. तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) जिन कम्पनियों की जांच करायी जानी हैं उन्होंने क्या-क्या अनियमिततायें की हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) रजिस्ट्रार, व्यापार प्रथा अनुबन्ध ने, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 10(क) (3) के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग को 6 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे। इन प्रार्थना-पत्रों के ब्यौरे-युक्त एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3352/72]

सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए समय बद्ध कार्यक्रम

1808. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों का कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए सरकार समय-बद्ध कार्यक्रम के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सरकारी उद्यमों की कार्य तथा प्रबन्ध संबंधी कुशलता में सुधार लगातार एक प्रक्रिया के रूप में करते रहना होगा। सरकार, मासिक प्रगति रिपोर्टों, त्रैमासिक गहन वित्तीय समीक्षाओं तथा अन्य विशेष अध्ययनों के माध्यम से उद्यमों के कार्य की बराबर समीक्षा करती रहती है और इन समीक्षाओं द्वारा बताए गए उपचारात्मक

उपाय करती रहती है। हाल ही में सरकार ने, सरकारी उपक्रमों के संबंध में एक कार्य समिति नियुक्त की है, जिसका उद्देश्य उपक्रमों के कार्यात्मक और प्रबंधकीय दोषों का पता लगाना है ताकि इन दोषों को दूर करने के लिये और कार्य के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में प्रशासनिक मंत्रालयों और कंपनियों के प्रबन्धक-वर्गों की सहायता की जा सके। आशा है कि समिति 1973 के मध्य तक अधिकांश सरकारी उपक्रमों की जांच का कार्य पूरा कर लेगी। समिति सात एककों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

मिग-21 में देशी पुर्जों को बढ़ाने के लिये विशेष दल की नियुक्ति

1809. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग-21 में अधिक मात्रा में देशी पुर्जे लगाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिये सरकार ने एक विशेष अध्ययन दल की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो यह अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Central Industrial Establishment

1810. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the present number of industrial establishments being run by the Central Government; and

(b) the number of Central Industrial establishments under construction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance **(Shrimati Sushila Rohatgi)** (a) and (b) There are 103 Central Government owned industrial and commercial undertakings, out of which 63 are industrial enterprises, including eight under construction.

Foreign Technicians and Engineers in Central Industrial Establishments

1811. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total number of foreign technicians and engineers in the Central industrial establishments including those under construction ; and

(b) the annual expenditure being incurred on their salaries in Indian currency ?

The Deputy Minister of in the Ministry of Finance **(Shrimati Sushila Rohatgi). (a) :** According to available information, the Central Government Industrial and Commercial Undertakings had in employment 14 foreign technical personnel as on 1-1-72 on a regular basis. In addition, these enterprises employed 262 technicians on a purely short term

basis, as on that date. These figures include only the direct employees of the undertakings and exclude technical personnel deputed by the foreign collaborators as part of the technical services provided by them under the collaboration agreement.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

इस्पात सम्बन्धी कार्यवाही समिति के सदस्यों की नियुक्ति

1812. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वश्री के० एम० जार्ज तथा नितिश डेका जोकि सरकारी उपक्रमों संबंधी कार्यवाही समिति के सदस्य हैं, टाटा बन्धुओं से गहरा सम्बन्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष बातों के कारण उनको इस्पात सम्बन्धी कार्यवाही समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है; और

(ग) क्या श्री के० एम० जार्ज, जोकि इस्पात सम्बन्धी कार्यवाही समिति के सदस्य हैं, पहले बोकारो इस्पात लिमिटेड में कार्य करते थे और फिर उन्हें वहां से निकाल दिया गया था तथा उन्हें टाटा बंधुओं द्वारा रख लिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं। श्री के० एम० जार्ज की पहली नियुक्ति 1946 से 1954 तक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में थी लेकिन उसके बाद 15 वर्ष तक लगभग उसके प्रारम्भ से वे सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में कार्य करते रहे हैं और अन्त में 5 वर्ष के लिये उन्होंने बोकारो स्टील लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक के पद पर काम किया। इस समय वह मैसर्स ए० सी० सी० वाइकर्स बेबकाक लिमिटेड में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर नितीश डे ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कर्मचारी के रुप में काम शुरु किया परन्तु 1950-51 में केवल नौ महीनों के लिए वे उसमें रहे। भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता में पिछले सात वर्षों के लिए प्रबन्ध और आचरण सम्बन्धी विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक के रुप में कम्पनी व्यावसायिक हैसियत से प्रोफेसर नितीश डे ने व्यक्तिगत रुप में और अपने संस्थान के दल के सदस्य के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का परामर्श सेवा संबंधी कार्य किया है; इन परियोजनाओं में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी और टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी शामिल है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा और व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस्पात सहित सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकार के सरकारी उद्यमों की प्रबन्ध, कार्यचालन और प्रोद्योगिकी आदि की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कार्यवाही समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया गया था। सरकार का यह विचार है कि उनका व्यापक और विविध अनुभव कार्यवाही समिति के कार्य के अत्यधिक उपयुक्त और उसके लिये लाभकारी है।

(ग) श्री के० एम० जार्ज ने अपनी नियुक्ति पांचवर्षीय करार की समाप्ति पर फरवरी 1969 में बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के पद से अपने आप त्यागपत्र दिया था। वह ए० सी० सी० वाइकर्स बेबकाक लिमिटेड, दुर्गापुर के प्रबन्ध निदेशक रह चुके हैं। मैसर्स ए०सी०सी० वाइकर्स बेबकाक लिमिटेड की सामान्य शेयर पूंजी का लगभग 0.1 प्रतिशत भाग मैसर्स टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का है।

राज्य अधिनियमों सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाये गये प्रशासनिक उपायों की क्रियान्विति

1813. **श्री जे० एम० गौडर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य अधिनियमों, जिनका वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण दिए जाने से सम्बन्ध है, संबंधी विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाये गये प्रशासनिक उपायों को क्रियान्वित किया है;

(ख) कृषि ऋणों के सुचारु रूप से दिए जाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए क्रियान्वित किए गए प्रशासनिक उपायों का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस बारे में कोई विधेयक बनाया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अभी तक तीन राज्य सरकारों, अर्थात मैसूर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने विधेयक तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा में यह विधेयक पास हो गया है और औपचारिक स्वीकृति की प्रतिक्षा की जा रही है। यह विधेयक मैसूर और मध्य प्रदेश की विधान सभाओं में आने वाले सत्रों में पेश किया जायगा।

अन्य सरकारों ने सूचना दी है कि विधेयक का मसौदा तैयार हो रहा है।

इंडियन एयर लाइन्स के कलकत्ता से बम्बई जाने वाले कैरावेल विमान में 27 मई, 1972 को बिना टिकट पाये गये व्यक्ति

1814. **श्री अजीत कुमार साहा :**
डा० रानेन सैन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स के कलकत्ता से बम्बई जाने वाले विमान में 27 मई, 1972 को आठ व्यक्ति बिना टिकट पाये गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा सरकार ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री डा० कर्ण सिंह): (क). जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की कारपोरेशन द्वारा विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है।

पेट्रोलियम की 'हाइड्रो-क्रैकिंग' विधि

1815. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पेट्रोलियम के भारी अंशों की 'हाइड्रो-क्रैकिंग' विधि का विकास करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : पेट्रोलियम के भारी अंशों की "हाइड्रो-क्रैकिंग" एक प्रासंगिक नई विधि है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की केवल कुछ विख्यात बड़ी कम्पनियों द्वारा विकास किया गया है। इस प्रक्रिया में अशोधित तेल से वैक्यूम गैस आयल अंश को संभरण सामाग्री रूप में प्रयोग किया जाता है तथा एक कैटेलिस्ट (उत्प्रेरक) की विद्यमानता में उच्च दाब तापमान (लगभग 100 एटेमासफुरिक और 400 डिग्री सेन्डीग्रेड) के अन्तर्गत हाइड्रोजन के वायुमंडल में भंजन किया जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इस विधि की जानकारी के विकास के लिये प्रयास कर रहा है तथा इस संबंध में प्रायोगिक अध्ययनों को प्रारंभ किया गया है। क्योंकि इस प्रक्रिया में एक वृहत गहन तकनीक निहित है, इसलिये इसमें अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

1816. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने आयुध कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : आर्डनेंस कारखानों की संयंत्र तथा मशीनरी को नवीकरन तथा प्रतिस्थापित करने के सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त पुन: संगठित करने तथा आधुनिकीकरण करने का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। अभी में सरकार ने चार बड़ी योजनाओं को आर्डनेंस कारखानों को पुन संगठित करने आधुनिक करण करने के लिए सस्वीकृति दी है। इसमें स्माल आर्म्स फैक्टरी, किरकी हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी किरकी, आर्डनेंस फैक्टरी मुरादनगर तथा फोल्डाइट फैक्टरी अरूवनकूड शामिल हैं।

बिहार के पालामऊ जिले का सर्वेक्षण

1917. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए बिहार के पालामऊ जिले में उनके मंत्रालय ने कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तेल के अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, जो इस मंत्रालय के अधीन हैं, की है। बिहार के पालामऊ जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किए हैं क्योंकि उस क्षेत्र की चट्टानें, सामान्य रुप से, तेल/गैस ढूंढ़ने के लिये अनुकूल नहीं समझी जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में घायल भारतीय युद्धबन्दी

1818. **श्री कुमारी कमला कुमारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन घायल भारतीय युद्ध बन्दियों की संख्या कितनी है जो कि अभी भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं और उन युद्ध बंदियों की संख्या कितनी है जिनकी पाकिस्तान की हिरासत में रहते हुये मृत्यु हो गई हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से यह अनुरोध करने का है कि उन्हें तुरन्त वापस भारत भेज दिया जाये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रेडक्रास की अन्तरर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा सख्त बीमार तथा जख्मी भारतीय युद्धबन्दी नहीं है जो स्वदेश लौटने योग्य हों। तथापि, भारत सरकार उनसे बात-चीत कर रही है।

पाकिस्तान के अधिकार में चार भारतीय युद्धबन्दी मर गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

1819. **श्री बेंकारिया** :

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितना धन ऋण के रूप में दिया;

(ख) क्या ऋण की राशि में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि जो 18 जुलाई, 1969 को 1839.9 करोड़ रुपये थी, बढ़कर 14 जुलाई, 1972 को 2992.9 करोड़ रुपये हो गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के पास काला धन बरामद होना

1820. **श्री जी० के० दासचौधरी** :

श्री वी० मायावन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के काले धन के बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) तथा (ख) जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के मामलों में, जिनकी मई के महीने में तलाशियां ली गयीं थीं, और कुछ परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थीं, छिपी आय और उस पर कर को सरसरी तौर से निर्धारित करके आय-कर अधिनियम की धारा 132(5) के अधीन आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंतिम कर-निर्धारण अभी अनिर्णीत हैं।

मदुरै के लिए बोइंग विमान सेवा प्रारम्भ करना

1821. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री एम० एस० जोजफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै के लिये निकट भविष्य में बोइंग विमान सेवा प्रारम्भ करने के प्रदर्शन पर सरकार ने विचार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उड़ानें कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है और ये उड़ानें कितने-कितने समय बाद होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की मदुरै से होते हुए बोइंग 737 सेवाएं परिचालित करने की फिलहाल कोई योजनायें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा 250 सीटों वाले डगलस डी० सी०-10 मीडियम रेंज विमानों की खरीद

1822. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 250 सीटों वाले डगलस डी० सी०-10 मीडियम रेंज विमानों की मुख्य बातें क्या हैं जिनको एयर इण्डिया द्वारा खरीदे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) इनको कब तथा किन मार्गों पर चलाया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Setting up of an oil Refinery in Gwalior (M. P.)

1823. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an Oil Refinery in Gwalior (Madhya Pradesh) ; and

(b) if so the main features thereof ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (**Shri H. R. Gokhle**); (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर में प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र

1825. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र नहीं दिये गये है;

(ख) क्या रोजगार के मामले में उनकी कोई वरीयता नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) प्रशिक्षु अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, एच० ए० एल कानपुर में प्रशिक्षण प्राप्त शिखुओं को राष्ट्रीय परिषद के द्वारा (व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए) प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

(ख) अन्य बातों के समान होने पर, अभ्यर्थी जिनके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षू-प्रमाण पत्र है तथा जिन्होंने एच० ए० एल० में प्रशिक्षण प्राप्त किया है बाहर अभ्यर्थियों से अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिनके पास राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होता है उन्हें भर्ती तथा पदोन्नत के प्रयोजन के लिए अनुभव का एक वर्ष गिना जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1971-72 के दौरान प्रति प्रशिक्षु औसत व्यय 2700 रुपये प्रति वर्ष था।

गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर के मजदूर संघ के पदाधिकारियों का हटाया जाना

1826. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर के मजदूर संघ के 5 सक्रिय पदाधिकारियों को जुलाई, 1972 के महीने में सेवा से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को उस समय हटाया गया है जब मजदूर संघ और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ इस फैक्टरी में पूर्ण रुप से औद्योगिक शान्ति बनाये हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों द्वारा ऐसी गम्भीर कार्यवाही किये जाने के क्या कारण हैं; और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर के पांच कर्मचारियों को 5-7-1972 से सेवा से हटा दिया गया है।

(ख) तथा (ग) इन व्यक्तियों को इनके विरुद्ध 21-6-1971 तथा 27-5-1971 को घटी घटनाओं के लिए, क्यों कि उन्हें आरोप पत्र दिया गया था विभागीय कार्यवाही के लिए गठित की गई जांच अदालत की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। सरकार मामले पर विचार करेंगी, जब निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत मामला उसके समक्ष लाया जायगा।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश के कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय

1827. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों की कुछ मांगे सरकार के विचाराधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पर इस बीच कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या मजदूर संघ ने तीन वर्ष के लिए हाल में एक समझौता किया है जिससे औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित हो गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख) जी हां, एन्टीबायोटिक्स प्राजेक्ट (ऋषिकेश) द्वारा पेश की गई 40 मांगों में से, 37 मांगों या तो तय कर दी गई थीं या यूनियन द्वारा छोड़ दी गई थीं। शेष तीन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के कुछ एककों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अभ्यावेदन

1328. **श्री राम सहाय पांडे**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रस्तावित 40 करोड़ रुपये के पेट्रो-रसायन उद्योग समहों के कुछ एककों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा आरम्भ किया गया 'जन सम्पर्क' कार्यक्रम

1829. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में करदाताओं को उनके कर्तव्य तथा दायित्वों के बारे में शिक्षित करने के लिये एक जन सम्पर्क कार्यक्रम आरम्भ किया था; और

(ख) यदि हां, तो आरंभ किये गये उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा उनसे क्या लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के दौरान, विभाग के अधिकारियों ने करदाताओं के छोटे छोटे समूहों को प्रादेशिक भाषाओं में आसान शब्दों में आय-कर अधिनियम की खास-खास बातों को समझाया। टेलीविजन और आकाशवाणी पर वार्ताएं भी दी गयीं। हिन्दी और अंग्रेजी में निकाली गयी पुस्तिका "आपकी सहायता के लिए हमारी सहायता कीजिए" को बहुत बड़ी मात्रा में वितरित किया गया। ये कार्यक्रम की विशिष्टताएं थीं। आशा है कि इससे पारस्परिक विश्वास और भरोसे का वातावरण तैयार होगा और मध्यम तथा कम आय समूहों के काफी लोगों को कर कानूनों का स्वच्छा से पालन करने में प्रोत्साहन और सुविधा मिलेगी।

आयकर वसूल करने सम्बन्धी प्रक्रिया का सरल बनाया जाना

1830. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयकर वसूल करने सम्बन्धी प्रणाली को सरल बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जी, हां। आय-कर वसूल करने की प्रणाली को सरल बनाने ले लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कर्त्तव्यानुसार कार्य-विभाजन की योजना को लागू करना। इसके अन्तर्गत कर की वसूली का कार्य रेंज में एक या एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कार्य बना दिया गया है।

(2) रेखित चैकों को स्वीकार करने के लिए कुछ आय-कर कार्यालयों में विशेष प्राप्ति काउण्टरों का खोला जाना।

(3) देश भर में बकाया वेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। इन अवधियों में अनिर्णीत समायोजनों/भूल सुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया शुद्ध मांगों की रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्टलिंग की नई विनिमय दरों की घोषणा

1831. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने लन्दन की मंडी में ब्रिटिश मुद्रा के अस्थिर स्तर को देखते हुए स्पाट स्टलिंग के लिए अपनी नई क्रय तथा विक्रय दरों की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो घोषित की गई दरें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टर्लिंग के हाजिर (स्पाट) सौदों के सम्बन्ध में 4 जुलाई, 1972 से क्रय तथा विक्रय की निम्नलिखित संशोधित दरों की घोषणा की है :—

क्रय दर प्रति 100 रुपया — 5.3333 पौण्ड

विक्रय दर प्रति 100 रुपया — 5.3050 पौण्ड

ये दरें बराबर लागू हैं ।

मैसूर में आयकर की बकाया राशि

1832. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गत दो वर्षों से आयकर की जिलावार कुल कितनी राशि बकाया पड़ी है; और

(ख) ऐसे कितने मामले दो वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं और बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मैसूर राज्य में जिलेवार आयकर की बकाया की कुल रकम पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए निम्नानुसार है :—

जिले का नाम	31-3-1971 को बकाया रकम (हजार रु० में)	31-3-1972 को बकाया रकम (हजार रु० में)
1	2	3
1. बंगलौर	26029	19474
2. कोलार	595	314
3. तुमकुर	119	120
4. मण्डया	153	160
5. दक्षिण कनारा	585	638
6. मैसूर	1476	785

1	2	3
7. कुर्ग .	103	58
8. धारवाड़ . .	1934	1475
9. गुलबर्गा . .	1256	758
10. रायचूर .	582	551
11. बीदर	86	147
12. बेलगाम	1378	1612
13. बीजापुर	327	281
14. उत्तर किनारा	339	363
15. शिमोगा	286	337
16. चित्रदुर्ग	100	111
17. बेल्लारी	324	201
18. हासन	32	67
19. चिकमागलूर	149	39
योग	35853	27491

(ख) ऐसे 218 मामले थे जिनमें 31 मार्च, 1972 की स्थिति के अनुसार दो वर्ष से अधिक समय से 10,000 रु० से अधिक का बकाया था।

कुछ मामलों में न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा मांगे स्थगित कर दी गई हैं।

शेष मामलों में, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर वसूली अधिकारियों और आयकर अधिकारियों (वसूली) द्वारा निम्नानुसार वसूली की कार्यवाहियां की जा रही हैं :—

(i) निर्धारितियों को देय रकम धारा 226(2) और 226(3) के अधीन कुर्क और वसूल की जा रही हैं।

(ii) अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और बकाया कर को वसूल करने के लिए बेचा जा रहा है।

(iii) चल सम्पत्तियों का विनिगृहण और विक्रय किया जा रहा है।

(iv) उनके द्वारा जमा रखी गई रकमों को रोकने और विभाग को अदा करने के लिए धारा 226(4) के अधीन मामलों को न्यायालयों में ले जाया गया है।

(v) उपयुक्त मामलों में वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय के रूप में कर वसूली अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा रहे हैं।

आसाम में प्राकृतिक गैस की बरबादी

1833. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस को जलाकर बरबाद किया जा रहा है;

(ख) वहां कुल कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध है तथा गत तीन वर्षों में नामरूप फर्टिलाइजर्स एण्ड कम्पनी ने कितनी गैस का उपयोग किया तथा उसे जलाकर बरबाद किया;

(ग) उक्त अवधि में जलाकर बरबाद की गई गैस का मूल्य, रुपयों में, कितना है; और

(घ) क्या सरकार ने इस समय बरबाद की जा रही गैस के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है; और यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) जी, हां । असम में प्राकृतिक गैस की कुछ मात्राएं भवके द्वारा उड़ाई जा रही हैं ।

(ख) सूचना निम्न प्रकार हैं :—

(i) **आयल इंडिया लि० के क्षेत्र**

(घन मिलियन मीटरों में)

गैस	1969	1970	1971
उत्पादन की गई गैस	794.577	892.089	941.930
भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप यूनिट द्वारा प्रयुक्त की गई गैस	44.862	51.714	52.483
अन्य मुख्य उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई गैस .	182.752	185.326	197.895
आयल इंडिया लि० द्वारा स्वयं प्रयोग में लाई गई गैस	66.897	55.086	70.245
भबके द्वारा उड़ाई गई गैस	500.066	599.963	694.307

(ii) **तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्र**

गैस	1969-70	1970-71	1971—72
उत्पादन की गई गैस .	9.60	9.52	20.25
उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई गैस	0.43	0.44	0.99
भवके द्वारा उड़ाई गई गैस . . .	9.17	9.08	19.35

(ग) जहां तक आइल इंडिया लि० द्वारा भवके से उड़ाई गई प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है, इसके मूल्य के सम्बन्ध में सूचना इकटठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जाएगी । गत तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भवके से उड़ाई गई गैस का कुल मूल्य 19.48 लाख रुपये है ।

(घ) उपभोक्ताओं, विशेषरूप से भारतीय उर्वरक निगम की आवश्यकताओं में पूर्वानुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए, आयल इंडिया लि० के पास उपलब्ध गैस की मात्रा की वचनबद्धता है। उपभोक्ताओं को इसे सप्लाई करने से पूर्व, आयल इंडिया लि०, इस गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निष्कासन की सम्भाव्यता की भी जांच कर रहा है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित गैस (जो कच्चे तेल के साथ सम्मिलित गैस के रूप में निकलती है) की थोड़ी मात्रा में से, कुछ मात्रा उक्त आयोग के निजी परिचालनों (कार्यों) के लिए प्रयोग की जाती है; कुछ मात्रा ईंधन के रूप में निकटवर्ती चाय बागान को सप्लाई की जाती है और शेष मात्रा औद्योगिक ग्राहकों, जो गैस की ऐसी लघु मात्राओं को ले सकते हैं; के न मिलने के कारण भवके से उड़ानी पड़ती है। किन्तु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गैस की सप्लाई के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ भावी उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कर रहा है।

आयकर सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

1834. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जून, 1972 को आयकर सम्बन्धी अनिर्णीत पड़े मामलों की सर्कल-वार संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे मामलों पर यथा सम्भव शीघ्र निर्णय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में 30 जून, 1972 को आयकर निर्धारणों के अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और उसका संकलन किया जा रहा है। तथापि, 1 अप्रैल, 1972 को अनिर्णीत पड़े आयकर निर्धारणों (पिछले बकाया और चालू) की संख्या 40,87,664 थी। इन अनिर्णीत कर-निर्धारणों का कार्य-क्षेत्र वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार ने अनिर्णीत कर-निर्धारण के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण उपाय किये हैं :—

(i) 1 अप्रैल, 1971 से 'संक्षिप्त कर निर्धारण योजना' लागू करना आयकर अधियियम, 1961 की धारा 143(1) में संशोधन करके और समुचित विभागीय अनुदेश जारी करके निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणियों के आधार पर छोटे-छोटे मामलों में सरसरी तौर पर कर-निर्धारण पूरा करने के अधिकार आयकर अधिकारियों को, दे दिये गये हैं। ऐसे संक्षिप्त कर-निर्धारणों के लिए, निर्धारिती द्वारा घोषित आय निर्धारित नेमी समायोजनाओं के उपरान्त स्वीकार कर ली जाती है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारिती का आयकर कार्यालय में बुलाना अथवा उससे खाता बहियां, आदि पेश करवाना आवश्यक नहीं होता। इस त्वरित ढंग से लगभग 75 प्रतिशत अनिर्णीत कर-निर्धारणों के पूरा किये जाने की आशा है और सम्बन्धित निर्धारितियां को असुविधा भी नहीं होगी।

(ii) शेष महत्वपूर्ण मामलों को अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी आयकर अधिकारियों द्वारा सामान्य विस्तृत छान-बीन करके निपटाया जाना है; ऐसे मामलों पर अधिक ध्यान देने के लिए वरिष्ठ आयकर मंडल निर्धारित किये जा रहे हैं।

(iii) कर-निर्धारण पूरा करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित मियाद 4 वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1971-72 में 37.76 लाख आयकर निर्धारण पूरे किये गये जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में निपटाए गये 34.92 लाख मामलों के मुकाबले काफी अधिक थे। वर्ष 1970-71 के बाद कर-निर्धारण के 12.38 लाख अग्रणीत मामलों के मुकाबले 1971-72 के बाद आगे ले जाये गये कर-निर्धारण के बकाया मामले केवल 11.24 लाख थे।

विवरण

आयकर आयुक्त का कार्यक्षेत्र	अनिर्णीत कर-निर्धारण
1	2
आन्ध्र प्रदेश-I	88,964
आन्ध्र प्रदेश-II	1,13,461
असम	84,587
बिहार	1,34,080
बम्बई नगर-I	1,01,557
बम्बई नगर-II	80,188
बम्बई नगर-III	77,669
बम्बई नगर-IV	80,011
बम्बई नगर-V	83,432
बम्बई (सेंट्रल)	3,103
कलकत्ता (सेंट्रल)	3,717
दिल्ली-I	71,614
दिल्ली-II	61,629
दिल्ली-III	25,247
दिल्ली-IV	85,407
दिल्ली (सेंट्रल)	3,789
गुजरात-I	1,56,728
गुजरात-II	1,47,058
गुजरात-III	1,37,814

1	2
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	88,423
कानपुर	1,56,086
केरल	88,885
लखनऊ	1,33,699
मध्य प्रदेश	1,33,574
मद्रास-I	1,06,145
मद्रास-II	1,67,364
मद्रास (सेंट्रल)	4,244
मैसूर	1,36,403
नागपुर	66,202
उड़ीसा	58,201
पूना	1,62,923
पंजाब	2,00,391
राजस्थान	1,55,553
पश्चिम बंगाल-I	1,56,935
पश्चिम बंगाल-II	2,04,489
पश्चिम बंगाल-III	2,01,819
पश्चिम बंगाल-IV	1,34,641
पश्चिम बंगाल-V	1,91,632
जोड़	40,87,664

जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगपतियों/उद्योगों को दिये गये ऋण

1835. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगपतियों और उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1970, 1971 और 1 जनवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक ऋण दिये; और

(ख) 30 जून, 1972 तक ऐसे प्रत्येक उद्योगों/उद्योगपतियों के नाम ऋण की कुल कितनी धनराशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अलग-अलग उद्योगपतियों को नियत अवधि वाले ऋण नहीं देता है। ऐसे ऋण केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को दिये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1969-70, 1970-71, और 1971-72 में और 1 अप्रैल, 1972 से 30 जून, 1972 तक की अवधि में, जीवन बीमा निगम ने उद्योगवार जो ऋण मंजूर किये हैं तथा वस्तुतः दिये हैं वे नीचे दिये गये हैं :—

(लाख रूपयों में)

उद्योग	वित्तीय वर्ष 1969-70		1970-71		1971-72*		1-4-1972 से 30-6-1972*	
	मंजूर किए गये	वस्तुतः दिये गये	मंजूर किये गये	वस्तुतः दिए गये	मंजूर किए गये	वस्तुतः दिए गये	मंजूर किए गये	तक वस्तुतः दिये गये
1. एल्यूमीनियम	—	—	100.00	—	—	—	—	—
2. सीमेंट . .	—	38.00	—	77.00	—	—	—	—
3. रंग, रसायन और औषधियां	50.00	80.00	—	115.00	1330.00	35.00	150.00	—
4. बिजली का सामान .	—	—	—	—	50.00	—	—	—
5. इंजीनियरी	—	21.50	—	80.00	25.00	—	—	—
6. लोहा और इस्पात .	—	—	—	—	—	—	25.00	—
7. खनिज तेल	50.00	—	—	—	—	50.00	—	—
8. कागज तथा गत्ता . .	135.00	—	—	—	—	—	—	—
9. शर्करा (चीनी) और ब्रीवरीज	200.00	134.00	—	203.50	240.00	168.00	—	16.50
10. टैक्सटाइल (सूती मिलों से भिन्न)	—	30.00	100.00	—	—	—	—	—
11. विविध .	20.00	—	—	—	7.50	—	—	—
योग	455.00	303.50	200.00	475.50	1652.50	253.00	175.00	16.50

*लेखा परीक्षा होना है।

(ख) (लाख रुपयों में)

उद्योग	बकाया रकम*
1. सीमेंट	541.47
2. सूती कपड़ा	138.50
3. रंग, रसायन और औषधियां	1179.00
4. बिजली का सामान	156.13
5. इंजीनियरी	151.50
6. पटसन	46.50
7. खनिज तेल .	50.00
8. कागज और गत्ता	220.00
9. शर्करा (चीनी) और ब्रीवरीज	695.00
योग	3178.10

*लेखा परीक्षा होना है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना के कार्य के पुनर्विलोकन के लिये समिति की स्थापना

1836. **श्री के० मालन्ना :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय छात्र सेना के कार्य के पुनर्विलोकन के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) समिति अपना कार्य कब तक शुरू कर देगी और सरकार को प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित समिति की संरचना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) ऐसी सम्भावना है कि गठन होने की तारीख से समिति अपना कार्य पूरा करने तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग छः महीने का समय लेगी ।

मैसूर में तेल की खोज

1837. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैसूर राज्य में तेल की खोज की योजना का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं। मैसूर राज्य का भूविज्ञान सुप्रसिद्ध है और तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए उदगम चट्टानों की विद्यमानता का संकेत नहीं देता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

OVERDRAFTS BY STATES

1838. Shri Shankar Dayal Singh :

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of overdrafts drawn from the Reserve Bank of India by each State during the current financial year ; and

(b) whether Government have prescribed any limit above which money cannot be withdrawn by way of overdraft ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :(a) & (b) A statement showing the overdrafts of various States on 1st and 29th April, 1972 is laid on the Table of the House. Under the procedure which has since been worked out in consultation with the Planning Commission and the Reserve Bank and which has come into effect from the 1st May, 1972, in case any State Government has an overdraft continuously for seven days, the Reserve Bank would automatically suspend payments which will be resumed only when the overdrafts disappears. No State has been overdrawn with the RBI for more than seven days continuously since 1st May, 1972.

STATEMENT

OVERDRAFTS BY STATES

	As on 1-4-1972	As on 29-4-1972*
1. Andhra Pradesh .	78.08	92.61
2. Assam . .	41.30	45.49
3. Bihar . .	47.83	49.47
4. Haryana . .	25.06	36.24
5. Himachal Pradesh	..	2.91
6. Kerala . .	47.91	57.76
7. Maharashtra .	17.98	26.29
8. Meghalaya .	1.80	
9. Mysore . .	68.30	71.49
10. Orissa . .	1.48	
11. Rajasthan .	89.13	99.60
12. Tamil Nadu .	78.55	68.31
13. Uttar Pradesh .	33.94	44.45
14. West Bengal .	12.73	47.30
ALL STATES	**445.09**	**641.92**

*30th April was a Sunday. Accordingly figures have been given for the preceding working day.

ASSISTANCE FROM FOREIGN COUNTRIES FOR FOURTH PLAN

1839. **Shri Dhan Singh Pradhan :** Will the Ministei of Finance be pleased to state :

(a) whether some countiies have delayed the fulfilment of their promises of assistance or India's Fourth Five Year Plan, and

(b) if so, the names thereof and its impact on the plan ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) Commitments are made only on an annual basis and not for the Five Year Plan. Only the United States had not made any fresh commitment against the indications of aid given at the Consortium meeting held in 1971. This will not, however, have any significant impact on the Plan as all possible efforts are made to ensure that the programmes included in the Five Year Plan are implemented through increased emphasis on self-reliance as a result of import substitution as well as export promotion.

मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में राजस्थान सरकार का विरोध

1840. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के निर्णय के विरुद्ध केन्द्र सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इंडिया के पास फालतू 707 विमान

1841. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के पास कुछ बोइंग-707 विमान फालतू हो गये हैं तथा वह उन्हें बेच देना चाहता है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या एयर इंडिया समुचित योजना बनाए बिना ही विमान खरीद लेता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुछ बोइंग-707 धारिता का इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चार्टर आधार पर प्रयोग किया जा रहा है । अतः, चालू वर्ष के दौरान, एयर इंडिया के पास कोई फालतू धारिता नहीं होगी । 1973 में कुछ फालतू धारिता उपलब्ध हो सकती है तथा इसके उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है । एयर इंडिया का फिलहाल अपने किसी विमान को बेचने का कोई इरादा नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

फालतू पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण बोइंग–737 विमानों की उड़ानें बन्द होना

1882. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण हाल ही में प्राप्त किये गए बोइंग-737 विमानों की उड़ाने बन्द हो गई हैं ;

(ख) क्या अमेरीकी निर्माताओं ने भारत को फालतू पुर्जे देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा अंशदान

1843. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री पी गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंशदाता के रूप में प्रकट हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने अब तक कितना अंशदान दिया है; और

(ग) भारतीय अंशदान के फलस्वरूप लाभान्वित हुए देशों के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां । पिछले कुछ वर्षों से भारत कोलम्बो योजना का सबसे बड़ा अंशदाता है

(ख) 1971 के अन्त तक भारत के अंशदान का ब्योरा इस प्रकार है :

1. तकनीकी सहायता का मूल्य	475.7 लाख रुपये
2. भेजे गए विशेषज्ञों की संख्या (नेपाल को छोड़कर)	212
3. प्रशिक्षण के लिए स्थानों की व्यवस्था	4997

इसके अतिरिक्त 31 दिसम्बर, 1971 के अन्त तक नेपाल और भूटान को 37.20 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1972 के अन्त तक 90.00 करोड़ रुपये की आर्थिक एवं वित्तीय सहायता दी गई ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अफगानिस्तान

आस्ट्रेलिया

बर्मा

कम्बोडिया

इण्डोनेशिया

ईरान

जापान

दक्षिण कोरिया

लाओस

मलेशिया

मालदीवी

नेपाल

न्यूजीलैण्ड

पाकिस्तान

फिलीपीन

सिंगापुर

श्री लंका

थाइलैण्ड

दक्षिण वियतनाम

इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों द्वारा पायलटों की विश्वव्यापी सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया जाना

1844. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री कें बालतण्डायुतम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के अपहरण तथा उनमें तोड़फोड़ करने के विरुद्ध पायलटों की 24 घण्टे की विश्वव्यापी सांकेतिक हड़ताल में इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों ने भी भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या विमानों के अपहरण के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण ईराक में तेल की खुदाई सम्बन्धी योजना

1845. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री रामकंवर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एक दल ने तेल की खुदाई के लिए क्षेत्र का अध्ययन करने हेतु बगदाद का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा उपलब्धियां क्या रहीं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) दल की रिपोर्ट पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उस क्षेत्र, जिसे उन्होंने बहुत आशाजनक समझा, में अन्वेषण करने हेतु बोली देने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बोली दे दी है।

राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम से सहायता

1846. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में भारत को सहायता देने के लिए राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा कुल कितने धन का नियतन किया गया है; और

(ख) इस राशि से कितनी नई परियोजनाओं के लिए सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रबन्ध परिषद ने जून 1972 में जेनेवा में हुए अपने अधिवेशन में भारत के लिए 1972-76 की पांच वर्ष की अवधि के लिए 5 करोड़ डालर की निदेशात्मक आयोजना राशि वाला एक देश वार कार्यक्रम स्वीकार किया है।

(ख) अपने देशवार कार्यक्रम में हमने मुख्य-मुख्य विकास क्षेत्रों की 123 बड़ी परियोजनाएं शामिल की हैं। ये परियोजनाएं जारी रहने वाली चल रही विस्तार और नई परियोजनाएं हैं। नई परियोजनाओं की संख्या 72 है। छोटे पैमाने की परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय व्यवस्था की गई है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस कायत्रम को समूचे रूप से अनुमोदन किया है न कि विशिष्ट परियोजनाओं का/अलग-अलग परियोजनाओं के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासन को अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रशासन द्वारा उनका अनुमोदन 5 करोड़ डालर की निदेशात्मक आयोजना राशि की सीमा के अन्दर अन्दर ही होगा।

वर्तमान तेल शोधक कारखानों का विस्तार

1847. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में वर्तमान तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). वर्तमान तेल परिष्करणशालाओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित प्रायोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है --

(1) **कोचिन परिष्करणशाला** :—इस परिष्करणशाला को लगभग 1 मिलियन मीटरी टन तक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मार्च, 1971 में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था इस प्रायोजना पर 5.11 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। अतिरिक्त क्षमता के 1973 में चालू हो जाने की आशा है।

(2) **बरौनी परिष्करणशाला**:—यद्यपि इस परिष्करणशाला की डिजाइन क्षमता 3 मिलियन मीटरी टन है, किन्तु असम क्षेत्रों से पाइपलाइन की सीमित क्षमता के कारण यह प्रति वर्ष 2.2 मिलियन मीटरी टन की क्षमता पर कार्य कर रही है।

आयातित कच्चे तेल के शोधन द्वारा शेष क्षमता को इस्तेमाल करने का विचार है। मध्य-पूर्व से उपलब्ध कच्चे तेलों में से अधिकांश उच्च सल्फर युक्त हैं अतः परिष्करणशाला को उच्च सल्फर युक्त तेलों का शोधन करने के योग्य बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन/परिवर्धन किए जा रहे हैं।

प्रायोजना की अनुमानित लागत 13.6 करोड़ रुपये है और इसके 1974 के मध्य तक मुकम्मल हो जाने की आशा है। तथापि, अपेक्षाकृत कम सल्फर युक्त आयातित कच्चे तेल के इस्तेमाल से परिष्करणशाला के निष्क्रिय यूनिट के 1972 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

(3) **कोयाली परिष्करणशाला** :—यद्यपि परिष्करणशाला की डिजायन क्षमता प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन है तथापि इसमें पुनः मरम्मत तथा अड़चनें दूर करने से इसकी क्षमता बढ़ाकर प्रति वर्ष 4.3 मिलियन मीटरी टन की जा चुकी है परिष्करणशाला के और विस्तार करने के प्रश्न के तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट की जांच की गई है और देशीय कच्चे तेल से अनुपूरित

आयातित कच्चे तेल के शोधन के लिए रुपांकित परिष्करणशाला का प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन मीटरी टन तक विस्तार करने के लिए भारतीय तेल निगम को एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है

समुद्र-जल में तेल की खोज के लिए जापान से एक स्वचालित प्लेटफार्म प्राप्त करना

1848. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में समुद्री जल में तेल की खोज के लिए जापान से एक स्वचालित प्लेटफार्म प्राप्त करने जा रही है ; और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या समुद्र में कुओं की खुदाई आरम्भ हो गई है ;

(ग) इनके पूरी क्षमता से कार्य करने पर देश की तेल की आवश्यकताएं कहां तक पूरी होंगी; और

(घ) इससे तेल का कितना वार्षिक उत्पादन होने की आशा है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए एक 'सेल्फ प्रोपैल्ड जैक-अप ड्रिलिंग' जलयान का इस समय जापान के एक पोत-प्रांगण में निर्माण हो रहा है। प्राप्त हो जाने पर यह जलयान बम्बई हाई तथा हमारे महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के अन्य भागों में तेल की खोज करने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस जलयान के दिसम्बर, 1972 में बम्बई में पहुंच जाने की आशा है। जलयान के बम्बई में पहुंच जाने के तुरन्त बाद बम्बई हाई तथा संलग्न संरचनाओं में अपतटीय अन्वेषी ड्रिलिग शुरू किए जाने की आशा है। भावनगर में निर्मित एक स्थिर प्लेटफार्म से खंभात की खाड़ी के गहरे पानी में अलियाबेट पश्चिम संरचना में एक अपतटीय कुंआ खोदा गया था।

(ग) और (घ). प्रत्याशित अपतटीय क्षेत्रों में जब तक पर्याप्त कुंए खोदे नहीं जाते और उनका परीक्षण नहीं किया जाता, इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

लघु स्तर पर निर्माण कार्य करने के लिए सैनिकों की सहकारी संस्थाएं

1849. **श्री नाराण चन्द पाराशर :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरानाटिकस लि०, भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० भारत अर्थ मूवर्स लि० और हैवी वैहीकल्स फैक्टरी के लिए मदों का लघु स्तर तर निर्माण कार्य के लिए सैनिकों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना की संभाव्यता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सेना कार्मिकों को सहकारी समितियां बनाकर अथवा अन्य तरीके से व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी जाती। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों को सहकारी समितियां बनाने और लघु उद्योग द्वारा उत्पादन करने की आज्ञा है जिसमें रक्षा तथा अन्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए मदों का निर्माण भी सम्मिलित है। इसके लिए निधि का सृजन किया गया है और ऐसी गतिविधियों के लिए इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है।

कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में वायुसेना की एक स्क्वैड्रन का तैनात किया जाना

1850. **श्री नारायण चन्द पाराशर** :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में वायुसेना की एक स्क्वैड्रन तैनात करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). 26 जनवरी 1972 को एक एन०सी०सी० एयर स्क्वैड्रन कुल्लू में गठित की गई है।

कोष-कार्यालयों को व्यपगत जमाराशियों की वापसी के लिए स्वीकृति देने की शक्ति

1851. **श्री नारायण चन्द पाराशार** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सलाह दी है कि वे कोष कार्यालयों को कुछ विशिष्ट मामलों में व्यपगत जमा राशियों की वापस-अदायगी के लिए स्वीकृति देने की शक्तियां दे दें तथा ऐसी अदायगियों के लिए महालेखापरीक्षक से पूर्वानुमति जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दें ;

(ख) किन-किन मामलों के लिए इस तरीके की सलाह दी गई है; और

(ग) उन राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिन्होंने उक्त सलाह को स्वीकार किया है तथा क्रियान्वित किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . जी हां, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे राजकोष अधिकारियों को यह अधिकार दे दें कि वे महालेखाकार की स्वीकृति के बिना उन व्यपगत जमाराशियों की वापसी के लिए स्वीकृति दे सकते हैं जिनके बारे में सम्बद्ध राजकोषों द्वारा विस्तृत लेख रखे जाते हों।

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और हरियाणा की राज्य सरकारों ने उपर्युक्त सिफारिश के क्रियान्वित किए जाने की पुष्टि की है।

पेंशनों की बकाया राशि का भुगतान

1852. श्री नारायण चन्द्र पाराशर :
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलैक्टरों को उन पेंशनों की, जिनको एक वर्ष से अधिक समय से नहीं लिया गया है और जिनकी राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, बकाया राशि के भुगतान का अधिकार देने सम्बन्धी आदेश दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे आदेश देने का है और यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खजानों संबंधी संगठनात्मक ढाचों के नवीकरण के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1853. श्री नारायण चन्द्र पाराशार :
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने खजानों की कार्यदक्षता में सुधार करने हेतु उनके संगठनात्मक ढांचों के नवीकरण के लिए कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किन मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें राज्य सरकारों को भेजा गया है ;

(ग) इनको राज्य सरकारों को किन-किन तारीखों को भेजा गया था; और

(घ) किन-किन तथा कितने राज्यों ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा उन्होंने इन सिफारिशों को किन तारीखों को स्वीकार किया तथा क्रियान्वित किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण (I) संलग्न है, जिसमें सिफारिशों का सारांश दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 3353/72] ये सिफारिशें वित्त मंत्री के 16 अक्टूबर, 1971 के पत्र के साथ राज्यों के पास भेजी गयी थीं। अब तक राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनका सारांश संलग्न विवरण (II) में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 3353/72]।

एयर इंडिया द्वारा बी० ओ० ए० सी० तथा कन्टास के साथ बनाये गये पूल से अलग होना

1854. श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:

(क) क्या एयर इण्डिया ने बी०ओ०ए०सी० तथा कन्टास के साथ हुए पूल-करारों से स्वयं को अलग कर लिया है या वह ऐसा करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे एयर इण्डिया के यात्री यातायात तथा माल-परिवहन सेवा पर संभवतः क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या एयर इण्डिया ने लन्दन तक के लिए कोई सम्बर्द्धक अथवा घटी दर पर वापसी किराया योजना आरम्भ की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लन्दन-सिडनी मार्गों पर बी०ओ०ए०सी० तथा कन्टास के साथ एयर इण्डिया की पूल व्यवस्था 1 अप्रैल, 1972 से समाप्त कर दी गई क्योंकि संबंधित पार्टियां उसकी पुनर्व्यवस्था करने की इच्छुक थीं।

(ख) एयर इण्डिया प्रतिकूल प्रभावों की प्रत्याशा नहीं करती।

(ग) लन्दन की यात्रा के लिए एयर इण्डिया द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साही घटे किरायों की पहले से ही व्यवस्था है :—

(1) दल के आकार के अनुसार 'एफिनिटी ग्रुप' किरायों में 30 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक की कटौती।

(2) कम से कम 10 यात्रियों के ग्रुप के लिए इन्क्लूसिव टूर किरायों के अन्तंगत 39 प्रतिशत की कटौती।

इसके अतिरिक्त एयर इंडिया ने आगामी आइ०ए०टी०ए० ट्रैफिक कांफ्रेंस में भारत से यू० के० की यात्रा करने के लिए निम्नलिखित वृद्धिपरक किरायों का प्रस्ताव किया है :—

(I) युवा किराये (12 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के बीच), कटौती के बारे में कान्फ्रेंस में तय किया जाएगा।

(II) परिवार किराये, जिनके अन्तर्गत भारत से यू० के० तथा वापसी यात्रा के लिए परिवार का मुखिया पूरे किराये का भुगतान करेगा तथा परिवार के सदस्य आधा किराया देंगे।

कलकत्ता में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगाना

1855. **श्री बी० आर० शुक्ला :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1972 के "ब्लिट्ज" में "रेवेन्यू बोर्ड मैन स्कांचिज टेक्स रेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

1856. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को जमशेदपुर में एक और आयर्न गैस संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने से पूर्व इस मामले पर एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन विचार कर लिया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र के विदेशी सप्लाईकर्ताओं को इस कम्पनी के और इक्युटी शेयर दिए, जायेंगे ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार तथा अधिनियम के अन्तर्गत जमशेदपुर में आर्गन संयंत्र स्थापित करने के लिए इंण्डियन आक्सीजन लि० का प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है।

नंगल और सिंदरी उर्वरक कारखानों में मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन

1857. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल और सिन्दरी उर्वरक कारखाने मिश्रित उर्वरक का तुरन्त उत्पादन शुरू करने की स्थिति में है; यदि आयातित डी०ए०पी०, उनको उपलब्ध कर दिया जाये ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस संभावना के लिए वित्त और कृषि मंत्रालयों पर जोर देने का प्रयास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले):(क) से (ग) : भारतीय उर्वरक निगम ने नंगल में एन० पी० उर्वरक तथा सिन्दरी में एन० पी० के उर्वरकों के उत्पादन की संभावना व्यक्त की है; यदि उन्हें आयातित डी० ए० पी० उपलब्ध कर दिया जाए । प्रस्तावों पर जांच की जा रही है।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी

1358. **श्री एस सी० सामन्त :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद के लिए भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): यह कहना ठीक नहीं है कि अर्थ विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद के लिए भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर विचार नहीं किया गया था।

रक्षा अनुसंधान परियोजनाएं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सौंपना

1859. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री गिरि गोमागो :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षोन्मुखी अनुसंधान के लिए व्यापक आधार तैयार करने के लिए सरकार ने 70 रक्षा अनुसंधान परियोजनाएं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सौप दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुल्क) : (क) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अभी कुल 48 परियोजनाओं पर जो रक्षा हित की हैं, कार्यवाही की जा रही है।

(ख) परियोजनायों की संख्या काफी बड़ी है अतः विस्तृत सूची नहीं दी जा रही है। विकास कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) रासायनिक

(2) धातु, मिश्र धातु

(3) वैटरीज

(4) इलैक्ट्रानिक्स मदें

(5) उपकरण

इन सब परियोजनाओं पर संतोषपूर्ण ढंग से प्रगति हो रही है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कुछ रक्षा मदों को अपनी प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक संयंत्र आधार पर निर्माण कर रही है या रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन यूनिटों को उद्योग में स्थापित कर रही है। एक उच्च स्तर की संचालन समिति, महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में जिसमें रक्षा के भी सदस्य है, गठित की गई है जो ऐसी परियोजनाओं की लगातार प्रगति का पुनरीक्षण करती है।

राजनैतिक दलों के स्वामित्व वाली पत्रिकाओं में बड़े-बड़े व्यापार गृहों द्वारा विज्ञापनों का दिया जाना

1860. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे दिए जाने पर लगे कानूनी प्रतिबन्ध के प्रकाश में राजनैतिक दलों के स्वामित्व वाली पत्र-पत्रिकाओं में बड़े-बड़े व्यापार-गृहों द्वारा विज्ञापनों के दिए जाने के संबंध में कोई विनियम बनाएं हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) शाखा से बेरोजगार युवकों को ऋण

1861. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया की बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) शाखा न वहां प्रचलित जमानत प्रणाली के कारण बेरोजगार युवकों को ऋण लेने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार युवकों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए एक लाख रुपए की राशि तक ऋण लेने पर जमानत-प्रणाली में छूट देने का है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में 35 वर्ष की आयु तक के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया की ऋण सुविधाओं से लाभ उठाया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को, विशेषरूप से शिक्षित और तकनीकी अर्हताप्राप्त बेरोजगार युवकों को अधिक मात्रा में बैंक वित्त उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक हाल के वर्षों में कई उदार ऋण योजनाएं चला रही हैं। ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों की जांच करते समय वे उपलब्ध जमानत के स्वरूप और मात्रा के बजाय परियोजना की मूलभूत सक्षमता, ऋणकर्ता की ईमानदारी और परियोजना के क्रियान्वयन के निकट पर्यवेक्षण पर अधिक जोर देते हुए आवश्यकता पर आधारित दृष्टि-कोण अपनाते हैं। केवल बड़े ऋणों के मामले में या उन मामलों में जिनमें किसी अन्य कारण से जमानत लिया जाना अनिवार्य समझा गया हो तो जमानत का प्रश्न आता है। इस उदारीकरण के बावजूद भी ऋण प्राप्ति में कठिनाइयां होने के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें अवश्य आती हैं । जब किसी विशिष्ट शिकायत की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के विचार से उसकी जांच की जाती है।

(ग) स्टेट बैंक आफ इण्डिया इस रूप में सूचना नहीं रखता जिस रूप में माननीय सदस्य ने मांगी है। फिर भी, मध्य प्रदेश राज्य में शिल्पियों और तकनीकी अर्हताप्राप्त उद्यमकर्ताओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं से सम्बन्धित आकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

Proposal To Set up a Gliding Training Center In Madhya Pradesh

1862. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a Gliding Training Centre at any of the aerodromes in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the date by which the training is likely to be started by the Centre : and

(c) the number of gliders likely to be provided to the Centre for the purpose of training ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation. (Dr. Karan Singh): (a) to (c). The Eastern Madhya Pradesh Gliding and Flying Club at Raipur already has a gliding wing which

was included in the subsidy scheme in May 1964 and was paid subsidy and subvention at the prescribed scales during the years 1965-66, 1966-67, 1967-68 and 1968-69. However, as it failed to achieve a minimum annual performance of 1500 launches duing 1968-69, it was not included in the scheme in the subsequent year.

Production of Opium In Malwa (M.P.)

1863. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the quantity of opium produced in Malwa region of Madhya Pradesh during the year 1970-71 and 1971-72; and

(b) the facilities proposed to be provided to the opium growers for increasing its production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The quantity of opium produced in Malwa region of Madhya Predesh during the year 1970-71 and 1971-72 is as under :—

	(Quantity of opium produced at 70 consistence.)
	(Kgs.)
1970-71	568,010
1971-72	*596,560 (estimated)

*Opium is in the process of analysis and testing in Government Factories.

(b) Poppy cultivators are given free technical advice regarding methods of increasing opium production. Free literature on this subject is also being circualted to them and demonstrations are organized for educating the farmers in the use of pesticides and fertilizers. Further, prices of opium payable to Poppy cultivators are fixed on an ascending sliding scale depending upon the yield per hectare tendered by the cultivator. Thus, a cultivator giving a higher yield per hectare is given a higher price.

Local experimental farms are being created in some places with the help of the cultivators who give higher yields of opium or better morhpine content. Results obtaimed from these experiments will be used in imparting guidance to other poppy cultivators. Apart from this, various long term research schemes have also been undertaken by different Government institutions such as National Botanical Gardens, Lucknow, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, with a view to finding out ways and means of increasing production of opium and its morphine content. Results of these schemes will also form the basis for instruction to the cultivators.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दुर्गापुर के कारखाने के लिये खराब मशीनों का आयात

1864. **श्री राम प्रकाश :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने दुर्गापुर के अपने कारखाने के लिए पश्चिम जर्मनी और इटली से खराब मशीनों का आयात किया था ;

(ख) क्या ये मशीनें बेकार हो गई हैं ; और

(ग) इन मशीनों के आयात की क्या आवश्यकता थी जबकि ये मशीनें देश में ही उपलब्ध हैं ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी नहीं, किन्तु भारतीय उर्वरक निगम द्वारा आयात किये गए पम्पों एवं कम्प्रेशर्स के कुछ पुर्जे दुर्गापुर प्लांट के प्रारम्भिक चालन/परिचालन के दौरान खराब हो गए । प्रदायकों द्वारा खराब पुर्जों का प्रतिस्थापन निःशुल्क किया जा रहा है ।

(ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् केवल उन मशीनों का, जिनका भारत में निर्माण नहीं होता है, आयात किया गया है ।

तामिलनाडू में कर लगाने के लिये हिदायतें जारी करना

1865 **श्री राम प्रकाश :**

श्री अरविन्द नेताम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडू सरकार को राज्य में और अधिक कर लगाने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या ऐसे निदेश अन्य राज्यों को भी दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पिछली मई में बुलायी गयी अपनी बैठक में इस बात पर मोटे तौर पर विचार किया था कि केन्द्र और राज्यों को पांचवी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान कितने अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी । राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसार हाल ही में भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को, जिनमें तमिलनाडू की सरकार भी शामिल है, लिखा है कि वे शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त साधनों के जुटाने की विभिन्न संभावनाओं की खोज करें। राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट उपायों के संबंध में किसी अन्तिम निर्णय की आशा इतनी जल्दी नहीं की जा सकती ।

कोचीन हवाई अड्डे पर एक दुर्घटना में एवरो विमान का क्षतिग्रस्त हो जाना

1866. **श्री वयालारवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पूर्व कोचीन हवाई अड्डे पर, एक दुर्घटना में कोई एवरो विमान क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसे कितनी क्षति हुई; और

(ग) क्या उक्त दुर्घटना की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । 12 मई, 1972 को इंडियन, एयरलाइन्स का एवरो विमान वी०टी०-ई०ए०टी० कोयम्बत्तूर और चोचीन के मध्य

अनुसूचित उड़ान के दौरान कोचीन विमानक्षेत्र पर अवतरण के समय धावनपथ से आगे निकल गया और काफी क्षतिग्रस्त हुआ। किन्तु किसी भी कार्मिक अथवा यात्री को कोई चोट नहीं आई।

(ग) नागर विमानन विभाग दुर्घटना की जांच कर रहा है ।

केरल को वित्तीय सहायता

1867. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने वर्त्तमान वित्तीय संकट को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने चालू वर्ष में बजट के घाटे को पूरा करने के लिये सहायता के लिये अनुरोध किया है । कोई राज्य केवल घाटा होने से ही विशेष सहायता के लिए अधिकारी नहीं हो जाता। चौथी आयोजना की अवधि में, भारत सरकार इन राज्यों को, जिनमें केरल राज्य भी शामिल है, जो आयोजना आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन के अनुसार साधनों में पड़ने वाले अन्तर से बच नहीं सकते हैं, विशेष सहायता (ऋणों के रूप में) दे रही है । राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता की मात्रा, आयोजना-भिन्न अपरिहार्य वायदों, आयोजना-भिन्न व्यय में बचत के क्षेत्र, राजस्व और कर संग्रहण में सुधार करने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों तथा बजट संबंधी अन्य सामान्य साधनों को जुटाने में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों के संबंध में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर, निर्धारित की जायगी।

फ्रैंच नेशनल सेन्टर के सहयोग से त्रिवेन्द्रम में स्वचालित ऋतु केन्द्र

1868. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऋतुविज्ञान विभाग का प्रस्ताव फ्रैंच नेशनल सेन्टर फार स्पेस स्टडीस और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संघ के सहयोग से त्रिवेन्द्रम में स्वचालित ऋतु केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह केन्द्र कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विश्व परीक्षण के एक भाग के रूप में, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सेन्टर नैशनल डी एटयूड्स स्पेटियल्स, फ्रांस तथा भारतीय आकाश अनुसंधान संगठन के सहयोग से मार्च, 1972 में त्रिवेन्द्रम में एक स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया था । यह स्टेशन दिसम्बर, 1972 तक कार्य करेगा।

एक परिक्रामक फ्रांसीसी उपग्रह, इओले (ई०ओ०एल०ई०) द्वारा इस स्टेशन से प्रश्न किये जाते हैं तथा वह इसको मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े भेजता है । यह उपग्रह फ्रांस में एक संग्राहक स्टेशन

को आंकड़े पुनः प्रेषित करता है तथा वह संग्राहक स्टेशन इन आंकड़ों को जांच के लिये वापस भारत मौसम विज्ञान विभाग को भेजता है ।

परीक्षण का उद्देश्य न बसे हुए क्षेत्रों पर सैकड़ों मानव-रहित स्वचालित मौसम स्टेशनों से, तथा वायुमंडल में तैरते सैकड़ों गुब्बारों से मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के लिये एक परिक्रामक उपग्रह के प्रयोग की क्षमता की परीक्षा करना है । इस तकनीकी का समुद्रों, मरुस्थलों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों पर अन्य अनुपलब्ध आंकड़े प्राप्त करने के लिये अगले पांच या छः वर्षों के दौरान हाथ में ली जाने वाली विश्व वायुमंडलीय अनुसंधान प्रायोजना के दौरान प्रयोग करने की योजना है ।

विभिन्न पेट्रोलि-रसायन उद्योग समूहों के लिए नियंत्रक कम्पनी की स्थापना

1869. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री विभिन्न पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों के बारे में निर्णय करने के लिये नियंत्रक कम्पनी की स्थापना करने के बारे में 2 अगस्त, 1971 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6617 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बीच इस मामले पर कोई निर्णय ले लिया है और यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं । इस मामले के विभिन्न संबंधित पहलुओं की इस समय जांच की जा रही है ।

कर लगाने के लिए पत्नी और पति की आय को जोड़ना

1870. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पति एवं पत्नी की आय जोड़ कर कर लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्यक्ष करों संबंधी वांचू समिति ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(ग) क्या भारतीय महिला परिषद् ने सरकार से कर लगाने के प्रयोजन से पति एवं पत्नी की आय न जोड़ने का अनुरोध किया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां, सरकार आय-कर और धन-कर के प्रयोजनों के लिये पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों को मिला कर परिवार को कराधान का एक एकक बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) के पांच सदस्यों में से तीन सदस्य पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों सहित परिवार को कर-निर्धारण का एक एकक मानने के पक्ष में नहीं थे । लेकिन, अन्य दो सदस्यों ने ऐसे परिवार को कराधान के एक एकक के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की है ।

(ग) जी, नहीं । भारतीय महिला परिषद् की ओर से सरकार को अभी तक ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

Utilisation of PL. 480 Funds

1871. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether PL. 480 funds cannot be taken out of India; and

(b) if so, the purposes for which the PL. 480 funds will be utilised in future ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b). The PL. 480 funds are available for US uses in India, including US Embassy and Consular activities. These uses have been defined in Sec. 104 of the US Public Law 480, a copy of which is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 3354/72]. Uses under sub-section (c) thereof are not permitted in the Agreements with India.

Under s. 104 (b) (1) and (2) of US Public Law 480, a very small percentage of the PL. 480 funds has been earmarked for conversion into third country currencies for US agricultural and educational activities in those countries. Except for such conversion liability the PL. 480 funds are non-convertible and cannot be taken out of India.

हैवी वैहीकल फैक्टरी, आवडी में दुगुना उत्पादन

1872. **श्री के० लकप्पा :**

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवडी स्थित हैवी वैहीकल्स फैक्टरी का उत्पादन दुगुना करने के लिये कुछ योजनायें तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में **राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). हैवी **वैहीकल्स फैक्टरी, आवडी में** 5.69 करोड़ रुपये की लागत से एक संवर्धन कार्यक्रम पहले ही क्रियान्वित किया जा रहा है ।

कलकत्ता में महासागर में चलने वाला पहला बड़ा 'टग' चलाया जाना

1873. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिए निर्मित महासागर में चलने वाला पहला बड़ा 'टग' 30 जून, 1972 को कलकत्ते में चलाया गया था ;

(ख) क्या इस 'टग' का निर्माण भारतीय उपकरणों से किया गया था और यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(ग) क्या इस के सफलतापूर्वक कार्यकरण को देखते हुए केन्द्रीय सरकार एक और 'टग' का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) 'टग' को 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित किया जा रहा है । 'टग' का कुल खर्च 170.93 लाख रुपये है, जिसमें विभिन्न कारणों से सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा तथा वेतन में वृद्धि के लिए व्यवस्था है।

(ग) शीघ्र ही गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड को महासागर में चलने के लिए एक और 'टग' के निर्माण के लिए आदेश दिए जाने की सम्भावना है ।

एयर इण्डिया को वर्ष 1971-72 में हुई हानि

1874. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया को वर्ष 1971-72 में चार करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) पुनरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1971-72 में 1.66 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ख) हानि के मुख्य कारण ये हैं :--

(1) वेतन संबंधी समझौते होने के परिणामस्वरूप कर्मचारी व्यय में काफी वृद्धि;

(2) यू०एस०ए० तथा यूरोप में गत वर्ष के आर्थिक संकट के कारण विश्व विमान यात्रा की वृद्धि दर में ह्रास ;

(3) पाकिस्तानी प्रदेश से बचने के लिये उड़ानों के घूम कर जाने के कारण अतिरिक्त व्यय ;

(4) विमानों के अपहरण तथा युद्ध जोखिमों से बचने के लिये बीमा दरों में वृद्धि ;

(5) पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना।

भारतीय नौसेना के लिए गश्ती जहाज

1875. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना का कुछ गश्ती जहाज बनाने का विचार है; और

(ख) ये जहाज किस सीमा तक भारतीय तट की रक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मैजगांव गोदी, बम्बई में स्वदेशी पैट्रोल बोटों का निर्माण विचाराधीन है ।

(ख) इस विषय पर सूचना देना जन-हित में नहीं होगा ।

नेशनल केडिट कोर के मैस के लिए उपयोग में लाये जा रहे केरल सरकार के 'काटन हिल बंगलों' को छोड़ना

1877. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के 'काटन हिल बंगले' को जो नेशनल केडिट कोर के निदेशक के नियंत्रण में है, नेशनल केडिट कोर के मैस के लिये उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) क्या 'काटन हिल बंगलों' को छोड़ने के लिए केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इसे निकट भविष्य में छोड़ देने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

1878. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक निधि का आवंटन करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सूखे की स्थिति तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं के कारण भी उड़ीसा की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए इस राज्य को कितना अतिरिक्त अनुदान दिया गया है और निकट भविष्य में कितनी धनराशि उसे उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). यद्यपि उड़ीसा सरकार से बजट संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त रकम के निर्धारण के लिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने भारत सरकार से राज्य में तूफान और सूखा से प्रभावित क्षेत्रों

में सहायता और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है । केन्द्रीय दल जिसने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया था केन्द्रीय सहायता के तौर पर जुलाई से अक्टूबर, 1972 तक की अवधि के लिए विभिन्न सहायता कार्यों पर 6.33 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है।

चालू वर्ष में अब तक राज्य सरकार को 6.00 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है । इसमें अल्पावधिक ऋण के रूप में कृषि संबंधी वस्तुओं के लिए 3.00 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है और रकम देने के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की प्रगति के संबंध में भेजी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

सूखे के कारण बिहार को वित्तीय सहायता

79. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में हाल ही में पड़े सूखे से राज्य की अर्थ व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उस राज्य को कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). बिहार सरकार से सूखा सहायता उपायों पर उनके द्वारा किये जा रहे खर्च के लिये केन्द्रीय सहायता दिये जाने के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है । केन्द्रीय दल के अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जायगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा थोड़े समय के नोटिस पर टेंडर मांगना

1880. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने फारस की खाड़ी से चिटागांग तक पांच लाख टन कच्चा तेल पहुंचाने के लिए जो टेंडर मांगे थे; उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उसने केवल 24 घंटे का समय दिया था और टेंडर में भरी जाने वाली दर भी टेंडर नोटिस में ही बदी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम आमतौर पर टेंडर इतने कम समय में ही मांगता है और दरों का उल्लेख भी कर देता है;

(ग) क्या ये टेंडर निर्धारित अवधि से पूर्व ही खोल लिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप टेंडर नोटिस के अनुसार समय से पूर्व दाखिल किए जाने पर भी कम दर वाला टेंडर यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया था कि यह देर से प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर गोखले) : (क) भारतीय तेल निगम ने फारस की खाड़ी से चिटांगांग तक कच्चा तेल पहुंचाने के लिए 15 फरवरी, 1972 से 14 मार्च, 1972 तक 4 टेंडर नोटिस जारी किए थे । चौथा और अन्तिम टेंडर 14 मार्च, 1972 को जारी किया गया था; जिसमें पार्टियों को निश्चित ही 15 मार्च, 1972 की 6 बजे शाम तक टेंडर पेश करने के लिए कहा गया था । इस टेंडर में भरी जाने वाली निर्धारित भाड़ा दरें उल्लिखित की गई थीं ।

(ख) टेंडरों को मंगवाने की अवधि प्रत्येक केस के महत्व पर निर्भर करती है । वास्तव में भारतीय तेल निगम ने पहले भी अल्प सूचना पर टेंडर मंगवाये थे और इसलिए ऐसा पहली बार नहीं किया था। इस विशेष केस में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय तेल निगम 25 फरवरी, 1972 से टेंडर मंगवा रहा था, निगम ने अल्प सूचना को पर्याप्त समझा था। टेंडर नोटिस में दर का उल्लेख करना भारतीय तेल निगम की एक सामान्य पद्धति नहीं है, किन्तु इस केस में दर का उल्लेख इसलिए किया गया था कि इस व्यवस्था को शीघ्रता से किया जा सके तथा अन्तिम रूप दिया जा सके, क्योंकि चिटांगांग शोधनशाला कच्चे तेल की अनुपलब्धता के कारण बन्द पड़ी थी । इस संकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय तेल निगम को दर का उल्लेख करना पड़ा था ताकि व्यवस्था को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिया जा सके । टेंकरों को अवक्रय करने (भाटक पर लेने) में ऐसी पद्धति सामान्य है ।

(ग) टेंडर नोटिस में टेंडरों को खोलने का कोई विशेष समय उल्लिखित नहीं था किन्तु पार्टियों को 15 मार्च, 1972 को 6 बजे शाम तक जरूर ही अपने टेंडर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह इस तथ्य के कारण था कि स्थानीय दलालों को विदेशों में अपने मुख्यालयों को सूचना देने में सामान्यतः एक घंटे से लेकर दो घंटे के बीच समय लग जाता है । अतः भारतीय तेल निगम ने 15 मार्च, 1972 के साढ़े चार बजे (शाम) तक टेंडरों को लेना बन्द कर दिया था ताकि स्थानीय दलाल टेंकर मालिकों को 6 बजे शाम तक अपनी स्वीकृति भेज सकें। (अर्थात् जिस समय तक उन्होंने अपनी पेशकश प्रस्तुत करनी थी)। न्यूनतम पेशकश की स्वीकृति की घोषणा के पश्चात् ही ऐसा हुआ था कि एक पार्टी ने भारतीय तेल निगम को कुछ तनिक कम दर वाले टेंडर को पेश करने के लिए प्रार्थना की । इस पार्टी ने भारतीय तेल निगम को टेंडरों को बन्द करने से आधा घंटा पूर्व आगामी दिवस के इसी समय तक के लिए निवेदन किया था क्योंकि पार्टी विदेश में अपने मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित करने में समर्थ न थी। अतः 24 घंटों तक निलम्बन के लिए प्रार्थना करने के पश्चात् शीघ्र ही इस पार्टी द्वारा की गई न्यूनतम पेशकश मान्यता हीन थी । चाहे कुछ भी हो, टेंकर के व्यापार में जब एक बार स्वीकृति की घोषणा हो जाती है तब दर आदि की मंजूरी को रद्द नहीं किया जा सकता है ।

(घ) भारतीय तेल निगम इस संबंध में अपनी पद्धतियों सहित एक विस्तृत जांच कर रहा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण

1881. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक राज्य को विकास कार्यों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) क्या कुल ऋणों का 74 प्रतिशत भाग चार राज्य ले लेते हैं जबकि शेष राज्य वंचित रह जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्यों को बैंक-ऋण देने पर केन्द्रीयकृत कोई नियंत्रण है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में धन के उचित तथा न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चूंकि वाणिज्यिक बैंक राज्य सरकारों को कोई ऋण नहीं दिया करते, इसलिए यह मान लिया गया है कि प्रश्न में राज्यों को दिये गए ऋण शब्दों का प्रयोग राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में सभी वर्गों के उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों के लिये किया गया है। उपलब्ध जानकारी जिसके अन्तर्गत 12 मार्च, 1971 तथा 31 मार्च. 1972 तक की बकाया रकमों की स्थिति बतायी गयी है, अनुबन्ध I में दिए गए विवरण में दिखाई गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—3354/72]**

(ख) से (घ). इस भाग में जो निर्देश किया गया है वह सम्भवतः उस तकनीकी अध्ययन के निष्कर्षों की ओर है जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के बकाया ऋणों के क्षेत्रीय वितरण के विषय में बैंक आयोग के लिए तैयार किया गया था। उस अध्ययन से पता चला है कि 1968 के अन्त तक चार राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात ने कुल मिलाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल ऋणों की राशि में से 74 प्रतिशत रकम प्राप्त थी। अनुबन्ध I में दिए गए आंकड़ों से प्रकट होता है कि 12 मार्च, 1971 तक यह प्रतिशतता घटकर 67.7 प्रतिशत हो गयी और मार्च, 1972 तक और ज्यादा घटकर 63.8 प्रतिशत रह गयी। परन्तु यह बात नोट करनी बहुत जरूरी है कि एक राज्य विशेष में स्वीकृत ऋण उसी राज्य में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल नहीं किये जाते और इसलिए यह संभव है कि इस प्रकार के मुकाबलों से विभिन्न राज्यों में बैंक-ऋणों के वास्तविक वितरण की सही-सही स्थिति प्रकट न हो।

सरकार की यह नीति है कि प्रादेशिक विषमताओं में कमी की जाय और इस पहलू पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार, दोनों ही काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। विभिन्न राज्यों के पिछले इतिहास, प्राकृतिक देनों की विभिन्नताओं और आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था में असमानताओं तथा उत्पादन को गतिविधियों की विषमताओं के परिणामस्वरूप बैंक-सेवाओं की उपलब्धि में भी राज्यों के बीच काफी विषमताएं पैदा हो गई हैं। स्थिति को सुधारने की प्रवृत्ति स्पष्टतः दिखाई दे रही है। आज तक जिन राज्यों में बैंकों का फैलाव बहुत कम रहा है उन राज्यों में शाखा विस्तार करके तथा ऋण व्यवस्था का विकास करके और एक ऐसी विकास संबंधी नीति के क्रियान्वयन द्वारा जिसमें पिछड़े राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर और ज्यादा बल दिया जा रहा है, बैंक-ऋणों के वितरण के मामले में प्रादेशिक विषमताओं को कम करने की प्रवृत्ति को निश्चय ही और अधिक सम्बल मिलेगा।

इण्डियन एयर लाइन्स को पुराने बोइंग 707 विमान अन्तरित करने संबन्धी एयर इण्डिया का प्रस्ताव

1882. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने इण्डियन एयरलाइंस से प्रस्ताव किया है कि वह उनके पास फालतू हो गए कुछ पुराने बोइंग 707 विमान ले ले, परन्तु इण्डियन एयरलाइंस ने इन्हें लेने से इंकार कर दिया है क्योंकि आन्तरिक सेवा के लिए वे लाभप्रद नहीं होंगे ; और

(ख) क्या इन दोनों विमान कंपनियों के बीच यह मामला निपट गया है और; यदि नहीं तो इस फालतू विमानों का लाभप्रद उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । इण्डियन एयरलाइंस कुछ बोइंग 707 धारिता का एयर इण्डिया से चार्टर आधार पर प्रयोग कर रही है । एयर इण्डिया के पास 1973 में 707 धारिता कुछ फालतू उपलब्ध हो सकती है तथा इसके उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है ।

Opening of Branch of Bank of India in Nobatpur, Patna.

1883. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have opened a Branch of the Bank of India in Nobatpur in Patna (Bihar) with the aim of advancing loans in time to the persons running small industries ;

(b) if so, the date on which the said Branch was opened ; and

(c) whether the said Bank has not advanced any loan so far to any body and, if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b). Bank of India opened a branch at Nobatpur (District Patna in Bihar) on 3rd September, 1971.

(c) The area to be served by this branch being largely agricultural, a beginning has been made by giving some agricultural advances. It is expected that in the rabi season a somewhat better progress will be made in this respect. In due course the bank would go in for advances to small industries also, although considering the local conditions the scope for this type of business appears to be rather limited.

Corruption in the Supply of Pulses to Army

1884. Shri Ramavtar Shastri :

Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item under the caption 'Another Dal Scandal' published in the 'Patriot' dated the 13th June, 1972 ;

(b) whether Government have conducted an inquiry into the matter ; and

(c) if so, the outcome thereof and the action taken by Government against the guilty persons ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes.

(b) and (c). Our requirements of Dal and grains are being procurred by the Chief Director of Purchase, Ministry of Agriculture, who in turn, obtains stocks from the Food Corporation of India. Stocks are accepted only if they conform to Army Service Corps specifications. No specific case of supply of sub-standard pulses has been referred to in the News-item and hence the question of conducting any inquiry does not arise.

Scheme to Expand The Present Building Housing The Patna Aerodrome

1885. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the building housing the Patna Aerodrome is not big enough to meet its present requirements ;

(b) whether Government have prepared any scheme to expand the present building and if so, the main features thereof ; and

(c) the time by which Government propose to undertake this work ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Yes, Sir. It is proposed to glaze the verandah of the Terminal Building in order to provide additional space. The work will be taken up and completed in the next few months.

आई० टी० डी० सी० और अशोक होटल कर्मचारी संघ के बीच 26 फरवरी, 1971 को हुआ समझौता

1886. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (अशोक होटल यूनिट) और अशोक होटल कर्मचारी संघ के बीच, मकान किराया भत्ते में वृद्धि करने, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने, 70 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने और भर्ती/पदोन्नति नियम लागू करने की मांगों के बारे में 26 फरवरी, 1971 को एक समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इन मांगों का समाधान हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). 26-2-71 को हुये समझौते में यूनियन की कुछ और मांगें शामिल थीं तथा भाग (क) में निर्दिष्ट प्रश्न और आगे विचार के लिए रखे गये थे । बाद में इस सम्बन्ध में प्रबन्धक-वर्ग और यूनियनों के बीच बात चीत हुई है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही कोई समझौता हो जायेगा ।

सेलम में एक हवाई अडडे का निर्माण

1887. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम में एक हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है और यह संभवतः कब तक सेवा के योग्य बन कर तैयार हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु इण्डियन एयरलाइंस इस समय एक यातायात सर्वेक्षण कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशनरों को आय-कर से छूट

1888. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेंशनरों को आय-कर से छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय संशोधनों की कमी दूर करने के लिए विदेशों से सहायता

1889. **श्री पम्पन गौडा** :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और इस बात की जांच की है कि जहां तक कोलम्बो योजना का संबंध है, राष्ट्रीय संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, पूंजीगत सहायता या तकनीकी सहायता कहां तक सहायक हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसा कि सुझाव दिया गया है, भारत सरकार ने कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विकास के बारे में उस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

उत्पादन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराने की सुविधाएं

1890. **श्री पम्पन गौडा** :

श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिससे कि उत्पादन शुल्क रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जमा कराया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह निर्णय कर लिया है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया और इसके सहायक बैंकों के अलावा अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी सरकारी लेन-देन का काम करना चाहिए जिसमें उत्पादन शुल्क स्वीकार करना भी शामिल है। इस निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नकदी पेटियों की स्थापना के लिए अपने परिसरों की संरचनाओं में उपयुक्त परिवर्तन करने, सशस्त्र रक्षकों और अन्य सुरक्षात्मक प्रबन्ध करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से आगामी रूप से प्रबन्ध किए जा रहे हैं। इस बीच 50 प्रायोगिक केन्द्रों के चयन के लिए तदर्थ प्रबन्ध करने पर विचार किया जा रहा है। जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जमा कराया जा सकेगा।

जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों को ऋण देना

1891. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिये अपने पालिसी होल्डरों को ऋण देने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा लागू की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या निगम मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली में रिहायशी मकान बनाने के लिए ऋण नहीं देती, और यदि हां, तो क्यों; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में मकान बनाने के लिए ऋण देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम अपने पालिसी-धारियों को "अपना घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण मंजूर करता है। योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(i) मकान बनाने के लिये अथवा हाल ही में निर्मित्त मकानों की खरीद के लिये एवं विद्यमान मकानों के विस्तार के लिये भी पालिसी-धारियों को ऋण मंजूर किये जाते हैं।

(ii) यदि सम्पत्ति का स्वामी उस में पूरी तौर से स्वयं रह रहा हो तो ब्याज की दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। यदि उसे पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर किराये पर दिया जाना है तो ब्याज की दर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। चूक के मामले में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज देना बनता है।

(iii) ऋण की न्यूनतम रकम 10,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये है। जिस मामले में ऋण मकान के विस्तार के लिये है उसमें न्यूनतम रकम केवल 7500.00 रुपये है।

(iv) जिस मामले में उधार लेने वाला व्यक्ति ऋण को समान मासिक किस्तों में वापस करने का विकल्प देता है उस में वह ऋण की रकम के बराबर बीमे की रकम की बन्धक ऋणमोचन पालिसी (Mortgage redemption Policy) ले सकता है। जिस मामले में ऋण सावधिक बीमा पालिसी (Endowment Assurance Policy) द्वारा वापस करने का प्रस्ताव हो उस मामले में बीमे की रकम, ऋण की रकम का लगभग 110 प्रतिशत ही होगी।

(ख) जीवन बीमा निगम को गृह-निर्माण के लिए ऋण मंजूर करने हेतु वह बस्ती मान्य होती है जिस बस्ती में जलपूर्ति, बिजली तथा मल-निकास जैसी आवश्यक सुख-सुविधायें उपलब्ध हों। मालवीय नगर एक्सटेंशन में चूंकि इन सब नागरिक सुख-सुविधाओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की गयी है इस लिए जीवन बीमा निगम उक्त बस्ती में मकान बनाने के लिए ऋण की दरख्वास्तों पर विचार नहीं करता।

(ग) उक्त बस्ती में सब नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने पर जीवन बीमा निगम, मकान बनाने के लिए ऋण की दरख्वास्तों पर विचार करेगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों को दिया जाने वाला बोनस

1892. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों में पालिसी होल्डरों को कितना बोनस दिया गया;

(ख) क्या गत दो मूल्यांकनों में घोषित बोनस की राशि वही रही है जबकि जीवन बीमा निगम के कारोबार में कई गुना वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या जीवन बीमा निगम इस बार अपने पालिसी होल्डरों को अधिक बोनस देगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गयी लाभयुक्त पालिसियों को पिछले तीन मूल्यांकनों के आधार पर जो बोनस जोड़ा गया उसकी दरें नीचे दी गई है :

मूल्यांकन, तारीख को	बीमा के प्रति हजार रुपये की रकम पर बोनस की प्रति वर्ष की दरें	
	सावधिक पालिसियां	आजीवन पालिसियां
31-3-67	16.00 रुपये	20.00 रुपये
31-3-69	17.60 रुपये	22.00 रुपये
31-3-71	17.60 रुपये	22.00 रुपये

(ख) जी, हां।

(ग) जीवन बीमा में लाभ की सूचक, नये कारोबार में वृद्धि की दर से लाभ का पता नहीं चलता है और बोनस जीवनांनिकी मूल्यांकन से प्रकट बचत पर निर्भर करता है। अगले अवसर पर जो बोनस घोषित किया जायेगा वह 31-3-1973 को जीवनांकिकी मूल्यांकन से प्रकट बचत पर निर्भर करेगा।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना

1893. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंटों की नियुक्ति तथा उन्हें अन्य लाभ देने के बारे में कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इनसे इन एजेंटों को क्या लाभ होंगे; और

(ग) यह नई योजना कब से लागू होगी और क्या निगम के एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49(2) के अन्तर्गत निगम ने विनियम बनाये हैं, जिनमें निगम के एजेंटों की भर्ती का तरीका और उनके कार्य की शर्तों की व्यवस्था है।

(ख) विनियमों की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) सभी नियुक्तियां, संबंधित शाखा के कार्य-भारी अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों से साक्षात्कार करने के बाद और उनकी उपयुक्तता के बारे में अपना समाधान करने के बाद की जायेंगी। केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा जिनके पास कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं होंगी।

(2) जिन मामलों में विशेष कारणों से, जिन्हें लिखित रूप में रिकार्ड किया जायगा, शर्तों को हटा दिया जाता है, उन मामलों को छोड़कर सभी नव-नियुक्त एजेंटों को परिवीक्षाधीन रखा जायेगा और उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा स्थायीकरण से पूर्व निर्दिष्ट परीक्षाएं पास करनी होंगी। विद्यमान एजेंटों को भी पूर्वोक्त प्रशिक्षण और परीक्षाएं देने के लिए कहा जा सकता है।

(3) एजेंटों के कार्य, जिनमें पालिसी जारी होने के बाद उनके द्वारा की जाने वाली सेवा भी शामिल है, निर्धारित किये गये हैं।

(4) एजेंटों द्वारा किये जाने वाले कारोबार की न्यूनतम सीमा में पर्याप्त वृद्धि की गई है। परन्तु, वर्तमान एजेंटों को, कारोबार की बढ़ाई गई सीमा के अनुसार कार्य करने के लिए एक संक्रमण अवधि मंजूर की गई है। दीर्घ सेवा-अवधि वाले एजेंटों को इस न्यूनतम कारोबार गारंटी से छूट दी गई है।

(5) कमीशन और बोनस कमीशन की दरें निर्धारित की गई हैं।

(6) अधिक से अधिक 30,000 रुपये तक के उपदान की अदायगी की व्यवस्था की गई है। अदायगी की पात्रता और उपदान की देय रकम, एजेन्ट द्वारा पहले किये गये कार्य और नवीकरण कमीशन से अर्जित रकमों पर निर्भर करेगी।

(7) सावधिक बीमा लाभ की व्यवस्था की गई है जो 3000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच है और इसमें भी लाभ की रकम एजेंट द्वारा अर्जित नवीकरण कमीशन पर निर्भर करती है।

(8) बर्खास्तगी अथवा मृत्यु के बाद नवीकरण कमीशन की सामान्य दर से भुगतान पर जो कतिपय प्रतिबन्ध थे उन्हें हटा दिया गया है।

(9) एजेन्सियों की समाप्ति के संबंध में नियम बनाये गये हैं और ऐसे आदेशों के खिलाफ अपीलों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(10) एजेन्सियों के चालू नहीं रहने पर कमीशन के भुगतान के संबंध में नियम बनाये गये हैं।

अभिकर्ता विनियमों में अपेक्षाकृत ऊंची उत्पादकता और पालिसी जारी होने के बाद की सुधरी हुई सेवाओं पर दिये गये बल को देखते हुए और उपदान तथा सावधिक बीमा जैसे वेतनतर लाभों की व्यवस्था के कारण इन विनियमों से पूर्णकालिक एजेंटों का दक्ष और स्थायी दल तैयार किये जा सकने की आशा की जाती है।

(ग) ये विनियम 1 मई, 1972 को लागू हुए और उनके बारे में एजेंटों को सूचना दे दी गई है।

विजयन्त टैंक का दूसरा माडल

1895. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयन्त टैंकों का दूसरा माडल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके डिजायन का स्वरूप क्या है तथा यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी, हां। विजयन्त टैंक के उन्नत स्वरूप की डिजाइन, अधिक अच्छे प्राक्षेपिक स्वरूप तथा प्रतिरक्षा, अधिक प्रेक्षण सुविधायें तथा समाकलित रात्रि दृष्टि लड़ाकू क्षमता के साथ व्यवस्था रखने के लिए बनाई गई है।

आदि स्वरूप के परीक्षणों की योजना बनाई जा रही है तथा उसके पूर्ण होने पर उत्पादन प्रारंभ किया जायेगा।

मैसूर राज्य में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार

1896. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या मैसूर की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भी राज्य में पर्यटक-केन्द्रों में सुधार के लिये सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). मैसूर राज्य में पर्यटन सुविधाओं में सुधार तथा वृद्धि करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न ह। इन स्कीमों का, राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त हुए आवेदनों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन किया जा चुका है।

विवरण

1. हाम्पी में युवा होस्टल।
2. बांदीपुर वन्य जीव शरण स्थान में विश्राम गृह।
3. डांडेली वन्य जीव शरण स्थान में विश्राम गृह।
4. दो मिनी-बसों की व्यवस्था—डांडेली तथा बांदीपुर वन्य जीव शरण-स्थानों में से प्रत्येक पर एक-एक।
5. बादामी में पर्यटक लॉज।
6. जोग प्रपात पर पर्यटक लॉज।
7. हस्सन में डॉरमीट्री की किस्म का आवास-स्थान।
8. पट्टाडकल अथवा एहोली में रेस्टोरेंट।
9. मैसूर में ललित महल पैलेस का एक होटल में परिवर्तन करना तथा वहां अतिरिक्त आवास-स्थान की व्यवस्था करना।
10. एहोली में जल सम्भरण की व्यवस्था।
11. होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत, निजी क्षेत्र में दो होटल प्रायोजनाओं के लिये 92 लाख रुपये के दो ऋण स्वीकार किये जा चुके हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम ने भी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, पर्यटकों के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की है :—

1. बंगलौर में 91 कमरों वाला एक लग्जरी होटल। 100 और कमरे जोड़ कर होटल का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
2. हस्सन के यात्री लॉज में 20 डबल कमरों का एक अतिरिक्त विंग जोड़ कर आवास-स्थान का विस्तार किया जा चुका है।
3. बीजापुर में यात्री लॉज तथा हाम्पी में एक रेस्टोरेंट का प्रबन्ध भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
4. बंगलौर तथा हस्सन में परिवहन यूनिटें स्थापित की जा चुकी हैं।

मैसूर में औद्योगिक वित्त निगम के पास ऋण के बकाया आवेदन पत्र

1897. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के पास उन पार्टियों से ऋणों के लिए प्राप्त कितने आवेदन-पत्र बकाया पड़े हैं जो मैसूर राज्य में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं;

(ख) ये आवेदन कब से पड़े हुये हैं और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इनमें से कोई आवेदन-पत्र पिछड़े घोषित किये गये क्षेत्रों के लिए भी हैं, यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास 31 जुलाई 1972 को, उन कम्पनियों के जो मैसूर राज्य में उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, ऋण के लिए 7 आवेदन पत्र कार्यवाही के लिए बकाया पड़े हुए थे।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3356/72]।

विदेशी कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि

1898. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों पर आय-कर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है;

(ग) उन पर कितना आयकर बकाया है; और

(घ) उसे वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 बी (4) में यथा परिभाषित जिन विदेशी कम्पनियों की तरफ 31 मार्च, 1972 को 50,000 रुपये अथवा उससे अधिक आयकर की रकम बकाया पड़ी थी उसके संबंध में ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 3357/72]।

Making Indian Air Force Self-Sucfficient

1899. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the time by which Indian Air Force will become self-sufficient in modern armaments and fighter aircraft ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). While complete self-sufficiency in the manufactuie of modern armaments and Fighter aircraft and spares is difficult even in the case of industrially advanced countries and can only be achieved over a long period at a considerable expense, every effort is being made within the resources available for planned development of the aircraft industry and allied armaments in India to achieve maximum self-sufficiency possible. Reliance on foreign sources is being reduced progressively.

'उत्पादक उद्यमों' के लिए रियायती दर पर ऋण

1900. **श्री डी० के० पण्डा**
श्री पी० के० देव

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, 'उत्पादक उद्यमों' के लिए 4 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण देने की योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मार्गदर्शक हिदायतें दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे लाभान्वित होने वाले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के विशिष्ट उल्लेख और योजना में निर्धारित कुल राशि के उल्लेख सहित इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और दिये जा चुके ऋणों की संख्या तथा राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, लाभान्वित होने वाले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का भी निर्देश किया गया था, वित्त मंत्री के उस वक्तव्य में स्पष्ट कर दी गई थीं जो उन्होंने 25 मार्च, 1972 को लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था।

(ग) इस योजना के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अभी जून, 1972 में ही सूचित किया गया है। वे योजना कार्यान्वित करने के लिए शाखाओं का चयन शाखाओं को अनुदेश देना आदि प्रारंभिक कार्य कर रहे हैं। जहां तक ऋण की मात्रा का संबंध है, बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे प्रति वर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के साथ समाप्त होने वाली तिमाहियों की रिपोर्टें भेजा करें। पहली रिपोर्ट सितम्बर, 1972 के साथ समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में होगी, इसलिए अपेक्षित आंकड़े उस तारीख के कुछ बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

बैंकिंग प्रणाली का कार्यकरण

1901. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण के अन्तिम विश्लेषण की ओर दिलाया गया है जैसा कि 15 जून, 1972 के 'स्टेट्समैन' में 'बैंक टर्निंग बैक टू फाइनेंन्सिग बिग इण्डस्ट्रीज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई स्वतंत्र अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) कृषि और लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सम्बन्धी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार बैंक-वित्त के क्षेत्र में नयी उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों की लगातार समीक्षा करती रहती है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित लेख में निकाले गये बहुत से निष्कर्ष इन

समीक्षाओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों से मेल नहीं खाते। अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के मामलों को अब भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

बम्बई में डाक के एक पार्सल से हशीश का पकड़ा जाना

1902. **श्री के० बालादण्डायुतम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में डाक के एक पार्सल से तीन लाख रुपये मूल्य की एक किलो हशीश पकड़ी थी ;

(ख) क्या तस्कर व्यापारी डाक सेवा का प्रयोग इस कार्य के लिए कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए प्रभावी उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (**श्रीमती सुशीला रोहतगी**) : (क) 6-3-1972 को बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों ने अमेरिका को भेजे जाने वाले हवाई डाक पार्सल सं० 5635 से एक किलोग्राम हशीश पकड़ी।

(ख) नार्कोटिक्स गुप्त सूचना ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि मादक पदार्थों की थोड़ी थोड़ी मात्राओं को मनगढ़न्त पतों से भेजने के लिए तस्कर-व्यापारी डाक सेवा का उपयोग करते हैं ;

(ग) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय डाकघरों पर तैनात किये गये सीमाशुल्क कर्मचारी इस समस्या के प्रति सजग हैं और वे यथोचित सतर्कता बरतते हैं । इस बारे में प्राप्त गुप्त सूचना उनके पास उपयुक्त कार्यवाही के लिये भेजी जाती है। सम्बन्धित प्रवर्तन ऐजेन्सियों के बीच पूर्ण समन्वय है।

बड़े उद्योग-गृहों में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश का अंश

1903. **श्री के० बालादण्डायुतम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन-बीमा निगम का गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकांश पूंजी-निवेश बड़े उद्योग-गृहों में हैं ;

(ख) क्या पूंजी निवेश के मामले में जीवन बीमा निगम ने लघु उद्योग क्षेत्र की लगभग उपेक्षा की है ;

(ग) यदि हां, तो क्यों;

(घ) क्या पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में सरकार ने जीवन बीमा निगम को कोई मार्ग-दर्शक हिदायतें दी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 75 बड़े व्यापार समूहों से सम्बद्ध कम्पनियों में जीवन बीमा निगम की लगी कुल पूंजी, 31 मार्च 1971 को गैर सरकारी क्षेत्र में लगी उसकी कुल रकमों का 63.8 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग). बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27-क के अन्तर्गत, जैसा कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम पर लागू किया गया है, जीवन बीमा निगम कुछ शर्तों के अधीन तथा कुछ सीमाओं के अन्तर्गत कम्पनियों के शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश कर सकता है बशर्ते कि वे कम्पनियां पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हों। सामान्यतः लघु उद्योग या तो स्वामित्व वाले भागीदारिता वाले उपक्रमों के रूप में अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में होते हैं। इसलिए लघु औद्योगिक उपक्रमों की प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जीवन बीमा निगम के पास कोई गुंजाइश नहीं होती। यही बात ऋणों के सम्बन्ध में है। यद्यपि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छोटे एककों को ऋण दिये जाने में कोई कानूनी कठिनाई नहीं है फिर भी इन एककों को ऋण देने में निगम को कठिनाई होंगी क्योंकि चूंकि जीवन बीमा निगम, बीमे की बिक्री में वृद्धि करने के काम में व्यस्त है, इसलिए उसे अपने निवेश संबंधी कार्यकलाप को इस ढंग से गठित करना होता है जिससे वह अधिक संख्या में छोटे ऋणकर्ताओं के साथ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कारबार न कर के संस्थागत बिचौलियों (इंस्टीटूयूशनल इण्टरमीडियरीज) के साथ बड़ी-बड़ी रकमों का कारबार कर सके। इसलिए, जीवन बीमा निगम, राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा जो लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जारी किए जाने वाली बाजार ऋणों के समर्थन के रूप में लघु उद्योगों को, सहायता प्रदान करता है। जीवन बीमा निगम, लघु उद्योगों की सेवा करने वाली सहकारी औद्योगिक बस्तियों के लिये भी ऋण देता है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम, विभिन्न राज्यों के विद्युत विकास कार्यक्रमों में अंशदान देकर अप्रत्यक्ष रूप से लघु उद्योगों की सेवा करता है....।

(घ) और (ङ). जीवन बीमा निगम को जिस ढांचे के अनुसार निवेश करना है उसका ब्योरा, जीवन बीमा निगम पर लागू किये गये बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27-क में, तथा तत्कालीन वित्त मंत्री मंत्री द्वारा 25 अगस्त 1958 को सदन में दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्य में दिया गया है।

भारत की विदेशी मुद्रा-रिजर्व राशि

1904. **श्री पी० के० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहली जुलाई, 1972 को भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व राशि कितनी थी ;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह राशि अधिक थी या कम; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस विषय पर 17, जून, 1972 के "इकानामिक टाइम्स" में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों की रकम जिसमें सोना तथा विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं, पहली जुलाई, 1972 को 846 करोड़ रुपये थी जबकि पहली जुलाई, 1971 को यह रकम 787 करोड़ रुपया थी। 1972 के आंकड़ों में, 1-1-1972 को विशेष आहरण अधिकारों के नये आबंटन की 74.7 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

(ग). जी, हां। विदेशी सहायता की शुद्ध रकम में कमी होने, बढ़ते हुए ऋण भार तथा हमारे निर्यात के विकास में होने वाले उतार-चढ़ावों के बावजूद, हम अपनी प्रारक्षित निधियों की स्थिति के

कारण चालू वर्ष में कोई बड़े परिवर्तन किये बिना ही उदार आयात नीति को जारी रख सके हैं। प्रारक्षित निधियों का उचित स्तर बनाये रखने का महत्व इस बात में है कि आत्म निर्भर बनने के लिए हमें अपने प्रयत्नों को फिर से दुगुना करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित लाभ

1905. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद से कितना लाभ अर्जित किया है;

(ख) क्या लाभ के अनुपात में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) राष्ट्रीयकरण के बाद के दो पूरे लेखा वर्षों अर्थात 1970 और 1971 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल मिलाकर क्रमश: 6.90 करोड़ और 8.37 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(ख) जी नहीं, इन दो वर्षों में उनकी समग्र कार्यचालन निधियों के प्रति उनके समग्र शुद्ध लाभ के अनुपात में कोई कमी नहीं आई है ?

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

उर्वरक उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता

1906. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में, उद्योग-वार, उर्वरक उद्योग में क्षमता के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वि‍ि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकारी क्षेत्र में कुछ प्लांटों में निर्धारित क्षमताओं की अनुपलब्धि के लिए निम्नलिखित तथ्य हैं :—

(1) सिन्द्री में पुराने एवं घिसे हुए प्लांटों एवं केवट के कुछ खण्डों के परिचालन में प्रोद्योगिकी तथा अन्य त्रुटियां;

(2) रौरकेला में कोक-ओवन गैस की अप्राप्ति और नयवेली में देख-रेख एवं परिचालन सम्बन्धी समस्याएं;

(3) नांगल, गोरखपुर आदि में बिजली में कटौतियां बाधाएं;

(4) ट्राम्बे में उपकरण का त्रुटिपूर्ण रूपांकन । जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, एन्नौर एवं वाराणसी में स्थित यूनिटों में, जिन्हें तकनीकी तथा अन्य परिचालन सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्षमता का कम प्रयोग रहा है।

कुछ सुपर फास्फेट यूनिटों में भी क्षमता का उपयोग कम रहा क्योंकि इन यूनिटों द्वारा उत्पादित सुपर फास्फेट की मांग कम थी ।

श्रमिक कठिनाइयों के कारण कुछ कारखानों में उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा ।

(ख) विभिन्न तथ्यों, जिन्हें वर्तमान प्लाटों के उत्पादन पर कुप्रभावी पाया गया था, की पहचान की गई तथा उत्पादन में वृद्धि करने के विचार से उचित औपचारिक उपाय अपनाए गये हैं अथवा अपनाए जा रहे हैं। इस के फलस्वरूप कुछ सफलता प्राप्त की जा रही है। वर्तमान यूनिटों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाए गए अथवा अपनाए जा रहे अधिक महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) पुराने खण्डों की मरम्मत एवं नवींकरण तथा सिन्द्री कारखाने में एक युक्तिकरण स्कीम को लागू करना ;

(2) ट्राम्बे यूनिट के कुछ खण्डों का संशोधन ;

(3) यूनिटों को बिजली की निरत सप्लाई की व्यवस्था ।

गुजरात के कोयाली तेल शोधक कारखाने का विस्तार

1907. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या पेट्रोलियम **और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयाली तेल-शोधक कारखाने (गुजरात) के विस्तार सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने की बढ़ी हुई क्षमता कितनी होगी और इस पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) से (ग). वर्तमान कोयाली तेल परिष्करणशाला के विस्तार की वांछनीयता की जांच करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था । इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1971 में प्रस्तुत कर दी थी और सिफारिश की थी कि तेल परिष्करणशाला की क्षमता 1975 तक प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन मीटरी टन कर दी जाये और इसे देशी कच्चे तेल द्वारा अनुपूरित आयातित कच्चे तेल की प्रक्रिया करने के लिए रूपांकित किया जाए ।

सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है और भारतीय तेल निगम को सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। संभाव्य रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा और इस पर आने वाली लागत का पता लग सकेगा ।

इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली-वाराणसी-काठमांडू सेवा के गोरखपुर में रुकने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

1908. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली और काठमांडू के बीच दो सेवाएं चलती हैं, पहली दिल्ली-काठमांडू, तथा दूसरी दिल्ली-वाराणसी-काठमांडू ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गोरखपुर के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जहां कि विमान उतरने की सुविधाएं भी हैं, दिल्ली-वाराणसी-काठमांडू सेवा के गोरखपुर में रुकने की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके विशेष कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इण्डियन एयरलाइंस की फिलहाल ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं तथापि गोरखपुर को विमान सेवा से जोड़ने का प्रश्न अलग से विचाराधीन है ।

मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को नियंत्रण में लेना

1909. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को हाल में अपने नियंत्रण में लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व इस कम्पनी पर किस व्यापार गृह अथवा बड़ी स्वतंत्र कम्पनी का नियंत्रण था तथा राष्ट्रीयकरण के पूर्व बालमेर लारी एण्ड कम्पनी में उक्त व्यापार गृह अथवा कम्पनी के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर थे ;

(ग) प्रतिपूर्ति की कुल कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा तथा प्रतिपूर्ति भुगतान का आधार क्या होगा;

(घ) बालमेर लारी एण्ड कम्पनी के शेयरों का ....तना है ; और

(ङ) इन शेयरों को किस मूल्य पर खरीदा गया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच आर० गोखले): (क) इण्डो वर्मा पैट्रोलियम कं० लि० (आई०वी०पी०) (जो एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम है), जिसके बालमेर लारी एण्ड कं० लि० में 30 प्रतिशत शेयर थे, ने हाल ही में इस कं० के अधिकांश शेयर ले लिए हैं।

(ख) सरकार द्वारा बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लि० का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। केवल आई०वी०पी० ने इस कं० के अधिकांश साम्य शेयर ले लिये हैं । हाल तक मैसर्स डंकन ब्रादर्स एण्ड कं० लि० जो 22.59 प्रतिशत शाम्य शेयरों पर अधिकार रखती है, के द्वारा इस पर नियंत्रण किया था तथा जो मैसर्स एलैक्स लावरी एण्ड कम्पनी (इण्डिया लि०) के साथ 27.55 प्रतिशत शाम्य शेयरों के प्रतिपत्र भी रखता है, अर्थात् बालमेर लावरी के कुल शाम्य शेयरों के 50.14 प्रतिशत शेयर।

(ग) आई०वी०पी० के द्वारा डंकन ब्रादर्स एवं यू०के० की पार्टियों को उनके 72,215 शेयरों अर्थात कुल शाम्य शेयरों को 50.14 प्रतिशत शेयर के सम्मिलित रूप में धारिता के सम्बन्ध में, भुगतानित कुल सम्मिलित विक्रय मूल्य 64,63,675 रुपये हैं।

(घ) 1972 के दौरान, बालमेर लारी के शेयरों के औसत मार्किट कोटैशन के (जब कि सम्मिलित मूल्य को अन्तिम रूप दिया गया था) प्रति शेयर 94 रुपये था, जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये था।

(ङ) आई०वी०पी० इन शेयरों को डंकन ब्रादर्स से प्रति शेयर 95 रुपये सम्मिलित मूल्य की दर पर तथा यू० के० पार्टियों से 85 प्रति शेयर की दर पर खरीदा; जोकि प्रति शेयर औसत विक्रय मूल्य 89.50 रुपये पड़ता है।

श्री बीजू पटनायक द्वारा किये गये कर अपवंचन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्योरो द्वारा जांच

1910. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध लगाये गये कर अपवचन के आरोपों की जांच की;

(ख) यदि हां तो उनकी विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे और केंद्रीय जांच ब्योरों के तत्सबंधी निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते हैं ।

भारत सहायता संघ की बैठक

1911. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1972 'स्टेट्समैन' के कलकत्ता, संस्करण में 'एण्ड इण्यिया कानसोरटियम, मीटिंग थ्रोन इनटू टरमायल वाई यू०एस०ए०' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पिछले जून में पैरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में ऋण राहत के विषय में सर्वसम्मत से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था, इसलिए विश्व बैंक ने संघ के सदस्यों के साथ बातचीत जारी रखने का निश्चय किया। भारत सरकार को इस बातचीत के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

मारुति एण्ड कम्पनी लिमिटेड

1912. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, हरियाना के निदेशक मण्डल के सदय्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) निदेशक बोर्ड के सदस्यों का पूर्ण विवरण क्या है ;

(ग) कम्पनी के पूंजी ढांचे की मोटी रूप रेखा क्या हैं ;

(घ) हाल के वर्षों के धनराशि के स्त्रोत कौन से थे तथा धन राशि का उपयोग कैसै किया गया ; और

(ङ) कम्पनी के मुख्य शेयरधारी कौन कौन हैं तथा प्रत्येक के पास इक्विटी शेयरों की संख्या तथा उन की प्रतिशतता कितनी है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). सूचना संग्रहीत की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दो जाएगी ।

गोयन्का ग्रुप के अधीन कम्पनियां

1913. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1972 के अन्त में गोयनका ग्रुप आफ डंकन ब्रादर्स, कलकत्ता के नियंत्रणाधीन कौन-कौन सी कम्पनियां थीं, और

(ख) प्रत्येक कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी, आस्तियां तथा कुल बिक्री क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

इंडियन आयल के प्रबन्ध निदेशक (विपणन) की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

1915. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल के वर्तमान प्रबंधक निदेशक (विपणन) ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में 1,15,00 रुपये का बिल पेश किया है ; और

(ख) क्या इस राशि की मंजूरी दे दी गयी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : **(क) और (ख)**. टाटा मेमोरियल अस्पताल के विशेषज्ञ तथा सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सक प्राधिकारी की विशेष सलाह पर विदेश में कैंसर-वर्धन को हटवाने हेतु आपरेशन के लिए तथा आपरेशन के बाद इलाज करवाने के लिए भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अस्पताल में रहने, चिकित्सा तथा अन्य मदों पर खर्च किये गये 1.14 लाख रुपये के व्यय के लेखे का एक विवरण पत्र भारतीय तेल निगम द्वारा सलाह के लिए सरकार को भेजा गया है। इस राशि के प्रतिपूर्ति के प्रश्न यदि कोई हो तो किस सीमा तक, की स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

बंगला देश से भारतीय सेना का हटाया जाना

1917. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, 1972 के दौरान बंगला देश में भारतीय सेना के कुल कितने सैनिक थे;

(ख) उनके वहां ठहरने के क्या कारण थे और उन्हें वहां से कब तक वापस बुलाया जायेगा; और

(ग) इन सैनिकों के वहां रहने का खर्चा कौन वहन कर रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) तथा (ख). बंगला देश सरकार के अनुरोध पर भारतीय सेना की एक छोटे डिटेचमेंट को टिचगांव पहाड़ी प्रदेश में 15 मार्च 1972 से 15 मई 1972 के दौरान विद्रोही विरोधी संक्रियाओं में बंगला देश सरकार की सहायता करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इस डिटेचमेंट

को 15 मई 1972 को वापस बुला लिया गया है। तब से केवल ढाका में स्थित हमारे उच्चायोग में कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर कोई भी रक्षा सेवा कार्मिक बंगला देश में नहीं है।

(ग) खर्चा भारत सरकार वहन कर रही है।

विश्व बैंक से ऋण

1918. **श्री मान सिंह भौरा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में भारत को विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 1971-72 में भारत ने विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ डालर के और विश्व बैंक की उदार शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 44.6 करोड़ डालर के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए थे।

कारखाने के मजदूरों में "बढ़ने वाली सावधि जमा योजना" का प्रचार

1919. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों में नियोजित आम मजदूरों को "बढ़ने वाले सावधि जमा खाते" खोलने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए उनके मन्त्रालय के लघु बचत निदेशालय ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या खाते खोलने वाले मजदूरों को हर महीने अपनी मजदूरी से उस राशि की कटौती के लिए अपने मालिक को प्राधिकृत करना पड़ता है और मालिक संबंधित डाक-घर में उस राशि को जमा कराता है;

(ग) क्या बढ़ने वाला सावधि जमा खाताधारी को निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व जमा राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है और उसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की अवधि में मजदूरों को बड़ी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो खाताधारियों को बढ़ने वाली सावधि जमा खाते में से धन राशि निकालने की सुविधा देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख). मजदूरी की अदायगी अधिनियम में 1958 में उपयुक्त रूप से संशोधन कर दिया गया था, जिसके अनुसार बढ़ने वाले सावधि जमा खातों में रुपया जमा करवाने और/या बचत प्रतिभूतियां खरीदने के लिए उन कर्मचारियों के मामले में नियोजकों को रकमें काटने का अधिकार दे दिया गया था जो अपने वेतनों में से नियमित रूप में ऐसी कटौतियां करवाने के लिए सहमत हों। राष्ट्रीय बचत संगठन और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेतन से बचत करने वाले समूहों में शामिल होने के लिए राजी करते हैं और उनसे प्राधिकार-पत्र प्राप्त करते हैं और इस प्रकार नियोजकों को हर महीने रकमें काटने और उन्हें बढ़ने वाले सावधि जमा खातों में जमा करवाने का अधिकार मिल जाता है।

(ग) और (घ). बढ़ने वाली सावधि जमा योजना में 5-वर्षीय जमा खातों के मामले में एक बार, 10-वर्षीय जमा खातों के मामले में दो बार और 15-वर्षीय जमा खातों के बारे में तीन बार 50 प्रतिशत तक की रकम निकलवाने की अनुमति है। निकाली गई रकमें 7.2 प्रतिशत वार्षिक के साधारण ब्याज की दर एक-मुश्त या बराबर-बराबर की मासिक किस्तों में वापस की जानी होती हैं। यदि निकाली

गई रकम खाते की अवधि समाप्त होने तक ब्याज सहित वापस नहीं की जाती तो यह परिपक्व मूल्य से काट ली जाती है। इसके अतिरिक्त, खातेदार के लगातार बेकार रहने की स्थिति जैसी वित्तीय कठिनाइयों के अलग-अलग मामलों में बढ़ने वाले सावधि जमा खातों को समय से पहले बंद किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में जमा कराई गई रकम बिना ब्याज के वापस कर दी जाती है और यदि निकाली गई कोई रकम बकाया हो तो उस पर ब्याज लिया जाता है।

घर में काम आने वाली गैस का प्रति सिलेंडर लाभ

1920. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगं कि बाजार में बेचे जाने वाली इण्डियन आयल की घर में काम आने वाली गैस का प्रति सिलिंडर लाभ कितना है?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : एल० पी० जी० गैस बेचने वाली कम्पनी को प्रतिमीटरी टन 70 रुपये अथवा 15 किलोग्राम के सिलिंडर पर रुपये 1.05 का मुनाफा दिया जाता है।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर मंहगाई भत्ते का दिया जाना

1921. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने (मध्य प्रदेश सरकार के) कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता मंजूर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में मिट्टी के तेल की कमी

1922. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और देश के अन्य भागों में मिट्टी के तेल की अब भी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मध्य प्रदेश के कुछ भागों, सिकन्दराबाद क्षेत्र तथा बंगलौर में यत्र-तत्र इस उत्पाद की कमियां होती रही है।

(ख) देश में इस उत्पाद की उपलब्धता की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। उपरोक्त कमियों का मुख्य कारण परिचालन संबंधी कठिनाइयां हैं। यद्यपि यह उत्पाद मुख्य संग्रह केन्द्रों पर उपलब्ध था, इस उत्पाद को खपत केन्द्रों तक ले जाने में समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं और इस तथ्य के कारण हाल की उपरोक्त यत्र-तत्र कमियां हुई हैं।

बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलवे टैंक वेगनों में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है।

तेल कम्पनियां साथ साथ माल चढ़ाने तथा माल उतारने संबंधो अपनी सुविधाओं में वृद्धि कर रही हैं। इस बीच, तेल कम्पनियां उत्पाद को यथासंभव सड़क परिवहन द्वारा ले जा रही ह।

सलया में सोमा-शुल्क अधिकारियों पर हमला

1923. श्री अरविन्द नेताम :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1972 को जामनगर के निकट सलया में तस्कर माल का पता लगाने के लिये एक मकान की तलाशी लेने का प्रयत्न करते हुये उत्तेजित भीड़ द्वारा हमला किये जाने के कारण दो सीमाशुल्क अधिकारी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख). 29 जून 1972 को जब सीमाशुल्क कर्मचारियों का एक दल सौराष्ट्र समुद्र तट पर जाम सलया स्थित एक संदिग्ध मकान की तलाशी लेने गया था तो एक भीड़ ने उन पर आक्रमण किया। उक्त पार्टी का नेतृत्व करने वाले अधीक्षक तथा एक निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अधीक्षक की दाहिनी भुजा पर चोट आ गयी थी और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है परन्तु निरीक्षक अभी भी अस्पताल में ही है।

पुलिस को उक्त मामले की रिपोर्ट की गई जिन्होंने मुख्य संदिग्ध अपराधियों में से छः अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रक्षा-उत्पादन एककों के प्रबन्धकों की कर्मचारी संबन्धी नीति

1924. श्री बी० बी० नायक : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा उत्पादन एककों के प्रबन्धकों की कर्मचारी संबन्ध नीति क्या है;

(ख) थल सेना, नौ-सेना और वायु सेना के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो रक्षा उत्पादन एककों में महत्वपूर्ण प्रबन्धक पदों पर कार्य कर रहे हैं और इन एककों का वर्तमान प्रबन्ध स्तर अन्य सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध की तुलना में कैसा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रवन्धक सम्बन्धी पद जीवन के सभी पक्षों के निपुण प्रबन्धक अधिकारियों तक सीमित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रक्षा उत्पादन यूनिटों के दो वर्ग हैं नामत (1) विभागी व उपक्रम जिसमें आर्डनेंस फैक्टरी के महानिदेशक के सम्पूर्ण चार्ज के अधीन 28 आर्डनेंस फैक्टरियां तथा दो अन्य फैक्टरियां आती हैं अर्थात् हैवी व्हीकल फैक्टरी आवड़ी और टूंडला में एक्सलरेटिड फ्रीज ड्राइड (मीट) फैक्टरी है जो रक्षा मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन है; और (2) रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम जिनकी संख्या 8 है।

रक्षा उत्पादन यूनिटों के प्रबन्ध के लिए कार्मिक नीति इन उपक्रमों में प्रबन्धीय पद पर व्यक्तियों

की नियुक्ति, गुण तथा उपयुक्तता के आधार पर करने की है और साथ-साथ निम्न पदों पर कार्य कर रहे कार्मिकों की पदोन्नति के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करना है। आर्डनेंस फैक्टरियों और हैवी व्हीकल फैक्टरी में प्रबन्धीय पद भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा संवर्ग में सम्मिलित हैं। जिन पर प्रारम्भिक भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। तथापि, हैवी व्हीकल फैक्टरी, आवडी में प्रबन्धीय पद पर सैनिक अधिकारी भी धार्य है। एक्सलरेटिड फ्रीज ड्राइड (मीट) फैक्टरी का अपना पृथक् प्रबन्धीय संवर्ग है।

(ख) 28 आर्डनेंस फैक्टरियों अथवा एक्सलरेटिड फ्रीज ड्राइड (मीट) फैक्टरी में मुख्य प्रबन्धीय पद पर कोई सेना, नौसेना अथवा वायुसेना अधिकारी नहीं होता है। हैवी व्हीकल फैक्टरी आवड़ी में मुख्य प्रबन्धीय पद पर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों की संख्या 2 है जबकि रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम में जनरल मैनेजर, प्रबन्धक निदेशक और चेयरमैन-अथवा-चैयरमैन-सह-प्रबन्धक निदेशक के पदों पर कार्य कर रहे सेना, नौ सैना अथवा वायुसेना के अधिकारियों की इस समय संख्या 14 है जिनमें से 11 सेवानिवृत सेना अधिकारी हैं।

सभी रक्षा उत्पादन यूनिटों में वर्तमान प्रबन्धक मानक अन्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्धक की तुलना के समकक्ष हैं।

(ग) भाग (क). के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर सरकार द्वारा संचालित कित्तूर रानी चन्नमा गर्ल्स मिलिटरी स्कूल का नियंत्रण अपने हाथ में लेना

1925. **श्री वी०वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर सरकार द्वारा चलाये जा रहे कित्तूर रानी चेन्नम्मा गर्ल्स मिलिटरी स्कूल के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है जो पहले ही सैन्ट्रल मिलिटरी गर्ल्स स्कूल के रूप में रक्षा मंत्रालय के विंग्स के अधीन गत पांच वर्षों से चल रहा है;

(ख) क्या इस समय इस स्कूल का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है; और

(ग) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इस स्कूल को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाती है और क्या इस सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। स्कूल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहा है। स्कूल को केन्द्रीय मिलिट्री बालिका विद्यालय के रूप में अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सरकार को इस मुद्दे पर कोई सूचना नहीं है।

(ग) रक्षा प्राक्कलनों से स्कूल को कोई सहायता नहीं दी जाती है।

'येन' का पुन मूल्यन

1926. **श्री बी० वी० नायक** :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जापान के वित्तीय अधिकारी कुछ समय से 'येन' का मूल्य कम से कम 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय रुपये तथा जापान को भारत के ऋण अदायगी दयित्वों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) से (ग). समाचार पत्रों में कुछ ऐसी अटकलें लगाई गई हैं कि जापान को अन्ततोगत्वा येन का और पुनर्मूल्यन करना होगा। किन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि जापान की सरकार ऐसा करने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसलिए ऐसे किसी कदम का हमारी मुद्रा और हमारी देनदारियों पर सम्भावित प्रभाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नौसेना कमानों की संख्या में वृद्धि

1927. **श्री वी० वी० नायक : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में नौसेना कार्यवाही के दौरान भारतीय नौसेना के अनुभव और इसके द्वारा निष्पादित कार्य को देखते हुए, नौसैनिक कमानों की संख्या तीन से बढ़ा कर पांच अथवा और अधिक करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्तमान कमानें 3,000 मील के समुद्री तट की प्रभावकारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) क्या कुछ संसद् सदस्यों से पूर्वी तट पर (अर्थात् कलकत्ता और मद्रास में) दो अतिरिक्त कमानें और पश्चिमी तट पर (अर्थात् कारबाड़ में) एक और कमान स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) वर्तमान कमान अभी तक पर्याप्त नहीं पाए गये हैं।

(ग) जी हां, श्रीमन्।

(घ) माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम की एजेंसियों के माध्यम से छिपाये हुए धन को प्रकट करना

1928. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ब्लिट्ज" दिनांक 17 जून, 1972 में 'एल० आई० सी० हेल्पस टर्न ब्लैक होर्ड इन्ट् व्हाइट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) लेख की मुख्य बातें ये हैं —

(i) जीवन बीमा निगम ने बेरोक-टोक एजेंटों की नियुक्ति की है उससे अनेक बेनामी एजेंसियां पैदा हो गई हैं।

(ii) ऐसी एजेंसियों के जरिये रिबेट देकर व्यापारी अपने काले धन को श्वेत धन में बदल रहे हैं।

(iii) इन एजेंसियों का टर्न ओवर अनुचित रूप से ज्यादा है।

(iv) भ्रष्ट कर्मचारियों को बेनामी एजेंसियों द्वारा अर्जित कमीशन के रूप में गैर-कानूनी प्रतिफल मिल सकता है।

सरकार तथा जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा निगम के एजेंसी संगठन की खामियों पर जैसे अत्यधिक टर्न ओवर, बेनामी एजेंसियां और रिबेट देना, जिनका उल्लेख लेख में किया गया है उच्चाधिकार प्राप्त विभिन्न निकायों की सिफारिशों के आधार पर पहले ही विचार किया जा चुका है। अभिकर्ता विनियम तैयार करते समय जो 1–5–1972 को लागू हुए, इन बातों को ध्यान में रखा गया था। यह आशा की जाती है कि ये विनियम बेनामी एजेंसियां और रिबेट देना खत्म करने में सहायक होंगे तथा इनसे एक स्थायी एजेंसी बल का निर्माण होगा। जहां तक (iv) का संबंध है, गलती करने वाले कर्मचारियों को दंड देने के लिये कानून और प्रशासनिक नियमों में पहले ही व्यवस्था विद्यमान है।

औद्योगिक तेल का आयात और भण्डार बनाने के लिये पृथक क्रय संगठन बनाया जाना

1929. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिलाल शाह समिति की गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को वितरण करने हेतु अशोधित तेल को आयात करने और भण्डार बनाने के लिए पृथक् क्रय संगठन की सिफारिश को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी हां। विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए शोधनशाला करारों के अन्तर्गत, इन विदेशी कम्पनियों को अपने निजी स्रोतों से कच्चे तेल को आयात करने का अधिकार दिया गया है। जब तक वर्तमान शोधनशाला करारों का उचित ढंग से संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक देश के लिए कच्चे तेल की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को एक एकाकी एजेन्सी के माध्यम से आयात करने के सम्बन्ध में शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों के साथ भेदभाव किये जाने के बारे में शिकायतें

1930. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धि में अन्तर्राज्यीय असमानताओं के बारे में किन्हीं क्षेत्रों में यदा-कदा कही गयी बातों की सूचना सरकार को मिली है।

(ख) सरकार की यह नीति है कि प्रादेशिक असमानताओं को कम किया जाए तथा सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इस विषय को महत्व दे रहे हैं। पुराना इतिहास विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक देन में अन्तर और आधारभूत सुविधाओं के विकास में असमानता तथा विभिन्न राज्यों में उत्पादन कार्यविधियों के अलग अलग होने के कारण भी बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धि में अन्तर्राज्यीय असमानताएं हुई हैं। इसमें अब सुधार देखने में आ रहा है। जिन क्षेत्रों में बैंकों की थोड़ी शाखाएं हैं वहां और शाखाएं खोलने और ऋण में विस्तार करने पर जोर देने तथा पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की गति को तेज करने पर राज्यों द्वारा दिये जा रहे जोर के कारण बैंक ऋण के वितरण में प्रादेशिक असमानताओं को कम करने की प्रवृति और सुदृढ़ होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये एक संगठन स्थापित किया जाना

1931. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में सरकार द्वारा किये गये नीति सम्बन्धी निर्णयों की क्रियान्विति का ध्यान रखने के लिए एक संगठन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). बैंकों को सरकार के नीति सम्बन्धी निर्णय बैंकिंग विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजे जाते हैं जो उनके क्रियान्वयन की देखभाल करते हैं।

Assistance from Aid India Consortium

1932. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether India expects to get 80 crores of dollars as aid from the Aid India Consortium as per the decision taken at its meeting held in Paris on the 13-14th June, 1972 ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : At the meeting of the Aid India Consortium held in Paris on 13th and 14th June, 1972, the members of the Consortium had agreed with the World Bank's assessment that fresh aid commitments of the order of $1250 million, comprising $700 million of non-project assistance and $550 million of project assistance would be necessary to prevent a sharp decline in the transfer of resources to India. Members of the Consortium gave their support to the overall programme. The value of the assistance expected to be available during 1972-73 cannot be computed yet, as only some members indicated the contribution they would be able to make, subject to necessary approval by their Government and the other members expected to be able to do so later in the year.

भारत-बंगला देश सीमा पर मुद्रा का विनिमय

1933. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेईमान व्यापारी बंगला देश की मुद्रा में 100 रुपये के बदले 60 रुपये में भारतीय मुद्रा देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस धन्धे पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ व्यापारी बंगला देश की मुद्रा को सरकारी दर से भिन्न दर पर भारतीय मुद्रा में बदलते हैं। दोनों सरकारें इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही हैं और इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाने के बारे में परस्पर विचार-विमर्श कर रही हैं।

सीरिया में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का भारत को वहां से होने वाली अशोधित तेल की सप्लाई का प्रभाव

1934. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि सीरिया में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का हमारे देश को वहां से होने वाली अशोधित तेल की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : सीरिया से अभी तक अशोधित तेल आयात नहीं किया गया है। लम्बे समुद्री मार्ग के कारण इस प्रकार का आयात अलाभप्रद होगा।

नायलोन यार्न का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

1935. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में नायलोन के धागे की कमी है;

(ख) देश में नायलोन के धागे का वर्तमान उत्पादन और खपत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार नायलोन के धागे का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री किशोर सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1971–72 में नायलोन फिलामैण्ट तन्तु के 13,000 मीटरी टन की अनुमानित खपत की तुलना में इस तन्तु का अनुमानित उत्पादन 10,000 मीटरी टन है। राज्य व्यापार निगम के पास पहले से ही उपलब्ध आयातित तन्तु के भण्डारों की परिगणना करने के पश्चात् एक मामूली अन्तराल को कम करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से स्थिति की निगरानी की जा रही है।

(ग) नाइलोन के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें निम्न प्रकार है :—

1. चार यूनिटों को, जो प्रतिदिन 12 मीटरी टन से कम उत्पादन कर रहे हैं; प्रतिदिन 12 मीटरी टन तक विस्तार की अनुमति दी गई है।

2. राज्य व्यापार निगम को प्रतिदिन 6 मीटरी टन क्षमता (प्रत्येक) की स्थापना के लिए 13 आशय पत्र जारी किये गए हैं। उन यूनिटों में से, जिन्हें पुराने लाइसेंस प्राप्त है, एक यूनिट चालू वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ कर देगा और दूसरा यूनिट 1973 में उत्पादन प्रारम्भ करेगा।

Smuggling of Goods into India

1936. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the value and nature of smuggled goods seized during the last six months and the names of the countries from where the goods were smuggled; and

(b) the further steps proposed to be taken by Government to check smuggling ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The value and the nature of smuggled goods seized by the Customs and Central Excise authorities, while being smuggled into India, during the period from January to June, 1972 were as indicated below :—

Commodity	*Value* (Rs. lakhs)	
Gold .	122 (at international monetary rate)	
Watches	147	at Indian market rate
Synthetic fabrics and yarn .	423	
Other goods . . .	297	

It is difficult to precisely name the countries from where goods were smuggled into India, but most of these are likely to have been smuggled from Dubai.

(b) The question of augmenting anti-smuggling staff and acquiring suitable sea craft is under active consideration. It is also proposed to amend the relevant provisions in the Customs Act to provide for deterrent punishment for smuggling offences.

Maintenance of "No. 2 Accounts" to Evade Taxes

1937. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many persons maintain "No. 2 accounts" in order to evade tax;

(b) the number of persons and companies detected whil e attempting to evade ta in this manner during the last six months; and

(c) the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Yes Sir.

(b) The information regarding the number of cases in which duplicate sets of accounts were found during searches and survey operations during the last six months is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) In such cases, thorough investigation is made and suitable additions are made to the taxable income. Penalties for concealment are imposed as provided under law and in suitable cases prosecutions are launched.

सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को दिये गये ऋण

1938. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को दिए गये ऋणों को नई परिवर्तन योजना के अन्तर्गत इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है ; और

(ख) ऋणों के इक्विटी शेयरों में बदले जाने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के इन एककों पर सरकार का कितना नियंत्रण हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). अखिल भारतीय सरकारी सावधि वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त कर रहे प्रतिष्ठानों के ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय यह है कि ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में संस्थाओं को सामान्यत एक खण्ड जोड़ लेना चाहिए जिनके अनुसार उनके पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे भविष्य में दिए जाने वाले ऋणों को सामान्य शेयरों में समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से बदल सकते हैं। उपयुक्त मामलों में, संस्थाओं ने परिवर्तनीयता-खण्डों को लिखना प्रारम्भ कर दिया है। चूंकि अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि वे कब तक इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, नयी योजना के अन्तर्गत ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सहायता प्राप्त उन सभी प्रतिष्ठानों में जिनके लिए परिवर्तनीयता-खण्ड ऋण-सहायता करारों में जोड़ दिए गए हैं, वे संस्थाएं निदेशक मण्डलों के लिए अपने अपने प्रतिनिधि मनोनीत करती हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ क्रय-विक्रय की नीतियों, शीर्षस्थ कार्यकारियों की भर्ती, सचिवों, परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देते हैं और निधियों के दुरुपयोग या अपवर्तन, जो प्रतिष्ठानों के हितों में बाधक होते हों, को रोकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा योजना का विस्तार

1939. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा योजना के विस्तार के बारे में अब तक कोई गम्भीर कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) क्या कुल पालिसियों में ग्रामीण क्षेत्रों की बीमा पालिसियों की प्रतिशतता जो 1961 में 36.5 प्रतिशत थी 1970-71 में घट कर 31.4 प्रतिशत रह गयी थी. और

(ग) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्य को बढ़ाने के बारे में निगम कोई कार्यवाही कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : जीवन बीमा योजना को देहाती क्षेत्रों में लागू करने के लिए किये गये उपायों के कारण जीवन बीमा निगम देहाती क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में नया कारोबार प्राप्त करने में समर्थ रहा है हालांकि नये शहरी-कारोबार की अपेक्षा देहाती कारोबार में वृद्धि की दर प्रशंसनीय नहीं है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) देहाती क्षेत्रों में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये विशिष्ट उपाय ये हैं देहाती क्षेत्रों में, विशेष कर उन क्षेत्रों में जो हरित्-क्रान्ति से लाभान्वित हुए हैं, अपने संगठन को ऐजेंटों के लिए कारोबार की न्यूनतम गारन्टी को कम करना, डाक्टरी परीक्षा किये बिना बीमा कराने की योजना की सीमा बढ़ाना, कुछ क्षेत्रों में बीमा किस्तों की वसूली के लिए डाक-घरों के साथ विशेष प्रबन्ध और देहाती जनता को शिक्षित करने के लिए चलते फिरते प्रचार वाहनों को रखना।

जीवन बीमा पालिसियों के माध्यम से आयकर का अपवंचन

1940. **श्री सी० जनार्दनन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा कारोबार में चल रहे उस नियमित धंधों के बारे में जानकारी है जिसके द्वारा कुछ लोग आयकर से छूट पाने के लिए पालिसियां ले लेते हैं और बाद में उनका परित्याग कर देते हैं; और

(ख) यदि हां तो इस धंधे को बन्द करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : कोई करदाता एक खास किस्म की बीमा पालिसी लेकर और बाद में उसकी अवधि पूरी होने से पहले ही उसका समर्पण करके अनुचित लाभ उठा सकता है; इस स्थिति को सरकार की जानकारी में लाया गया था। जो लोग मात्र कराधान में लाभ उठाने के उद्देश्य से ही ऐसी पालिसियां लेना चाहते हैं उन करदाताओं के लिए सम्बन्धित पालिसियों की शर्तों को अनाकर्षक बनाकर, नवम्बर, 1970 से उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की गयी है।

जीवन बीमा निगम की ग्रुप बीमा योजना

1941. **श्री सी० जनार्दनन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की ग्रुप बीमा योजना से न तो पर्याप्त कारोबार मिला है और नहीं यह समाज के उस जरूरतमन्द ग्रुपों तक पहुंची है जिनके लिए यह बनायी गयी थी ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के बारे में जीवन बीमा निगम का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम द्वारा वष 1967–68 से 1971–72 के दौरान समूह बीमा योजना तथा वार्षिकी योजनाओं के अन्तर्गत किये गये नये कारोबार के आंकड़े निम्नलिखित है :--

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		बीमा योजनाएं		वार्षिकी योजनाएं	
		नई योजनाओं की संख्या	बीमाकृत रकम	नई योजनाओं की संख्या	वार्षिकी प्रति वर्ष
1967—68		40	22.54	3	0.41
1968—69	.	37	25.05	3	0.63
1969—70	.	46	46.05	7	0.61
1970—71	.	69	78.94	36	0.70
1971—72	.	199	141.82	46	1.05

जबकि हाल के वर्षों में समूह बीमा कारोबार सामान्य जीवन बीमा कारोबार की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है तथापि जीवन बीमा निगम समूह बीमा की धारणा को विशेष रूप से नियोजक-कर्मचारी समूह के बीच और अधिक लोक प्रिय बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है।

(ग) समूह बीमा को लोक प्रिय बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) विभिन्न समूहों के लिये उचित योजनाएं निकालने के लिये केन्द्रीय कार्यालय में एक समूह बीमा और अधिवार्षिकी योजना विभाग स्थापित किया गया है।

(ii) समूह योजना कारोबार के विकास और प्रशासन की देखभाल के लिये महत्वपूर्ण शहरों में प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(iii) समूह अवधि बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम की दरें घटा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त एक वर्षीय नवीकरणीय अवधि बीमा योजना के अंतर्गत लाभ-साझेदारी योजनाको उदार बना दिया गया है ताकि समूह पालिसी धारकों को लाभों का पर्याप्त हिस्सा (65 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) प्राप्त हो सके।

(iv) बिक्री से सम्बन्धित (अन्डरराइटिंग) कार्यविधि को सरल बना दिया गया है।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब के विमानों को दुर्घटनाओं की संख्या

1942. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली फ्लाइंग क्लब में हुई विमान दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाएं रोकने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली फ्लाइंग क्लब के दो विमान बड़ी दुर्घटनाओं में ग्रस्त हुए--एक अगस्त 1970 में तथा दूसरा जुलाई 1972 में।

(ख) छानबीन संबंधी रिपोर्टों की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है तथा इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये यथासम्भव उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

भारत और लन्दन के बीच एयर इण्डिया की दैनिक जम्बो जैट सेवा

1943. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने भारत और लन्दन के बीच दैनिक जम्बो जैट सेवा चालू कर दी है ;

(ख) यदि हां तो दैनिक सेवा चालू करने के परिणाम-स्वरूप यात्री यातायात में और एयर इण्डिया की आय में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) क्या इन उड़ानों से सम्बद्ध समीपस्थ देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 'टर्मिनेटर' सेवा चालू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। ऐसा अनुमान है कि 11 जून 1972 से एयर इण्डिया द्वारा भारत/यू० के०/यू० एस० ए० मार्ग पर दैनिक जम्बो जैट सेवाएं चालू करने के परिणामस्वरूप इस सेवा पर यात्री यातायात 1971-72 की तुलना में 1972-73 में लगभग 40% बढ़ जाएगा। चालू वर्ष के लिये एयर इण्डिया के राजस्व बजट में इस मार्ग पर होने वाली कुल राजस्व आय में 42% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

(ग): एयर इण्डिया पड़ोसी देशों को वहां समाप्त होने वाली उड़ानों के रूप में निम्नलिखित साप्ताहिक सेवाएं परिचालित करता है :—

(i) सिंगापुर/जकार्ता में समाप्त होने वाली दो 707 सेवाएं;

(ii) गल्फ क्षेत्र में समाप्त होने वाली चार 707 सेवाएं;

(iii) मारिशस में समाप्त होने वाली एक 707 सेवा;

(iv) पूर्वी अफ्रीका में समाप्त होने वाली तीन 707 सेवाएं;

(v) बंगला देश में समाप्त होने वाली दो 707 सेवाएं;

Construction of Factory for utilising Petroleum by-products of Barauni Oil Refinery

1944. **Shri M. S. Purty : Will the Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state the time by which construction on the factory for utilising petroleum by-products of Barauni Oil Refinery would start and the brief outlines of the scheme in this regard.

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh): The Barauni Fertilizer Project, which is based on naphtha from the Barauni Refinery, is expected to go into production by April 1973. Out of an estimated project cost of

Rs 52·57 crores, upto the end of the year 1971·72 an amount of Rs. 41.7 crores has been spent.

As regards the possibility of production of aromatics based on the output of the Barauni Refinery, a Study Group has been constituted to examine the matter and to suggest a suitable location for an aromatics project. A final decision will be taken on the basis of the findings of the Study Group.

Setting up of Defence University

1945. **Shri M. S. Purty :**

Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any proposal for setting up a Defence University in the country is under consideration of Government; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the decision of Government thereon?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Request from Bihar Government for Inclusion of some Historical places in the Central Tourism Scheme

1946. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the State Government of Bihar have requested his Ministry to include some historical places of Bihar under the Central Tourism Scheme; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government was informed that the integrated development of the Bodhgaya-Rajgir-Nalanda complex and the construction of a Tourist Reception Centre at Patna have already been included under the Central Plan with an outlay of Rs. 37 lakhs.

Arrears of Income Tax against individuals in Bihar

1947. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of persons in Bihar have an income of more than Rs. 10 lakhs against whom Income-tax arrears are outstanding;

(b) whether in some cases these arrears have been outstanding for years and if so, the amount thereof; and

(c) the steps being taken by Government to realise them?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) The information regarding persons in Bihar who were assessed on an income of more than

Rs. 10 lakhs during financial year 1971-72 and against whom tax was outstanding as on 31-3-1972 is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible

Construction of Dams by Military Personnel

1948. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have deployed military personnel on the construction of Dams in certain border areas; and

(b) if so, an account thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Development of Mandsaur in Madhya Pradesh as a Tourist Centre

1949. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Mandsaur Municipality of Madhya Pradesh has demanded the development of Mandsaur as a Tourist Centre in view of its ancient historical importance;

(b) whether pillars, inscriptions and fort having archaeological importance are situated near this city; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Important antiquities in the vicinity of Mandsaur are the fragments of two monolithic pillars found at Sondhi, 3 miles to the South-East of Mandsaur, bearing inscriptions of the achievements of Yashodharman.

(c) The Department of Tourism has no plans to take up any tourist development schemes at Mandsaur.

Circulation of Currency Notes

1950. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether currency notes worth Rs. 67 crores have gone out of circulation during the week ended on the 23rd June, 1972; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) This reflects the flow back of funds to the Reserve Bank of India and is a normal occurrence in the latter half of a month. There is nothing particularly significant about this phenomenon.

Negotiations between India and Sri Lanka regarding direct Air Service between Trivandrum and Colombo

1951. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether negotiations have taken place between the Government of India and the Government of Sri Lanka in regard to resumption of direct air services between Trivandrum and Colombo; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Under the existing air services agreement between the Governments of India and Sri Lanka, the airlines of the two countries are already entitled to operate between Trivandrum and Colombo. Presently, however, the airlines of the two countries are not operating on this route.

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों का धरना

1952. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में 27 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों कि यूनियनों द्वारा 12 जुलाई, 1972 को दिये गये एक दिवसीय धरने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कुछ समाचार-पत्रों में इस आशय की छपी रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आयी हैं।

(ख) तथा (ग) : कलकत्ता में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से कुछ संघों द्वारा की गयी मांगों का संबंध वेतन आयोग की रिपोर्ट के तत्काल प्रकाशन से है और यदि यह संभव नहीं हो तो, अतिरिक्त अन्तरिम राहत मंजूर की जाय जिससे केन्द्रीय सरकार के और सरकारी उपक्रम/क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनों के बीच की विषमता दूर हो सके। वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने और अतिरिक्त अन्तरिम राहत मंजूर करने के बारे में स्थिति की जानकारी सदन को 4 अगस्त, 1972 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 936 और 998 के उत्तर में दी जा चुकी है।

नगरों और कस्बों का दर्जा बढ़ाया जाना

1953. **श्री समर मुखर्जी :**
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराए भत्ता और नगर भत्ता देने के विचार से जनगणना महापंजीयक द्वारा दिये गये वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कस्बों और नगरों का दर्जा बढ़ाया जायेगा; और

(ख) नगरों का दर्जा बढ़ाये जाने से संबंधित आदेश कब तक जारी किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कुछ शहरों/नगरों का 1 अगस्त, 1972 से वर्गीकरण करने का निर्णय किया गया है। शहरों/नगरों के नाम तथा उनके वर्गीकरण के स्वरूप का विवरण-पत्र सदन-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 3358/72]

गुजरात के देना बैंक की शाखाओं में धन का दुर्विनियोग

1954. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर गुजरात में देना बैंक की पालनपुर शाखा, में हसना शाखा और बेचराजी शाखा के एजेन्टों ने कितनी धनराशी का दुर्विनियोग किया है; और

(ख) दुर्विनियोग किये गये धन को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) देना बैंक ने सूचना दी है कि पालनपुर, मेहसाना और बेचराजी शाखाओं के एजैन्टों द्वारा प्रत्यक्ष दुर्विनियोग किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। तथापि, बैंक ने यह सूचना दी है कि किसानों को ऋण देने के संबंध में पालनपुर और मेहसाना शाखाओं में कुछ गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और बेचराजी शाखा द्वारा कुछ अनधिकृत अग्रिम दिए गए हैं।

(ख) बैंक ने पालनपुर और मेहसाना शाखाओं के मामले में ऋणों की अन्तर्गस्त रकम को वसूल करने के लिए कदम उठाए हैं। जहाँ तक बेचराजी शाखा का संबंध है, अनधिकृत अग्रिमों को सही कर दिया गया है। बैंक ने पालनपुर और बेचराजी शाखाओं के प्रबन्धकों को निलम्बित कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाई शुरू कर दी गयी है। बैंक, मेहसाना शाखा के प्रबन्धक के विरुद्ध निलम्बन आदेश जारी नहीं कर सका है क्योंकि उस का कोई अता-पता नहीं है।

उत्तरी सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधि

1955. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारतीय उत्तरी सीमा पर चीनी सैनिकों की बड़े पैमाने पर गतिविधि देखी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को सहायता

1956. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गैर-योजना परियोजनाओं के लिए उड़ीसा को ऋण अनुदान और अन्य सहायता के रूप में कुल कितनी राशि दी; और

(ख) जिन विभिन्न शोर्षकों के अन्तर्गत ऋण और सहायता दी गई, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1969—70, 1970-71 और 1971—72 में केन्द्र द्वारा उड़ीसा को दी गई आयोजना-भिन्न सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	1969-70	1970-71	1971-72*
I. अनुदान			
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) (स्थायी उपबंध) के अधीन अनुदान	24.51	22.72	20.97
2. रेल यात्री किराया पर कर के बदले अनुदान	0.38	0.38	0.38
3. दैवी विपत्तियों संबंधी राहत पर व्यय के संबंध में सहायता अनुदान	—	—	3.00
4. अन्य आयोजना-भिन्न अनुदान .	7.64	7.18	14.38
जोड़-I	32.53	30.28	38.70
II ऋण			
1. छोटी बचतों के संग्रह में राज्यों के हिस्से के बदले ऋण	1.97	1.84	4.27
2. दैवी विपत्तियों सम्बन्धी व्यय के संबन्ध में ऋण सहायता	3.00	—	10.00
3. कृषि प्रयोजनों के लिए अल्पावधिक ऋण .	—	—	4.88
4. साधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए विशेष सहायता .	28.78	26.38	20.21
5. बाली मेला परियोजना के सम्बन्ध में ऋण सहायता	7.00	-	-

	1969–70	1970–71	1971–72*
6. छोटी सिचाई कार्यक्रमों के संबंध में ऋण सहायता	1.35	—	—
7. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	1.14	0.75	2.52
जोड़-II	43.24	28.97	41.88
कुल जोड़	75.77	59.25	80.58

*अन्तरिम

व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण करने की योजना

1957. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त-पोषण करने की योजना को पूरे देश में लागू करने का है; और

(ख) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश केवल पांच राज्यों को ही इस योजना को प्रयोगात्मक रूप से आरम्भ करने के लिए चुने जाने का आधार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वित्त पोषण करने की योजना प्रारम्भ में उन राज्यों में लागू की गई जिन्होंने इसे मान लिया था। इस योजना का कार्य उन जिलों में ऋण की कमी को पूरा करना था जहाँ केन्द्रीय सरकारी बैंकों की वित्तीय और संगठनात्मक स्थिति कमजोर थी और वे चुनी हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को, जो कि अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थी, ऋण देने में असमर्थ थे। इन समितियों को वाणिज्यिक बैंकों के हवाले कर दिया गया ताकि वे अपने सब सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में लागू की गई शर्तों के अधीन रहते हुए, इस योजना को अन्य राज्यों में लागू करके देखने का विचार है।

पुर्नवित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजना

1458. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विकास की उन 134 योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए कृषि पुर्नवित्त निगम ने वर्ष 1971 में 60.66 करोड़ रुपए की पुर्नवित्त सुविधाएं देने का वचन दिया हुआ है;

(ख) वर्ष 1971 के अन्त तक कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा स्वीकृत 540 योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 324.92 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय और निगम द्वारा दिए गए 277.21 रुपए के वचन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक सूचना दी गयी है।

43 L.S.S./72—9.

विवरण

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का राज्यवार विभाजन

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1971 में		दिसम्बर 1971 के अन्त में		
		योजनाओं की संख्या	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिया गया वचन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय	कृषि पुनर्वित निगम द्वारा दिया गया वचन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	1.31	91	37.10	31.52
2.	असम	1	0.04	10	1.54	1.34
3.	बिहार	1	0.14	8	16.17	13.60
4.	दिल्ली	—	—	1	0.12	0.12
5.	गुजरात	12	5.65	51	26.44	22.90
6.	हरियाणा	5	3.19	18	18.55	16.42
7.	जम्मू और कश्मीर	--	--	3	1.80	1.35
8.	केरल	10	1.55	28	6.24	5.07
9.	मध्य प्रदेश	8	3.84	26	23.11	20.66
10.	महाराष्ट्र	27	10.73	45	23.19	19.97
11.	मैसूर	20	7.96	92	43.20	35.84
12.	नागालैण्ड	1	0.30	1	0.30	0.30
13.	उड़ीसा	—	—	8	1.99	1.54
14.	पाण्डीचेरी	1	0.22	1	0.29	0.22
15.	पंजाब	--	--	28	33.22	29.53
16.	राजस्थान	7	2.40	17	10.63	9.33
17.	तमिलनाडू	12	1.59	60	30.62	26.19
18.	उत्तर प्रदेश	20	21.03	45	49.75	40.75
19.	पश्चिम बंगाल	5	0.71	7	0.66	0.56
	कुल जोड़	134	60.66	540	324.92	277.21

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षित पद

1959. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में सरकार के आदेशों का पालन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन बैंकों की सेवाओं में इन समुदायों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है ; और

(ग) इन बैंकों की सेवाओं में इन समुदायों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सीधी भर्ती द्वारा पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में सरकार के अनुदेशों को अपना लिया है । किन्तु, कर्मचारी संघों के साथ हुए करार और समझोतों के कारण तथा न्यूनतम अर्हकरी सेवा वाले व्यक्तियों की कमी के कारण, बैंक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के अनुदेशों को नहीं अपना सके हैं ।

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि इस प्रकार हुई है :—

	राष्ट्रीयकरण के समय	31-12-71 को	वृद्धि
अधिकारी . .	14	27	13
लिपिक .	144	504	360
अधीनस्थ कर्मचारी	1513	2361	848

(ग) 31–12–1971 को राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न श्रेणीयों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता का विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3359/72]

कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डे की स्थापना

1960. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक हवाई अड्डा स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस अनुरोध की जांच करके कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने कोचीन के निकट इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध स्थलों की जांच करने के लिए कोई दल भेजा था और यदि हां, तो क्या दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) क्या सरकार पांचवीं योजना अवधि में कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिह): (क) **और** (ख) जी, हां । **कोचीन** को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) एक विमानक्षेत्र का संभावित विकास करने के लिए एड्डाक्कट्टुवयाल के निकट एक स्थान की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ इंजिनियरों के लापता होने का समाचार

1961. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर के निकट तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ इंजीनियर जब उनको ले जा रही नौका के लापता होने का समाचार दिया गया है तो कठिनाई में पड़ गए थे ; और

(ख) क्या उन इंजीनियरों को बचा लिया गया और यदि हां, तो किस प्रकार ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) 20-5-72 को 7.30 बजे आयोग की मोटर लांच "सागर कन्या" जिसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 29 कर्मचारी थे, भावनगर बन्दरगाह से अलिबेट पश्चिम अपतट व्यधन प्लेटफार्म के लिए रवाना हुई । प्रारम्भ में व्यधन प्लेटफार्म पर काम करने वाले स्टाफ द्वारा लांच को प्लेटफार्म के निकट आती देखी गई किन्तु अचानक ही जहाज पूर्व की ओर जाता दिखाई दिया । थोडी देर के बाद जहाज आंखों से ओझल हो गया ।

प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे श्रमिकों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भावनगर में विद्यमान प्रायोजना अधिकारी से तत्काल सम्पर्क स्थापित किया । प्रयोजना प्राधिकारियों ने सीधे तौर पर तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के माध्यम से भावनगर बन्दरगाह, वायुसेना तथा नौसैना प्राधिकारियों से सम्पर्क कायम रखा तथा लांच के लिए वायु अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया ।

21-5-72 को प्रातःकाल वायुयान से लांच का पता लगाया गया तथा उसे किम नदी में मुहाने में आश्रय लिये हुए पाया गया ।

उस जहाज पर विद्यमान 12 व्यक्तियों को सुरक्षित पाया गया । एक बढ़ई और एक वैल्डर, जो अस्वस्थ थे, को होलीकाप्टर के जरिये लाया गया तथा शेष व्यक्तियों के लिए लांच पर खाद्य-पदार्थ एवं पीने का पानी हवाई जहाज से फैंका गया ।

22-5-72 को प्रातःकाल "सागर कन्या" अपनी निजी बिजली से चलने में समर्थ हुई तथा वह भावनगर बन्दरगाह को अनुरक्षिणों सहित लाई गई । 22-5-71 को 12.15 बजे जहाज अपने यात्रियों सहित बन्दरगाह पर सुरक्षित पहुंचा । बाद में की गई जांचों से पता चला कि अकस्मात् असम्भावित खराब मौसम के कारण लांच प्रवाहित हो गई थी ।

एल० पी० जी० सिलेंडर बदलते समय आग लगाना

1962. **श्री एम० रामगोपाल राम रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्लाई कर्त्ताओं द्वारा एल पी जी सिलेंडर बदलते समय देश के कुछ भागों में आग लगने की गंभीर दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) क्या दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगा लिया गया है ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Granting of Loans to Farmers through Cooperative Societies

1963. **Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether Reserve Bank of India has issued any orders under which loans will be granted to farmers through Co-operative Committees and not directly; and

(b) if so, their impact on the small and middle class farmers?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) No, Sir.

In a few States as an experimental measure, agricultural loans are being given to primary cooperative credit societies by commercial banks in selected areas where the central cooperative banks are either defunct or functioning very badly. In these places, farmers who are members of primary cooperative societies are getting their loans through such societies. Non-members can get loans directly from the commercial banks.

(b) Does not arise.

Proposal for opening a Tourist Centre in the fort of Raja Bali, District Darbhanga (Bihar)

1964. **Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal for opening a Tourist Centre in the fort of Raja Bali at Village Rajpur in District Darbhanga of Bihar for the convenience of tourists; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आय-कर विभाग में भ्रष्टाचार

1965. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आय-कर विभाग में भारी भ्रष्टाचार होता है ; और

(ख) क्या इस विभाग में कदाचारों की उच्चस्तरीय जांच कराने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार आय-कर विभाग में भ्रष्टाचार दूर करने की आवश्यकता के बारे में सचेत है । इस प्रकार का भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है अथवा नहीं, यह अपना-अपना मत है ।

(ख) विभाग में भ्रष्टाचार के संदिग्ध बिन्दुओं और क्षेत्रों का तथा भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों का सरकार को पता है और उनके बारे में किसी प्रकार की जांच कराने का प्रस्ताव नहीं है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ परामर्श करके केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड विभाग में भ्रष्टाचार दूर करने की आवश्यकता की ओर निरन्तर ध्यान रखता है ; भ्रष्टाचार के मामलों पर बोर्ड अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से निगरानी रखता है । विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों की निरन्तर समीक्षा होती रहती है और इन उपायों में सुधार करने के लिए, जब और जहां आवश्यक होता है, कार्यवाही की जाती है ।

बम्बई और कलकत्ता में 'मैट्रो' छविगृहों की कथित तस्कर व्यापारियों को बिक्री

1966. **श्री एम० कतामुतु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1972 के 'ब्लिट्ज' में 'मैट्रोज फाल टू स्मगलस शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उक्त मामले के बारे में जांच-पड़ताल कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) मामले की अभी भी जांच की जा रही है ।

एकाधिकार आयोग का विभाजन

1967. **श्री एम० कतामुतु** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग का विभाजन करके दो भिन्न संस्थायें बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विभाजन का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) प्रस्तावित अलग-अलग संस्थाओं के क्या कार्य होंगे ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) . (क) से (ग). एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत, इसके स्वरूप के अनुसार आयोग एक एकाकी निकाय है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा लोदी होटल में एक रेस्टोरेंट का एक गैर-सरकारी होस्टल मालिक को ठेके पर दिया जाना

1968. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने एक गैर-सरकारी होटल मालिक मैसर्स वुडलेंड्स होटल्स, मद्रास को लोदी होटल में एक रेस्टोरेंट ठेके पर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में अच्छे शाकाहारी रेस्टोरेंटों के अभाव को दृष्टि में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम ने लोधी होटल में एक ऐसा रेस्टोरेंट प्रारम्भ करने का निर्णय किया। शाकाहारी रेस्टोरेंटों का विशिष्ट अनुभव रखने वाले 3 प्रसिद्ध होटल संचालकों से सीमित टेंडर मांगे गये थे। केवल मद्रास के मैसर्स वुडलेंड्स होटल ने टेंडर नोटिस का उत्तर दिया तथा उन्हें निम्नलिखित वार्षिक लाइसेंस फीसों की अदायगी की स्थिति में 1 मार्च, 1972 से 5 वर्षों के लिए एक शाकाहारी रेस्तरां का संचालन करने के लिए लाइसेंस दिया गया :—

वर्ष	वार्षिक लाइसेंस फीस
प्रथम	70,000 रूपये
द्वितीय	75,000 रूपये
तृतीय	80,000 रूपये
चतुर्थ	85,000 रूपये
पंचम	1,00,000 रूपये

जीवन बीमा निगम की गतिविधियां

1969. **श्री रामकंवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1972 के "इकोनामिक टाइम्स" में क्या जीवन बीमा निगम ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है "हैज एल० आई० सी० प्लेड इट्स रोल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा निगम के कार्याचालन के सभी पहलुओं पर उच्च अधिकार प्राप्त विभिन्न निकायों द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किये गये निर्णयों को लागू किया जा रहा है ।

प्रतिकर भत्ते के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग

1970. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि कुछ संसद सदस्यों के साथ लेकर चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता पुनः देने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में सितम्बर, 1971 में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या आश्वासन दिये गये थे ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिन्होंने आन्दोलन आरम्भ कर दिया उक्त भत्ता पुनः देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) उन्हें कहा गया था कि मामले की जांच की जायेगी ।

(ग) मांग यह है कि जो विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता जनवरी 1964 में बन्द कर दिया गया था, वह फिर से चालू किया जाय, क्योंकि चण्डीगढ़ में राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को वह भता मिलता है । अपने कर्मचारियों का प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अपनी एक अलग नीति है जो विभिन्न राज्यों की व्यवस्था से सम्बद्ध नहीं है। इस मामले में समान्य नीति को छोड़ना पक्षपातपूर्ण और अनुचित होगा । फिलहाल तृतीय वेतन आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, वेतन आदि की समीक्षा कर रहा है, और हो सकता है कि वह ऐसे मामलों पर भी विचार करे और वर्तमान नीति में किसी परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार करने से पहले वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

छावनी बोर्डों में नियुक्तियों आदि के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबूनल के दिनांक 3 मार्च, 1960 के न्यायिक पंचाट का लागू न किया जाना

1971. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबुनल के दिनांक 3 मार्च, 1960 के नियम बताने, नियुक्तियां करने, पदोन्नति करने तथा एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थानान्तरण करने से सम्बन्धित न्यायिक पंचाट में निहित सभी निदेशों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है ;

(ख) किन निर्णयों को अभी तक लागू नहीं किया गया है ; और

(ग) उन्हें लागू न करने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य छावनी बोर्ड कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ उनकी नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के लिए नियम बनाने के बारे में 4 मार्च, 1960 (3 मार्च, 1960 नहीं) को प्रकाशित पचांट के प्रसंग में कह रहे हैं। पचाट में दिए गए निदेशों को पूर्णतया क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हुआ है । प्रारम्भ में यह विचार था कि ट्रिब्यूनल के निदेश और सिफारिश के अनुसार छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भर्ती, पदोन्नति और स्थानान्तरण के नियम छावनी अधिनियम, 1924 का संशोधन किए बिना नहीं बनाए जा सकते । इस

संशोधन का प्रस्ताव कुछेक अन्य संशोधनों को ध्यान में रखते हुए करना था। अब यह सोचा गया है कि वर्तमान छावनी अधिनियम की सीमा में भी प्रश्नाधीन बातों पर ट्रिब्यूनल के निदेशों/सुझावों को क्रियान्वित करना सम्भव है। नियमों के प्रस्तावित संशोधन नवम्बर 1969 में दूसरी बार प्रकाशित किए गये, और उन पर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गये थे। नियमों को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

Circulation of Coupons as currency in Rajkot

1972. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the circulation by certain establishments in Rajkot and other cities of Gujarat of coupons as parallel currency which enables one to purchase goods at any place in Rajkot; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Govt. are aware that coupons in lieu of small coins are being distributed by hotel proprietors, shopkeepers and passenger transport operators at Ahmedabad, Rajkot and Bhavnagar cities of Gujarat. They cannot however be called a parallel currency, because people are not obliged to accept them, nor are the persons issuing them obliged to honour them. Their circulation is therefore necessarily limited to a small number of persons known to each other.

(b) Such devices do not constitute a violation of any law, but they are a symptom of local shortages of small coins. The Government's first concern therefore is to remove such shortages by rushing in further supplies of small coins, so that there is no need for such expedients. During the year 1971 the supplies to small coin depots in Gujarat State were 62% higher over the previous year. Weekly quota of small coins supply to Ahmedabad Municipal Transport Service has been increased from Rs. 10,000 to Rs. 20,000. The State Bank of India, Ahmedabad has fixed quotas of small coins for various organisations requiring small coins for bona-fide transactions. They are also issuing small coins worth Rs. 35,000 per week to the Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad for distribution to various trade associations.

Arrears of Income Tax

1973. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the arrears of income-tax still outstanding in the country; and

(b) the steps proposed to be taken in future by Government to realise the said arrears ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The net arrears of Income-tax outstanding in the country as on 31-3-1972 amounted to Rs. 438.60 crores.

(b) The problem of the realisation of arrears is under constant consideration by the Government. As and when new difficulties are encountered, efforts are made to resolve them. In this connection the Government is considering the recommendations made by the Wanchoo Committee.

Flights undertaken by Prime Minister during Elections to State Assemblies

1974. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of trips made by the Prime Minister in the Indian Air Force planes during the Elections to the State Assemblies held in 1972;

(b) the total expenditure incurred on the Indian Air Force planes used by the Prime Minister;

(c) whether Government have since received the payment thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (d). During the period 13th February to 9th March, 1972, the Prime Minister made 151 trips in Indian Air Force planes. No separate costing is done for such flights, but recoveries are made at the rates prescribed under the rules. The amount recoverable under the rules in respect of these flights comes to Rs. 4.97 lakhs (approximately). An amount of Rs. 2,89,568.25 has already been credited to the Defence Services Estimates and action is being taken to recover the balance.

ग्रासाम के खाद्यान्न व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

1975. श्री रोबिन ककोटी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रासाम के खाद्यान्न व्यापारियों को खाद्यान्नों के व्यापार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई ऋण दिये गये हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस उद्देश्य के लिए जिले-वार कुल कितनी धन राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ग्रौर (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है ग्रौर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

ग्रासाम के ग्रौद्योगिक एककों को ग्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

1976. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ग्रौद्योगिक वित्त निगम ने ग्रासाम के बड़े, मध्यम तथा छोटे ग्रौद्योगिक एककों, कारोबार तथा व्यापार के लिये गत तीन वर्षों में वर्ष-वार तथा जिले-वार कितने-कितने ऋण दिये हैं;

(ख) कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से केवल सरकारी लिमिटेड कम्पनियां और सहकारी संस्थायें ही सावधिक ऋण लेने की पात्र हैं। इस के परिणामस्वरुप, निगम को छोटे अथवा मध्यम पैमाने के क्षेत्रों से बहुत कम आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं।

पिछले तीन लेखा वर्षों (जुलाई-जून) के दौरान असम में स्थित बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित की गयी ऋण सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष	उस जिले का नाम जिस में औद्योगिक एकक स्थित है	ऋण की रकम	
		स्वीकृत	संवितरित
1969-70 .	जिला नौगांव (अधिसूचित पिछड़ा जिला)	—	60.00
1970-71 .	तदेव	—	18.50
1971-72 . .	जिला गोलपारा (अधिसूचित जिला)	100.00	—

टिप्पणी : 1969-70 और 1970-71 के दौरान किये गये संवितरण पहले एक औद्योगिक एकक को स्वीकृत किये गये ऋण के सम्बन्ध में है।

(ख) उपर्युक्त पिछले तीन वर्षों के दौरान, असम में दो प्रतिष्ठानों से उनकी परियोजनाओं के लिए निगम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक को स्वीकृत किया जा चुका है और दूसरे आवेदन पत्र पर, जो जनवरी 1972 में प्राप्त हुआ था, कार्रवाई की जा रही है।

(ग) इन वर्षों में, निगम ने असम में स्थित किसी भी औद्योगिक एकक से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र अस्वीकृत नहीं किया है।

आसाम में आय-कर अधिकारियों द्वारा फ़र्मों तथा व्यक्तियों पर मारे गये छापे

1977. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आय-कर अधिकारियों ने आसाम के किन-किन व्यक्तियों तथा वाणिज्यिक संस्थानों पर छापे मारे हैं; और

(ख) इन छापों के परिणामस्वरुप कितनी धन राशि पकड़ी गयी तथा किस प्रकार के कागजात पकड़े गये ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) आय-कर विभाग ने वर्ष 1969-70 से 1971-72 के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के परिसरों की तलाशियां लीं :—

1969-70	श्री वी० पी० धीर एवं प्रोड्यूस एक्सचेंज, गोहाटी ।
1970-71	मैंसर्स बरिक ब्रदर्स, उसके चार भागीदार तथा उनकी मां पांचाली, डिब्रूगढ़ ।
1971-72	कुछ नहीं ।

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में ली गई तलाशियों में कुछ खाता बहियां तथा दस्तावेज पकड़े गये थे जिन में आय छिपाने के संकेत थे। वर्ष 1970-71 में 4,00,000 रुपये की रकम भी पकड़ी गई ।

केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिए असम सरकार का अनुरोध

1978. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य सरकार ने, राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) असम सरकार ने भारत सरकार से कतिपय प्रत्याशित वित्तीय कठिनाइयों के कारण विशेष सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार और योजना आयोग के परामर्श से इस अनुरोध पर विचार किया गया था और यह पाया गया कि असम में वित्तीय स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है और वर्तमान संकेतों के अनुसार राज्य सरकार को चालू वर्ष में किसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

दिल्ली क्षेत्र में सभी होटलों के लिए केन्द्रीकृत लांड्री सेवा

1979. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली क्षेत्र में सभी होटलों के लिये एक केन्द्रीकृत लाण्ड्री सेवा बनाने के विचार से श्री भार्गव को अशोक होटल में लाण्ड्री प्लांट के उप-प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आगे कार्यवाही किये बिना अकबर और जनपथ होटलों का ड्राइक्लिनिंग के काम का मैंसर्स नोवेक्स को ठेका दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) श्री भार्गव मुख्यतया उस लांड्री प्लांट के उत्तरदायी हैं जोकि केवल अशोक होटल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हालांकि वे एक केन्द्रीयकृत लांड्री सेवा की आयोजना से सम्बद्ध हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीयकृत लांड्री सेवा की योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक, अकबर तथा जनपथ होटल अपना ड्राइक्लिनिंग का काम मैसर्स नोवेक्स से कराते हैं, जिनकी दरें अन्यों की तुलना में कम पायी गई हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बेलापुर शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की गई धोखाधड़ी का समाचार

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्रीमान्, मैं कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "बेलापुर शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अंशधारियों के साथ की गयी धोखा-धड़ी तथा उससे लोक वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत होने के समाचार की ओर कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान दिलायेंगे ।"

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): 20 जुलाई, 1972 को, कम्पनी विधि बोर्ड को स्वतन्त्र पार्टी के महामंत्री श्री मधु मेहता का 18 जुलाई 1972 का एक पत्र बेलापुर शुगर एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के हिस्सेधारी बम्बई के बी० एन० डोढी द्वारा जीवन बीमा निगम को प्रेषित दिनांक 14 जुलाई, 1972 के पत्र की एक प्रतिलिपि अग्रेषित करते हुए प्राप्त हुआ। इस पत्र में, जब कि कम्पनी के कार्य-कलापों में जीवन बीमा निगम के पक्ष में अभिरुचि न्यूनता आरोपित थी, वहां साथ-साथ यह उल्लेख भी थे :—

(क) मुरारका समूह की कम्पनियों तथा अन्य ख्याति प्राप्त बम्बई के दलालों को कुल 1,83,59000 रुपये के ऋण दिये गये थे।

(ख) यह ऋण प्रबन्ध से संबंधित व्यक्तियों द्वारा, हिस्सों के सट्टे विषयक, शंकायुक्त व्यापार से सम्बद्ध थे।

(ग) 1971 के वर्ष में 7,20,000 रुपये की एक राशि, कृषि विकास के माध्यम से सात वाहक चेकों द्वारा दी गई दिखाई गई है। यह धन अप्रत्यक्ष रूप से एक राजनैतिक दल की गतिविधियों के खर्च के लिये प्रयुक्त किया गया है।

(घ) इस कम्पनी की कुछ सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियों के विरुद्ध परिवाद किये गये कि उन्होंने गत कई वर्षों के लेखा-परीक्षित लेखे प्रकाशित नहीं किये एवं उनकी वित्तीय स्थिति दयनीय सूचित की गई है।

2. कम्पनी विधि बोर्ड ने इन परिवादों का परीक्षण किया एवं 24 जुलाई को, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-वहियों के निरीक्षण के आदेश का निर्णय किया। कम्पनी कार्य विभाग के ो अधिकारियों को इस निरीक्षण कार्य को करने के लिये, दिल्ली से नामित किया गया था। यह निरीक्षण 26 जुलाई, 1972 को प्रारंभ किया गया एवं 9 अगस्त, 1972 को समाप्त हुआ। इस निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है एवं निरीक्षण रिपोर्ट की उपपत्तियों का अनुमान जानना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट के प्राप्त होते ही इसकी तुरन्त परीक्षा की जायेगी एवं उचित

कार्यवाही की जायेगी। कम्पनी अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिये अधिनियम के अन्तर्गत उपबंधित ढंग से व्यवहार किया जायेगा।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस दल को चुनाव लड़ने के लिये धन की आवश्यकता है और वह ऐसे सभी लोगों के पक्ष का समर्थन करता रहा है जो देश के कानून का उल्लंघन करते हैं। आपराधिक व्यक्तियों को षड्यंत्र और सांठ-गांठ से माफ किया जाता है। इस मामले में देश के सरकारी वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। श्री जी० डी० मुरारका बेलापुर कम्पनी के चैयरमैन हैं और अनेक वरिष्ठ मंत्रियों के बड़े अच्छे मित्र हैं। बेलापुर कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में अंशधारियों ने इस बात पर काफी हल्ला-गुल्ला मचाया और इस बात पर मत देना चाहा कि वार्षिक लेखों को पास किया जाये अथवा नहीं, परन्तु इन सरकारी वित्तीय संस्थानों ने मत देने के लिये न आने और न बोलने के लिये कम्पनी के साथ सांठ-गांठ कर ली। इस प्रकार इन वित्तीय संस्थानों ने छोटे अंशधारियों और सरकारी धन के हितों के विरुद्ध कार्य किया और यह जानते हुए कि लेखा-परीक्षक कंपनियों ने बेलापुर कम्पनी के लेखों का परीक्षण करने से इन्कार कर दिया, उन्होंने बेलापुर कम्पनी की लेखा-बहियों और संतुलन पत्रों को वार्षिक साधारण बैठक में पास करने की अनुमति दे दी।

बेलापुर शुगर फैक्टरी गत कई दशकों से देश की सर्वोत्तम कम्पनी रही है। इस में निवेश को सुरक्षित समझा जाता था। तीन वर्षों के अन्दर श्री मुरारका ने इस कम्पनी की यह हालत बना दी। अपने वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सरकार का भी थोड़ा उत्तरदायित्व है परन्तु किसी न किसी कारण से सरकार ने वार्षिक साधारण बैठक में किसी कार्य में भाग नहीं लिया। इस संबंध में लेखा-परीक्षकों द्वारा कुछ अनियमितताओं का भंडा-फोड़ किया गया था, परन्तु उन्हें दबा दिया गया।

श्री मुरारका से और बेलापुर समूह से सम्बद्ध संस्थानों पर कई वर्षों से लगभग 1.83 करोड़ रुपये की राशि बकाया है जिनमें से कुछ संस्थानों ने तो पिछले दो-तीन वर्षों से वार्षिक साधारण बैठक भी नहीं बुलाई है।

यह कम्पनी महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम से चीनी खरीदती है और इस पर इस समय 96 लाख रुपये की राशि बकाया है। इस विशेष मामले से संबंधित जो फाइल महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम में है वह गायब है।

मेरे पास उन होटल बिलों की फोटो प्रतियां हैं जो श्री और श्रीमती मुरारका द्वारा एक होटल में छः दिन तक ठहर कर होटल को चुकाये गये थे जो लगभग 6000 रुपये के बिल हैं। इन बिलों को बेलापुर शुगर इण्डस्ट्रीज को भेजा गया है। ये सब बातें सरकार के समक्ष हैं। इसमें कम्पनी विधि विभाग कहां सामने आता है क्योंकि मैंने तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को वित्त मंत्री के नाम प्रस्तुत किया था।

चूंकि इस कार्य में एक बहुत बड़ी कम्पनी और सरकार के मंत्री अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में न्यायिक जांच कराई जायेगी ताकि जांच में किसी प्रकार की सांठ-गांठ न हो सके।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैं पहले वक्तव्य में कह चुका हूं कि वहां निरीक्षक गये हैं, उन्होंने कम्पनी के लेखों और अन्य बातों का निरीक्षण किया है और वे निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। स्वतन्त्र पार्टी के मंत्री से 18 तारीख को पत्र मिला था। 24 तारीख को निरीक्षक दल भेजने का

निर्णय किया गया और 26 तारीख को निरीक्षक भेजे गए। उन्होंने अपना निरीक्षण 9 अगस्त को पूरा कर लिया। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं श्री पीलू मोदी तथा सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि ज्योंही निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा, देश के कानून यथा, कंपनी अधिनियम, भारतीय दंड सहिता आदि के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही की जानी होगी, निवारक कार्यवाही की जायेगी। जहां तक वित्तीय संस्थानों का संबंध है, उसे वित्त मंत्रालय को उत्तर हेतु भेजा जा सकता है।

श्री पी०के० देव (कालाहांडी) : यह उत्तर अत्यन्त असंतोषजनक है। मंत्री महोदय के लिये यह कहना बहुत गैर-जिम्मेदारी की बात है कि इस प्रश्न को वित्त मंत्री के नाम से संबंधित किया जाना चाहिए। इसमें सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

श्री पीलू मोदी : मैंने यह कहा था कि बड़े व्यापार की वित्तीय संस्थानों के साथ सांठ-गांठ के कारण मैंने इस सूचना को वित्त मंत्री को संबोधित किया था। किन्तु आपने अथवा सरकार ने इसे कम्पनी विधि विभाग को भेज दिया। यदि इसमें कोई बात वित्त मंत्रालय से संबद्ध है तो कम्पनी कार्य मंत्री का यह कर्तव्य है कि वित्त मंत्रालय से इसकी पुष्टि करके इसका उत्तर दें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्य जानते हैं कि ये वित्तीय संस्थान किस प्रकार कार्य करते हैं......ये वित्तीय संस्थान जीवन बीमा निगम यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य बहुत से संस्थान सांविधिक निकाय है। इनके अपने निदेशक बोर्ड हैं।

इन वित्तीय संस्थानों के निदेशक बोर्ड और प्रवन्धक निवेश नीतियों के आधार पर निर्णय करते हैं जिसके लिये उन्हें रिजर्व बैंक मार्ग-दर्शन करता है। कोई विशेष निवेश सही है अथवा गलत इस प्रश्न की जांच सरकार करेगी। न केवल कम्पनी कार्य विभाग ही अपितु वित्त मंत्रालय भी इसकी जांच करेगा। चूंकि वित्त मंत्री के नाम का उल्लेख किया गया है अतः इसे स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न उठाया गया है कि इन वित्तीय संस्थानों ने जानबूझ कर एक विशेष बैठक में भाग नहीं लिया। इसके लिये मंत्री महोदय क्या कहते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि निवेश नीति इन वित्तीय संस्थानों का उत्तरदायित्व है। मैं कहता हूं कि इन वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का है। मंत्री महोदय ने उठाये गये प्रश्न का उत्तर न देकर वित्त मंत्री को बचाव करने के नाम पर सभा को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पीलू मोदी : मैंने यहां प्रश्न किया है और मुझे इसका विशिष्ट उत्तर पाने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना वित्त मंत्रालय को संबोधित की गई थी। लोक सभा सचिवालय को संयुक्त सचिव की ओर से पत्र मिला कि प्रस्ताव की सूचना का विषय कम्पनी कार्य विभाग से सम्बद्ध है। हमने इसे वित्त मंत्रालय को ही भेजा था और बाद में इसे पुनः भेज दिया गया।

श्री पीलू मोदी : वार्षिक साधारण बैठकों में बोलने और मत देने के सम्बन्ध में इन वित्तीय संस्थानों को क्या स्थायी अथवा विशेष अनुदेश दिए गए हैं? आपके क्या कोई स्थायी आदेश हैं यदि हां तो वे क्या हैं और क्या उनका पालन किया गया था?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ये वित्तीय संस्थान संसद के विशेष अधिनियमों के द्वारा बनाये गये थे। उस कानून के अन्तर्गत इन वित्तीय संस्थानों को कार्य करना पड़ता है। यदि स्थायी आदेश हैं तो उन्हें भी उस कानून के ढांचे के अन्तर्गत होना पड़ेगा।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय अध्ययन करके उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : मैं सभा को जो आश्वासन देना चाहता हूं वह यह है कि ये वित्तीय संस्थान संविधियों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। उन्हें रिजर्व बैंक से अनुदेश दिये जाते हैं। यदि आप चाहें तो मैं उन सब तथ्यों को सभा के समक्ष रख सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर) : यह मानी हुई बात है कि सतारुढ़ दल बड़े व्यापारियों के साथ "जियो और जीने दो" की नीति में विश्वास रखता है; विशेषकर चीनी मिल मालिकों के साथ-जो गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि श्री जी० डी० मुरारका इन संस्थानों के चैयरमेन हैं और उन्हें किस सीमा तक वित्तीय संस्थानों से धन दिया गया है?

क्या सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिये निदेशक बोर्डों में निदेशक नामजद नहीं करती अथवा क्या वे उस विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करने जाते हैं जो सत्ता में बने रहने की जड़ें मजबूत करते हैं? क्या वे देश की जनता के हितों की रक्षा करते हैं? वे आपके अनुदेशों की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? उन्हें स्वतः कार्य करना चाहिये।

क्या यह सच है कि उन पर लगभग 8 लाख रुपये की आयकर की राशि बकाया है और उसकी सहायक कम्पनी चांददेव शूगर मिल्ज पर 1 करोड़ रुपये की आयकर की राशि बकाया है तथा बेलापुर शुगर मिल्ज के पास जमा राशि के रूप में डब्लू एच० ब्रैडी एण्ड कम्पनी के लगभग 35 लाख रुपये हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वोच्च पद पर आसीन एक व्यक्ति जीवन बीमा निगम के चैयरमैन से मिलने गए और उन्होंने चैयरमैन से कहा कि चूंकि जीवन बीमा निगम सबसे बड़ा अंशधारी है इसलिये उन्हें वार्षिक साधारण बैठक पर कार्यवाही करनी चाहिये परन्तु उन्होंने कह दिया कि मेरे हाथ बंधे हुये हैं और मुझे दिल्ली से विशिष्ट अनुदेश मिले हुए हैं (व्यवधान)।

इस वक्तव्य से पता चलता है कि 26 जुलाई 1972 को निरीक्षण आरंभ हुआ और 9 अगस्त 1972 को समाप्त हुआ तथा निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। वह क्या करने का प्रयास कर रहे

क्या यह सच है कि जिन तथ्यों का पहले निरुपण किया जा चुका है उन्हें समुचित क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है? कितने आरोप गलत हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं आरोपों को मानने से इन्कार करता हूं... (अन्तर्बाधा) माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं वे अनुचित हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषय-वस्तु से वे सम्बद्ध नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं.... वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण के बारे में मेरे सहयोगी बतला चुके हैं कि समूचे मामले की पूरी-पूरी जांच की जायेगी और जो कोई कार्यवाही आवश्यक होगी की जायेगी।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री पीलू मोदी तथा उनके मित्र गैर-सरकारी क्षेत्र की अच्छाई का विस्तारपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : मैं सरकारी क्षेत्र की आलोचना कर रहा था।

श्री रघुनाथ रेड्डी : बेलापुर शुगर मिल्ज एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज गैर-सरकारी क्षेत्र में है और जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा की गई धोखाधड़ी का सम्बन्ध है माननीय सदस्य द्वारा बताये गये तथ्यों से पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र कैसे कार्य कर रहा है।

श्री पीलू मोदी : सरकार और सरकारी क्षेत्र के साथ सांठ-गांठ करके।

श्री रघुनाथ रेड्डी : दूसरा प्रश्न जो उठाया गया था वह प्रतिवेदन तैयार करने के बारे में था। जो अधिकारी इन रिकार्डों का निरीक्षण करते हैं, वे विस्तृत नोट लेते हैं, तब प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। कोई भी जांच आयोग दो-तीन दिन में प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार के निदेशक सरकार की हितों की रक्षा के लिये वार्षिक साधारण बैठकों में स्वतः काम नहीं करते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि निदेशक क्या कर रहे थे?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस समय कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता हूं जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। यदि तथ्यों से यह सिद्ध हुआ कि वित्तीय संस्थाओं ने सार्वजनिक हित में कार्य नहीं किया है तो निश्चय ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वे इस प्रकार की कपोलकल्पित बातें क्यों करते हैं कि यह सिद्ध होने पर हम अमुक कार्यवाही करेंगे, हमें इसके पीछे सारी कहानी पता है जो एशियन केबल्स, काले धन, विदेशी मुद्रा से आयात किये गये सामानों से संबंधित है।

श्री पी० के० देव (काला हाडी) : मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य देखा है, यह वस्तुतः एक सोचनीय कार्य है जैसा कि मेरे मित्र श्री पीलु मोदी ने बताया है, यह कम्पनी विधि प्रशासन, भ्रष्ट अधिकारियों तथा भ्रष्ट कर्मचारियों के मध्य सांठ-गांठ है। वित्त मंत्रालय मात्र यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता है कि वित्त संस्थाएं स्वायत्तशासी निकाय है।

मैं कम्पनी विधि प्रशासन पर कर्त्तव्य के प्रति अवहेलना का आरोप लगाता हूं, वह इतने समय तक क्या करता रहा? मंत्रालय भी हमेशा की तरह उसका बचाव कर रहा है।

मैं जानता हूं कि इस जांच से कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए जांच अधिनियम आयोग के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग की नियुक्ति नहीं की जाती है, हमें कम्पनी विधि प्रशासन के अधिकारियों के प्रतिवेदन पर विश्वास नहीं है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसे कि मैंने पहले कहा हमें 20 जुलाई, 1972 को पत्र प्राप्त हुआ था, यहां से जो अधिकारी भेजे गये उन्होंने 9 अगस्त को जांच कार्य पूरा करके अब अपना प्रतिवेदन तैयार करना आरम्भ कर दिया है, यदि आवश्यकता हुई तो हम मोरारका उद्योग समूह के कार्यों की जांच करने के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे।

श्री एच० एम० पटेल (ठंडेका) : मंत्री महोदय ने बेलापुर कंपनी द्वारा किये गये गलत कार्यों के बारे में बताया है कि वे केन्द्र से लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का अध्ययन करके उस पर अपना प्रतिवेदन देंगे।

श्री पीलू मोदी ने ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा था। यह प्रश्न वित्त मंत्रालय और कंपनी विधि विभाग से संबंधित है । परन्तु क्या वित्त मंत्री महोदय के लिए यह उचित है कि वह इसका उत्तर देने का उत्तरदायित्व कम्पनी कार्य मंत्रालय पर डाल दें ? और कम्पनी कार्य मंत्री ने कहा है कि यह उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय का है ।

अतएव ऐसे मामलों में सरकार को सूचनाएं एकत्रित करके उत्तर देना चाहिए। बेलापुर कंपनी ने किस आधार पर प्रतिभूति ऋण के रूप में 98 लाख रुपये लिया था तथा कैसे अन्य कंपनियों को प्रतिभूत्ति रहित ऋण पर 1 करोड़ रुपया दिया गया है ? यदि वित्त मंत्रालय ध्यानाकर्षण सूचना संबंधी प्रश्न का उत्तर देता तो इस मामले में वस्तुतथ्यों का पता चल जाता; यह भी पता चला है कि शेयर दलालों को भारी मात्रा में धन दिया गया है । उनको ऋण देने का क्या तात्पर्य है ?

माननीय मंत्री ने बताया है कि वित्त संस्थाएं स्वायत्तशासी हैं। यह सभा इस बात को जानती है। आपने इस बोर्ड को नियुक्त करके यह समझ लिया है कि सरकार का कार्य प्रश्न का उत्तर देना नहीं है, क्या कंपनी कार्य मंत्री इस संबंध में की गई जांच के प्रतिवेदन को सभापटल पर रखेंगे ? श्री पीलू मोदी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर वित्त मंत्रालय कब देगा ? क्या सरकार यह बतलाएगी कि वह सामूहिक रूप से कार्य करती है अथवा नहीं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : वस्तुतथ्यों को सुनिश्चित करने के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। कंपनी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत प्रतिवेदनों को न सभा पटल पर रखा जाता है और न ही उन्हें सदस्यों में वितरित किया जाता है । परन्तु प्रतिवेदन पर जो भी कार्यवाही की जाएगी उससे सभा को अवगत कराया जायेगा । अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में मेरा यह कहना है कि सर्वप्रथम वस्तुतथ्यों को सुनिश्चित किया जायेगा उसके पश्चात् वित्त मंत्रालय उस पर कार्यवाही करने पर विचार करेगा।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने पूछा था कि क्या सरकार ऐसे मामलों में सामूहिक रूप से कार्य करेगी...

अध्यक्ष महोदय : यह तो वस्तुतथ्य है । अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1972

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री जगजीवन की ओर से नौसेना अधिनियम 1957, की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 180 में प्रकाशित हुए थे । [मंत्रालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3337/72]

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, **कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) :** मैं एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवाहार अधिनियम, 1969, की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मई, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 628 में प्रकाशित हुए थे।

(2) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (जानकारी) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 787 में प्रकाशित हुए थे ।

[मंत्रालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3338/72]

विनियोग लेखे (सिविल) 1970-71 तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं —

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1970-71 संबंधी विनियोग लेखे (सिविल) पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(2) वर्ष 1970–71 सम्बन्धी विनियोग लेखे, सिविल (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।]

[मंत्रालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 3339/72]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्यसभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

लोक सभा द्वारा 4 अगस्त, 1972 को पास किये गये कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1972 से राज्य सभा 9 अगस्त, 1972 की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि सोमवार, 14 अगस्त, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा।

(1) आज की कार्यसूची में शेष आगे ले जाये गये सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार

(2) (एक) पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक 1972 पर (विचार तथा पारित करना)

(दो) दंत-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, पर (विचार तथा पारित करना)

(तीन) धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1972, राज्य सभा पारित किये गये रूप में, पर (विचार तथा पारित करना)

(3) आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 के निरनुमोदन संबंधी साविधिक संकल्प पर विचार और आयरन एण्ड स्टील कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) विधेयक, 1972

(4) संविधान (30 वां संशोधन) विधेयक 1972, पर 17 अगस्त, 1972 को विचार करना तथा उसे पारित करना।

(5) भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के 12वें प्रतिवेदन पर चर्चा, जिसके बारे में गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन पर जिसके बारे में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) देश के पिछड़े क्षेत्रों, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड, बिहार के छोटा नागपुर, के लिए पृथक-पृथक विकास योजनाओं सम्बन्धी प्रस्ताव, जो श्री नाथू राम अहिरवार द्वारा बुधवार, 16 अगस्त, 1972 को मध्याहन पश्चात् 4 बजे प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1967 में जनता की शिकायतों की जांच के लिए ओम्बड्समैन जैसी संस्था की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। गत अधिवेशन में जब लोकपाल और लोक आयुक्त संबंधी विधेयक लाया गया था तो इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। मंत्री महोदय ने इसे आगामी अधिवेशन में लाने का आश्वासन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह विधेयक कब लाया जायेगा।

दूसरा, मैंने नियम 193 के अंतर्गत पदारूढ़ दल में बढ़ती हुई फासिस्ट प्रवृत्ति पर चर्चा करने का समय मांगा था। इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : विभिन्न विपक्षी दलों के 20 सदस्य प्रधान मंत्री के पास यह अनुरोध लेकर गए थे कि केन्द्रीय सेवा नियम के नियम 5 के अंतर्गत हड़ताल में भाग लेने के कारण निकाले गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बहाल किया जाये। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वे इस पर वक्तव्य दें, समाचारपत्रों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाने वाला है। मेरा अनुरोध है कि इसके स्थान पर जीवन निर्वाह व्यय को वर्गीकरण का आधार बनाया जाना चाहिए।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena): I want to know when the Government is bringing forward the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Amendment Bill here again. Secondly when the Bill regarding quorum will be presented. The report of the Pay Commission has not so far been received. Do the Government intend to announce any interim relief for the employees?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक में नियम 193 के अंतर्गत प्रति सप्ताह दो विषयों पर चर्चा करने का निर्णय किया था । मैं जानना चाहता हूं कि आगामी सप्ताह किन नियमों पर चर्चा की जाएगी ? दूसरा, सरकार छोटे अखबारों के लिए वित्त निगम विधेयक कब यहां प्रस्तुत करेगी ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : क्या दिल्ली में समाधियों पर रोशनी किये जाने के बारे में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के वक्तव्य की एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी ? सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय कार्यवाही सूची में नहीं है।

श्री समर गुह : श्री भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगलादेश के प्रदेश पर रोक लगाने की धमकी दी है । उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध बंदियों की रिहाई का प्रश्न भारत और पाकिस्तान का मामला है और इसमें बंगला देश के आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । यह वास्तव में गंभीर मामला है ।

हमने संविधान का संशोधन किया है । संसद के अधिकारों की समीक्षा करने का उच्चतम न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा समाचार है कि उच्चतम न्यायालय संसद के अधिकारों की समीक्षा करने जा रही है । यह एक गम्भीर मामला है । इस संबंध में विधि मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए हमने संविधान संशोधन पारित किया है । उच्चतम न्यायालय को सभा के निर्णय की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची में नहीं है। आप इस संबंध में अलग से प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उच्चतम न्यायालय को किन्हीं विषयों पर विचार करने से कैसे रोक सकता हूं, मैं सभा के नियमों से बंधा हुआ हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : उच्चतम न्यायालय को समाप्त किया जाना चाहिए। संसद ही सर्वोच्च है ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandasur): I want to raise a discussion regarding Vinod and Deep Chand Mills in Madhya Pradesh. Provident fund amounting to Rs 70 lakhs is being misused. Employees are not getting their Provident fund dues and they are being sacked. The Condition of their dependents is worsening. Rajya Sabha had also discussed this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर स्वयं विचार करूंगा, मैं राज्य सभा के नियमों से नहीं बंधा हूं।

Dr. Laxminarain Pandeya: The Provident Fund is being misused. Mills are being closed. It is a vital question. The State Government is not taking any step. The Minister should make on this matter.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : आपने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लिए आयुक्त के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया था । मैं जानना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कब की जायेगी ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मेरा अनुरोध है कि पिछड़े क्षेत्रों पर विचार करते समय उत्तरी बंगाल जैसे अन्य पिछड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया जाये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : यहां अनेक सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर वक्तव्य देने की मांग की है । मैं इतना ही कहूंगा कि प्रश्नों को उचित माध्यमों से पूछा जाना चाहिए, मैं उनकी मांगों को सम्बन्धित मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा, आगामी सप्ताह की सूची में इन विषयों को शामिल करना मेरे लिए कठिन होगा, हमने पिछड़े क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं पर प्रस्ताव के बारे में चर्चा को शामिल कर लिया है, मैं श्री दाम चौधरी के इस सुझाव पर विचार करूंगा कि अन्य पिछड़े क्षेत्रों को भी चर्चा में शामिल किया जाये । गणपूर्ति घंटी के बारे में मेरा यह कहना है कि विपक्षी दलों के साथ यह समझौता हो गया था कि मध्याह्न भोजन के दौरान अथवा 6 बजे के उपरान्त यदि 15 सदस्य हैं तो गणपूर्ति घंटी की आवश्यकता नहीं है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सीं० पन्त) : मैं एक बात के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । प्रधान मंत्री का आदेश है कि केवल पांच भवनों पर रोशनी की जायेगी और अन्य स्थानों पर यदि रोशनी की गई तो वह हमेशा की तरह होने वाली रोशनी होगी । हमने निर्णय किया है कि खादय संकट को देखते हुए रोशनी और भोज में किफायत बरती जाये ।

उगांडा में एशियाई लोगों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING ASIANS IN UGANDA

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जैसा कि सदन को ज्ञात ही होगा उगांडा के राष्ट्रपति अमीन ने यह घोषणा की थी कि उगांडा में रहने वाले एशियाई मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारी लोगों को तीन महीने की अवधि में वह देश छोड़ देने के लिए कहा जाएगा । 9 अगस्त को राष्ट्रपति अमीन ने कम्पाला में यूनाइटेड किंगडम और भारत के हाई कमिश्नरों को और पाकिस्तान के दूत को अपनी सरकार के निर्णय से अवगत कराने के लिए बुलाया । इस मीटिंग के बारे में हम उगांडा स्थित अपने हाई कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट की यद्यपि अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने (राष्ट्रपति अमीन ने) पहले जो घोषणा की है उसकी परिधि में भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के नागरिक भी आ जायेंगे लेकिन कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को छूट दे दी जाएगी जिनका ब्यौरा अभी बताया जाना है ।

2. जहां तक ब्रिटिश पासपोर्टधारियों का प्रश्न है, सदन जानता है कि अपने सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार का यही रूख रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रिक हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम सरकार की है और उन्हें बिना किसी भेदभाव के यूनाइटेड किंगडम में मुक्त रूप से प्रवेश करने का अधिकार है । हमें यह मालूम है कि उगांडा और यूनाइटेडकिंगडम की सरकारों में इन मामलों पर विचार-विमर्श हुआ है और हम यह आशा करते हैं कि बहुत-बड़े पैमाने पर लोगों में भय पैदा होने से, उन्हें विस्थापित होने से तथा कठिनाइयों से बचाया जाएगा तथा व्यावहारिक और माननीय मसालों को संतोषजनक ढंग से सुलझाया जाएगा ।

3. इस बीच सरकार ने इस बात के लिए कदम उठाना आवश्यक समझा है कि, घबराहट और जल्दबाजी में बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश पासपोर्टधारी लोग भारत में न चले आएं । इस लिए यू०के० एवं उपनिवेशों के नागरिक जो सामान्यतया उगांडा में रहते हैं उनके भारत प्रवेश को नियमित करने के लिए एक वीसा पद्धति तत्काल लागू कर दी गई है । सरकार ने इस बात को भुला नहीं दिया है कि प्रभावित होने वाले इन बहुत से लोगों के भारत के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पुराने संबंध हैं और इस वीसा पद्धति में इन आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएगी ।

4. उगांडा में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में हमारे हाई कमीशन में इनकी पंजीकृत संख्या लगभग 3000 है । ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है कि उगांडा सरकार के नये निर्णयों के क्षेत्र में इनमें से कितने लोग आएंगे । हमने अफ्रीकी देशों के नागरिकों के हित में उनके अन्दरूनी मामलों को नियमित करने के लिए उनकी आकांक्षाओं को सदैव समझदारी से परखा है । हम उगांडा के अधिकारियों से संबंध बनाये हुए हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम वहां पर भारतीय राष्ट्रिकों के हित की रक्षा के लिए सब कुछ, जो हम कर सकते हैं, करेंगे यह भी सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि अन्ततः इससे जो प्रभावित होंगे उनके साथ मानवीय समानता एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाएगा।

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : मैं जानना चाहता हूं कि....

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के उपरान्त कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है । मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी । राष्ट्रपति अमीन द्वारा बुलाई गई उच्चायुक्तों की बैठक कुछ दिन पूर्व हुई सरकार इस संबंध में विशिष्ट जानकारी देने में क्या असमर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मेरी आज्ञा बिना बोलेंगे तो उनका एक शब्द भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय मैंने इस संबंध में आपको लिखा था । आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते.... (व्यवधान)

श्री आर०एस० पांडे :(राज नन्दगाव) :अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को आप पर इस प्रकार चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं। यह बहुत गलत बात है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिमय बसु कृपया आप बैठ जाइए।

श्री ज्योतिमय बसु : मंत्री महोदय ने कुछ बातों को स्पष्ट नहीं किया ।

श्री राज दहादुर : हमें भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं । माननीय सदस्य ने आपसे बहुत अनुचित बात कहा है । मैं चाहता हूं आप उनके इन शब्दों 'आपकी यह हिम्मत कैसे हुई' की ओर ध्यान दें !

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने शब्द वापिस लेने होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा । मैंने आपके प्रति कोई असम्मान प्रकट नहीं किया । यदि आपको ऐसा महसूस हुआ है तो मुझे इसका अफसोस है।

श्री आर० एस० पांडे : प्रायः कई बार ऐसा होता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य आप पर चिल्लाते हैं और बुरा भला कहते हैं फिर बाद में कह देते हैं कि इस बात के लिए उन्हें अफसोस है :..व्यवधान

एक माननीय सदस्य : सभी विरोधी पक्ष के सदस्य ऐसा नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य तो नहीं कुछ अवश्य ही बहुत रुखा व्यवहार करते हैं । अध्यक्ष पीठ द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होता है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सदा सभा के प्रक्रिया नियमों अनुसार कार्यवाही की है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के अन्य सदस्य भी तो अपने विचार व्यक्त करते हैं मुझे समझ नहीं आता कि माननीय सदस्य अपने विचार उस प्रकार क्यों नहीं व्यक्त करते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रयत्न करूंगा मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है नियम 376 के अधीन मैं मद 7 और 8 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : मद 7 पर आपको बोलने की इजाजत दी गई थी और मद 8 पर मंत्री के वक्तव्य के उपरान्त कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। प्रक्रिया नियमों के अनुसार इसकी आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केन्या-भारत मामलों के संबंध में पूछना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के उपरान्त कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। आप कृपया बैठ जाइए।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले युनिट द्वारा क्रान्तिकता प्राप्त करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. CRITICALITY OF THE FIRST UNIT OF RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

11 अगस्त, 1972 को लोक सभा राज्य सभा में दिया गया वक्तव्य

गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० सी० पन्त) : चम्बल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के समीप रावतभाटा में स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट ने आज भारतीय समय के अनुसार 10 बजकर 58½ मिनट पर क्रान्तिकता प्राप्त कर ली। यूनिट के क्रान्तिकता प्राप्त कर लेने के बाद अब इसकी जांच विद्युत शक्ति के विभिन्न स्तरों पर करने और परीक्षण करने का कार्यक्रम शुरु किया जायेगा जो सम्भवतः कुछ महीनों तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम, जिसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि इस यूनिट की विद्युत प्रणाली ग्रिड की अवस्थाओ के अनुरुप हैं अथवा नहीं, के सफलता पूर्वक पूरा होने पर यूनिट को चालू घोषित कर दिया जायगा।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस रिऐक्टर का निर्माण भारतीय इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों ने कनाडा सरकार से एटामिक एनर्जी आफ कनाडा लिमिटड के माध्यम से प्राप्त हुई सहायता से किया है तथा यह उस महान प्रयास का एक परिणाम है जो परमाणु उर्जा विभाग भारत को परमाणु उर्जा के शान्तिपूर्ण अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रहा है। इस क्षेत्र में कनाडा के साथ हमारा सहयोग लम्बे समय से चल रहा है तथा इसकी शुरुआत सन् 1956 में ट्राम्बे में साइरस रिऐक्टर के निर्माण में हुई थी।

इस रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रुप में काम में लाया जाता है, तथा रिऐक्टर को चालू करने के लिए आवश्यक प्रारम्भिक ईधन का अर्ध-भाग बिहार के जादूगुडा क्षेत्र में स्थित हमारी यूरेनियम की खानों से यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाले गये यूरेनियम से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने किया है। ईधन का शेष अर्धभाग कनाडा से उस देश के साथ सन् 1963 में किये गये सहयोग करार के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है।

सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि इस रिऐक्टर की नियन्त्रण प्रणाली का निर्माण परमाणु ऊर्जा आयोग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले एक उपक्रम इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने भारत में ही किया था।

जैसा कि सदन को मालूम है, भारत का पहला परमाणु बिजलीघर तारापुर परमाणु बिजलीघर था जोकि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को बिजली की सप्लाई कर रहा है। राजस्थान परमाणु बिजली-

घर प्रस्तावित उत्तरी ग्रिड का एक भाग होगा ताकि इस बिजलीघर से उन राज्यों को बिजली उपलब्ध हो सके जो इस ग्रिड के अन्तर्गत आते हैं। सरकार इस स्टेशन में उत्पादित बिजली की वितरण व्यवस्था इस प्रकार से रखने के लिय गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है कि इसका उपभोग इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह और कम खर्च पर किया जा सके।

मुझे विश्वास है कि सदन परमाणु उर्जा विभाग के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने सच्ची लग्न और पूरी निष्ठा के साथ इस परियोजना को सफल बनाने का काम किया है, बधाई देने में तथा कनाडा सरकार के प्रति उस सहायता के लिए जो उसने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना में हमें प्रदान की है, कृतज्ञता प्रदान करने में मेरे साथ हैं।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the Clock).

(मध्याहन भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर 31 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty one minutes past fourteen hours)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in Chair

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि मैं स्टेट बैंक के कोषाध्यक्ष श्री डी० पी० मल्होत्रा के बारे में सदन में एक मामला उठाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में एक वर्ष पूर्व कुछ जांच शुरु की गई थी। क्या यह जांच पूरी कर ली गई है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? श्री डी० पी० मल्होत्रा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

आयकर (संशोधन) विधेयक

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961, का और संशोधन करने तथा निर्धारण वर्ष 1962-63 के पूर्व के कतिपय निर्धारण वर्षों से संबंधित कुल आय की संगणना में धन कर बाबत संदत्त रकमों की कटौती के वर्जन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

इस विधेयक का उद्देश्य आयकर (संशोधन) अध्यादेश 1972 को प्रतिस्थापित करना है जोकि राष्ट्रपति द्वारा 15 जुलाई, 1972 को प्रख्यापित किया गया था।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यापारिक परिसम्पत्ति पर दिया गया धनकर उसकी कर योग्य आय को निर्धारण करते समय इस राशि में से कम कर दिया जाना चाहिए। हाल के वर्षों के दौरान आयकर और धनकर रूपी उपकरणों को उत्तरोतर विषमताओं को समाप्त करने में प्रयोग किया जाता रहा है। यदि कर-योग्य आय निर्धारित करते समय धन कर की राशि को उसमें कम करने की अनुमति दी जाए तो सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार पर आयकर और धनकर दोनों का भार उनकी कर योग्य आय से अधिक नहीं होगा। इससे हम अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से नहीं कर सकते। दूसरे पहले स्वीकृत विचारों को ध्यान रखते हुए गत 15 वर्षों के दौरान किए गए कर निर्धारण के मामले में कर योग्य आय निर्धारित करने में धन-कर की राशि को कम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि उच्चतम न्यायालय के अद्यतन निर्णय को पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो अधिकांश कर दाताओं के मामलों में अतीत में किए गए आयकर निर्धारण में संशोधन करना पड़ेगा और इससे प्रशासनिक कार्य बहुत बढ़ जायेगा और आयकर के रूप में एकत्रित की गई करोड़ों रुपये की राशि को लौटाना पड़ेगा। आयकर और धनकर का हिसाब लगाने में भी काफी कठिनाइयां होंगी विशेषकर इस कारण की इन दोनों करों की दर सूचियां स्लैब सिस्टम पर आधारित हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन करने की व्यवस्था की जा रही है कि जो राशि धन कर के रूप में दी जाएगी उसे 'व्यापार और धन्धे के लाभ' अथवा 'अन्य साधनों से हुई आय' शीर्षक के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली आय निर्धारित करते समय काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह संशोधन 1 अप्रैल, 1962 से अर्थात इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से लागू किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में एक अलग उपबन्ध भी किया गया है कि 1957-58 से 1961-62 तक के आय कर निर्धारण वर्षों के लिए जब भारतीय आयकर अधिनियम 1922 लागू था उपर्युक्त शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आय निर्धारण करते समय धन कर को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विधेयक में विशेषरूप से यह व्यवस्था की गई है कि नये उपबन्ध उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जिनमें आयकर (संशोधन) अध्यादेश 1972 के लागू होने से पहले उच्चतम न्यायालय से कर-दाताओं को अनुकूल निर्णय प्राप्त हुआ था। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय की निर्णय की पावनता को बनाए रखने के लिए यह छूट दी जा रही है।

मैं आशा करता हूं सभा इस विधेयक का एकमत से समर्थन करेगी।

***श्री माधुर्य हाल्दर** (कथुरापुर): उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिये कुछ भी नहीं है। आयकर 1961 में पारित किया गया तथा सम्पत्ति कर अधिनियम 1957

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bangali.

में। इस अवधि के दौरान या उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसमें धन वापिस करने की आवश्यकता पड़ी हो जिसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। हमें प्रसन्नता होती यदि यह उपबन्ध इस विधेयक में न होता क्योंकि हमें देश के पुर्ननिमाण के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। दूसरे देश में कई छोटे व्यापारी एवं उद्यमकर्ता हैं जिनकी पूंजी दो तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है। अगर इन लोगों को आय कर एवं सम्पत्ति कर का भुगतान करना पड़ा तो इनके पास निवेश करने के लिए अधिक नहीं बचेगा परिणामस्वरूप वह अपने उद्यमों का विस्तार नहीं कर पायेंगे। इन उद्योग में मशीनों का बाहुल्य न होकर श्रमिकों का बाहुल्य होता है। और अगर यह लोग अधिक पूंजी निवेश करेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार मिल पायेगा अतः मेरा निवेदन है इन छोटे उद्यमकर्ताओं को सम्पत्ति कर के भुगतान से छूट दी जाए।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना): अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन कर अधिनियम 1957 में पारित हुआ था। उस समय से अब तक स्थिति स्पष्टतः समझी गई है कि जो व्यक्ति धन कर देता है कर प्रयोजनों के लिए इसकी आय से कटौती न की जाए। ट्रावन-कोर टिटेनियम प्रोडेक्टस लिमिटेड बनाम, आय कर आयुक्त के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय भी दिया था। मार्च 1972 में इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस चिंतनीय स्थिति को बदल दिया। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया और यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया गया है। सम्पत्ति कर को आय में से घटाने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि सम्पति कर का सीधा सम्बन्ध उसके व्यवसाय से है। 1961 के आय कर कानून में हमने कई कटौतिया की उदहरणार्थ पानी बिजली के शुल्क को उसमें से कम किया गया। किन्तु यह कहना सम्भव नहीं कि सम्पति कर किसी भी व्यवसाय के स्वरूप से सीधा सम्बद्ध है। सम्पति कर को घटाने के लिए व्यवसाय पर हुआ खर्चा दिखाना जरूरी है क्योंकि यह कर सम्पति के मालिक पर लगाया जाता है। सम्पति कर एक ऐसा खर्चा नहीं है जोकि व्यवसाय के स्वरूप से सीधा सम्बद्ध हो अतः यह घटाने योग्य नहीं।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यह कहा जाता था कि कराधान का प्रयोजन राज्यों के लिए राजस्व बढ़ाना है किन्तु अब यह सर्वत्र स्वीकार क्रिया जाता है कि कराधान का एक उद्देश्य यह भी है कि समुदाय में आय और सम्पति की विषमता को कम किया जाए अतः सभी उन्नत देशों में आय और सम्पति की विषमता को कम करने के लिए कराधान के अत्याधिक प्रगतिशील दरों को लागू किया गया है। हमने 1957 में धन कर अधिनियम का अधिनियम किया था। यदि हम धन कर को आय कर की गणना के प्रयोजन से आय कर में से काटने दें तो हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति न केवल कम दर पर आय कर अदा करेगा अपितु वह कर की अदायगी राज्य के खर्चे पर करेगा जिसके परिणामस्वरूप आय में असमानता कम नहीं हो पायेगी। आय की असमानता को घटाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है अतः इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

1957 और 1966 में कई मामलों का निर्णय इस नियम पर किया गया कि कराधान के उद्देश्य से सम्पति कर को आय में से नहीं घटाया जाएगा और यदि हम इस नियम में परिवर्तन करते हैं तो हमें कई लोगों को करोड़ों रुपये की राशि लौटानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यही सभी तर्क मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत करते समय दिए हैं आप केवल उनकी पुनरावृति कर रहे हैं ।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम): मैं अपने दल की ओर से इस आय कर संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना चाहता हूं ।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि किसी करदाता द्वारा व्यापारिक आस्तियों के सम्बन्ध में दिया गया धन कर, करदाता की व्यापार से होने वाली आय की संगणना करने में व्यापारिक व्यय के रूप में घटा दिया जाना चाहिए । इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लोक सभा के सत्र होने से ठीक सोलह दिन पहले 15 जुलाई 1972 को आयकर (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित किया गया । इस विधेयक का उद्देश्य उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है । मुझे समझ नहीं आता यदि सरकार 16 दिन और प्रतीक्षा करके इस विधेयक को संसद में पेश करती तो क्या हर्ज होता ।

उपाध्यक्ष महोदय यदि आप ध्यान से विधेयक पढ़े तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि राष्ट्रपति के इस सम्बन्ध में 16 दिन पहले अध्यादेश प्रख्यापित करने में कोई औचित्य नहीं। बड़े पैमाने पर हो रहे करापवचन को देखते हुए आयकर अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है । पिछले तीस चालीस वर्षों से सरकार द्वारा स्थापित किए गए अनेक आयोगों तथा समितियों ने व्यापक संशोधन की सिफारिश की है । मैं इस छोटे से विधेयक से संतुष्ट नहीं हूं ।

वर्ष 1936 में सरकार ने इस प्रश्न की जांच हेतु आयर समिति की नियुक्ति की । 1947 में आयकर जांच आयोग का गठन किया गया । 1953-54 में श्री निकोलस काल्दर ने इस सम्बन्ध में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की फिर 1968 में वित्त मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों को इस प्रश्न की जांच करने के लिए कहा गया और इस वर्ष के आरम्भ में प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की । सरकार इन वित्त विशेषज्ञों की राय को क्रियान्वित करने में काफी समय ले रही है ।

कई आयोगों तथा जांच समितियों की नियुक्ति के पश्चात् वर्तमान स्थिति क्या है ? वर्ष 1968-69 में 1400 करोड़ रुपये की राशि पर कर अपवयन किया गया । 31-3-1970 के अन्त तक लोगों पर 840.70 करोड़ रुपये के कर बकाया थे लेकिन 1965-70 के दौरान केवल 20 लोगों को कर न देने के कारण जेल भेजा गया । इसका अर्थ है या तो दण्डात्मक व्यवस्था का ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता था कि अधिनियम के दण्डात्मक उपबन्धों में कुछ कमी है । कई करदाता रिट याचिकाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं । संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत वह कर प्रक्रियाओं में विलम्ब लगाते हैं । 1970-71 के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय में 1648 रिट याचिकाएं विचाराधीन पड़ी थीं ।

वित्त मंत्री ने कहा था कि बकाया करों की वसूली की समुचित व्यवस्था की जाएगी पर इसके बावजूद बकाया करों की राशि बढ़ती जा रही है । दण्डात्मक व्यवस्था का उचित एवं प्रभावशाली रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा । सारे देश यदि प्रत्यक्ष करों की रिट याचिकाओं को देखा जाए तो उन की संख्या 10,000 से ऊपर ही बैठेगी ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

यह समझ नहीं आता कि सरकार आयकर अधिनियम की सब त्रुटियों को दूर करने वाला व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने में कितना समय लगाएगी जिससे कर अपवंचकों को कठोरता से दबाया जा सके। अधिनियम में इतना छोटा सा संशोधन पास करवा के सरकार इस समस्या का लेश मात्र भी हल नहीं कर सकेगी।

मैं वित्तमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए वह एक व्यापक संशोधनकारी विधेयक पेश करें। मैं आशा करता हूं कि सदन ऐसे विधान का निश्चय ही स्वागत करेगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कोई भी सरकार जो अपने नागरिकों के लिए ऐसा विधेयक पेश करती है, जिसमें नागरिकों से 100 प्रतिशत से भी अधिक कर अदा करने की आशा की गई हो, वह असंस्कृत और बर्बर है।

Shri Satpal Kapur (Patiala): The Supreme Court's judgement had changed the character of the wealth tax. This Bill has been brought forward to do away with that lacunas.

I would also request the Ministry of Finance to introduce a new amending Bill so that stay orders taken by big monopoly houses by filing petitions is High Courts and Supreme Court's could be vacated. A limit of Rs.10,000 or Rs.50,000 or one lakh of rupees should be fixed for stay orders, but stay orders must not be allowed to monopoly houses having tax arrears to the tune of crores of rupees. It takes many years to decide a case. I hope, the honourable Finance Minister would bring forward a comprehensive Bill.

Shri R. V. Bade (Khargone): I oppose this Bill on principle because the Supreme Court has ruled that wealth tax should be deducted for levying income tax.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री जे०माता गौडर (नीलगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से जो 9 अगस्त 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से, जो 9 अगस्त 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रति व्यक्ति आय के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION REGARDING PER CAPITA INCOME—CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रति व्यक्ति आय की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार से अनुरोध करने वाले श्री विभूति मिश्र के संकल्प पर आगे चर्चा होगी। श्री झारखण्डे राय 13 मिनट ले चुके हैं। अब उन्हें अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

43 L.S.S./72—12.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): There is wide gap between the incomes of low income group and high income group. Shri Ghanshyamdas Birla has 80 thousand acres of land, Mahanli Sugar Mills 2800 acres, Hindustan Sugar Mills 3300 acres of land, Maharaja of Patiala has 1500 acres of land and Maharani Gayatri Devi has gross farms of 4,000 acres of land. In U.P. there are three Farms of 5,000 acres of land, 12 farms between 1,000 acres to 5,000 acres, 250 farms between 500 to 1,000 acres and 1,000 forms between 100 to 500 acres. Shri Cariappa and Thimmaiya have 5,000 acres of farm each in Mysore. 15 to 20 crores of people, especially agricultural labour have only 12 paise to 25 paise income per day. Even the Government has stated that 2 crores of people have income of 20 paise per day, 4 crores of people only 25 paise per day and 6 crores of people only 32 paise per day. With this speed, it would take fifty years to raise the average income to one rupee per day. Sixty percent of the total wealth in rural area is owned by 13% people in rural section.

According to U.N. Survey, 45% people in India have only Rs.10 to 20 as their income, 30% people have Rs. 20 to 30 as their income and 24% people have their income between Rs. 30 to 50, whereas only one percent people have their income only Rs. 50/. On the other hand, the total capital of Birlas at the time of independence was not more than Rs.40 crores, which grew to 298 crores of rupees and later on to 375 crores of rupees. Now it has reached to 627 crores of rupees.

Now there are only two alternatives to bridge this gap *i.e.* either peaceful solution or violent revolution. I therefore, request that Shri Mishra's resolution should be accepted unanimously.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): The per capita income must increase and we should take steps to increase it. In reply to unstarred question No. 1523, the Minister of State in the Ministry of Planning had stated that without directly striking the problems of income distribution and unemployment, it would take 20 to 50 years to raise the level of the poorest people to the minimum consumption level. This shows the total failure of the Government's economic policies.

If the wide gap between the low income group and the rich is not removed, there would be a social revolution. Even after twenty five years of independence the grave problem of unemployment has not been solved. Not only educated or uneducated, but Graduates and the Postgraduates are finding it very difficult to get a job. Mere stogan shouting can not bring about socialism or abolish poverty, when quantum of per capita income has not been fixed so far. A period of five or ten years should be fixed to provide minimum consumption level to the people. With these words, I support the motion.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। परन्तु यह अच्छा होता अगर ऐसा संकल्प सरकार स्वयं अपनी ओर से प्रस्तुत करती। इस संकल्प पर सदन में ही नहीं, बल्कि सदन के बाहर भी चर्चा की जानी चाहिए। यह प्रस्ताव सरकार स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार में ऐसे व्यक्ति हैं, जो पूंजीपतियों, जमींदारों और शोषक वर्ग के समर्थक हैं। देश में गम्भीर सूखे की स्थिति के कारण लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। इसलिए सरकार की सभी नीतियों में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है।

ईमानदार कांग्रेसी केवल मूक दर्शक हैं और इस प्रकार के प्रस्ताव पेश कर रहे हैं परन्तु सरकार जमींदारों, पूंजीपतियों और शोषक वर्ग का ही समर्थन करती है।

सरकार को कांग्रेस के अपने सदस्यों की औचित्यपूर्ण मांग पर विचार करना चाहिए और इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए ।

***श्री ई०आर० कृष्णन (सेलम)** : मैं द्रमुक पार्टी की ओर से इस संकल्प का समर्थन करता हूं। कांग्रेस पार्टी के 25 वर्ष के शासन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि इसके एक सदस्य को न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करना पड़ा।

वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय 306 रु० थी। वर्ष 1969-70 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 329 रु० हो गई। अगर हम इन वर्षों के दौरान यह मानकर चलें कि मूल्य स्थिर रहे, तो प्रति व्यक्ति आय में केवल 23 रु० की ही वृद्धि हुई, परन्तु इन नौ वर्षों के दौरान कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब हम स्वाधीनता की रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय 90 पैसे भी नहीं है।

अगर 1960-61 को आधार वर्ष मान लें तो 1969 में थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 165 हो गया था। आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमत में तो कई गुनी वृद्धि हुई है। यह सोचा गया था कि सरकारी क्षेत्र के विकास से तीव्र आर्थिक विकास होगा और यही कारण है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 1996 करोड़, 4672 करोड़, 6300 करोड़, और 15902 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई थी। परन्तु इसके बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि योजना में पूंजी लगाने से देश के केवल 70 धनी परिवारों को ही लाभ पहुंचा है।

राष्ट्र संघ द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1967 के दौरान प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, पाकिस्तान और भारत में क्रमशः 3328 डालर, 1568 डालर, 1626 डालर, 746 डालर, 113 डालर और 75 डालर है। भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर न्यूनतम है। त्रुटिपूर्ण योजना के कारण देश का वांति विकास नहीं हो सका है।

देश के आम आदमी का जीवन यापन स्तर ऊंचा करने के लिए योजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना चाहिए। चार पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद भी देश भर में बेरोजगारी, अकाल, सूखा, भुखमरी और कुपोषण है।

द्रमुक सरकार ने योजना से निर्धन वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक विकेन्द्रीकरण का कार्यक्रम अपनाया है। केन्द्रीय सरकार को कथनी और करनी के बीच अन्तर करना चाहिए जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : यह एक निर्विवाद संकल्प है, परन्तु भारत जैसे विराट और विविधता वाले देश में इसका क्रियान्वयन बहुत कठिन है। संकल्प के उद्देश्य के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई शंका नहीं है, परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाये।

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

संविधान के निर्देशक सिद्धांतों और समाजवादी समाज के निर्माण की धारणा के अनुसार संसद और सरकार को न्यूनतम अवधि में जनता को न्यूनतम मौलिक आवश्यकतायें उपलब्ध करनी चाहिएं। राजनैतिक शक्तियां इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही हैं।

हम अपनी स्वाधीनता की रजत जयन्ती मना रहे हैं और सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने एवं वास्तविक समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए अपने आपको पुनः समर्पित करेंगे। सूखे और मंहगाई आदि की स्थिति के बारे में कल वित्त मंत्री स्वयं सरकार द्वारा उठाये जाने वाले उपायों का उल्लेख कर चुके हैं। कोई लक्ष्य निर्धारित करना और बात है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना दूसरी बात। आजादी के समय हम पिन तक का निर्माण नहीं कर सकते थे। आज विशाल उद्योगों की स्थापना की गई है और कृषि क्षेत्र में नई क्रांति हुई है। हमने बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और अतिरिक्त धन का उचित वितरण करके अन्तर को कम कर सकते हैं।

सोवियत संघ को अपना विकास करने में 40 वर्ष का समय लगा। हम में से अधिकांश व्यक्ति उस गरीब जनता द्वारा चुने गये हैं, जिनकी गरीबी हमारे लिए शर्म की बात है।

यह सरकार संसद और देश की समाजवादी ताकतों के सहयोग से बड़े उद्योगों की स्थापना करने और नियोजित विकास करने की नीति का अनुसरण कर रही है। लेकिन एक समस्या के बाद दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है।

बढ़े हुए खाद्यान्न उत्पादन के कारण अब हम पी०एल० 480 पर आश्रित नहीं हैं। यही कारण था कि हम बंगला देश संघर्ष के समय सातवें बेड़े की धमकियों से नहीं घबराये। किसी भी राष्ट्र का विकास और पुनर्निर्माण एक ऐसी समग्र समस्या है, जिसके लिए सभी प्रयास करने होंगे।

इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि देश में गरीबी है। हरित क्रांति के कारण आज हमारे पास 95 लाख टन खाद्यान्न का भण्डार है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इतना अनाज एक साल के लिए पर्याप्त है और फिर भी 15 लाख टन खाद्यान्न बच रहेगा। हरित क्रांति से असमानता, भूमिहीन श्रमिक और सम्पन्न किसानों की समस्या उत्पन्न हो गई है। समस्या का समाधान ढूंढने का हम प्रयास कर रहे हैं।

हमें 100 करोड़ रुपये खाद्यान्न पर राज सहायता के रूप में देने पड़े और कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के विरुद्ध हमें राज सहायता के रूप में राशि बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करनी होगी। बेरोजगारी के सम्बन्ध में द्रुत कार्यक्रम के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। अगर संकट-ग्रस्त आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्राथमिकताओं को नहीं बदला जाता, समाज के कमजोर वर्ग के पक्ष में आर्थिक समानता को नहीं लाया जा सकता।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको अधिक मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए। 15 वर्ष की योजना का 80 प्रतिशत लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा है, जून, 1972 में जीवन निर्वाह सूचांक 237.208 था। जैसे ही यह 238 तक पहुंच जायेगा, सरकार इस मामले को वेतन आयोग को सौंप देगी। इस पर निर्णय वेतन आयोग को ही लेना है। सूखे आदि के लिए सरकार पहले ही 100 करोड़ रुपये दे चुकी है, अन्तरिम सहायता के रूप में हमें और 100 करोड़ देने होंगे। इस प्रकार गांवों के लोगों को शहर के लोगों के समान लाने की समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न हो जायेगी।

आधुनिक समाज में पूरी तरह समानता लाना सम्भव नहीं है। यह ठीक है कि लोगों को मूल सुविधायें तथा न्यूनतम मजूरी देनी होगी। यह भी ठीक है कि हमें इसके साथ-साथ उत्पादन बढ़ाना होगा और कुछ फालतू भी पैदा करना होगा। हमें और उद्योग भी स्थापित करने होंगे। इसके लिए हमें और पूंजी लगानी होगी। पहले ही हम यह भारी उद्योग स्थापित कर चुके हैं। इस का एक उदाहरण रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की फैक्टरी है। समस्या केवल लोगों को इनके साथ सम्बन्धित करने की है। दूसरे हमें यह देखना है कि यह भारी उद्योग जो हमने स्थापित किये हैं किस प्रकार से काम करते हैं। हमें इस गरीबी की समस्या को समाप्त करने के लिए काम करना है। हमें इसके लिए भरसक प्रयास करने होंगे।

सरकार संकल्प के सिद्धांत से सहमत है परन्तु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The hon. Minister in his reply has stated that the capitalists are generally progmatic. From this reply it is clear that this has been prepared by the imperial minded bureauerats. It would have been quite different had this been the creation of his own mind. There is great disparity in the Soviet Union. It is true that incentive is provided there to the workers so that they may produce more.

It appears from the reply of the hon. Minister that per capita income in India during the Fifty Five year Plan will be Rs. 37/- now the question is that we are giving ten thousands rupees to our President. This is extent of disparity in our country. In my view there will not be enough money with the Government to invest in Fifth Plan. Unless we match more money from higher ups, it will not be possible to make the Plan a success. We have failed to follow the principle of austerity pronounced by Mahatma Gandhi. We have failed to bring the spirit of Socialism in the Government although we are talking so loudly about it.

Jefferson once said that there should be revolution in each country say after about ten to fifteen years. We have not seen any revolution in our country for many years. One revolution is needed to do away with the existing disparities.

The hon. Prime Minister has recently stated that Government's thinking of putting up ceiling on the individual income. In this connection I would say that salaries of all higher ups including that of the hon. President should be reduced. Government should put ceiling in all the sectors. But I would request that minimum need-based wages should be provided to the working class. People should be provided minimum living standard.

The hon. Minister has stated that Government agrees with the spirit of the resolution. I would request that he should implement it . The Minister should set examples before the people. There should be a ceiling on expenditur also. We should solve the problem of the educated unemployed. I am sorry to say that government have done nothing to solve the problem of poverty. A new class of rich people, ministers and high officials has come up. It all these things are allowed to continue, this I would say that resolution is round the corner and we will not be able to stop it.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप संकल्प के बारे में क्या कहना चाहते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : I withdraw it.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सभा की अनुमति से अपना संकल्प वापस ले सकते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां :

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The resolution was, by leaves withdrawn.

पश्चिम बंगाल के आर्थिक गतिरोध सम्बन्धी समस्याओं के बारे में संकल्प

RESOLUTIONS RE : PROBLEMS OF ECONOMIC STAGNATION OF WEST BENGAL.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा मांग करती है कि सरकार पश्चिम बंगाल की आर्थिक गतिरोध संबंधी अविलम्बीय समस्याओं के समाधान के लिए अपने वचनों और उत्तरदायित्यों को अविलम्ब तथा बिना शैथिल्य निभाये।"

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

अनेक अवसरों पर यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है। सरकार की ओर से कलकत्ता महानगर की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या बताया गया था। विभिन्न विभाग कार्यों तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए निधियों तथा संसाधनों के अखबारों में प्राथमिकता देने का वचन भी यहां पर सरकार की ओर से दिया गया था इस पृष्ठभूमि में ही मैंने यह प्रस्तुत किया है कि अब ऐसा लगता है कि भारी बहुमत प्राप्त करने के पश्चात् सरकार अब अपने वचनों से पीछे हट रही है।

फरक्का बांध की परियोजना केवल पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की भी है जो कलकत्ता पत्तन पर निर्भर करते हैं। कलकत्ता पत्तनको बचाने के लिए फरक्का परियोजना का पूरा किया जाना अत्यावश्यक है परन्तु लोगों के मन में अब इस परियोजना के भविष्य के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न होने लगा है। मुझे पता चला है कि केन्द्र तथा कुछ राज्य सरकारों के बीच इस मामले पर बातचीत चल रही है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के बारे में एक श्वेत पत्र तैयार किया था। परन्तु ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार के कहने पर उसे प्रकाशित नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने इस विषय पर हाल में एक संकल्प पास किया था जिसमें कहा गया था कि कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए पोषक नहर के जरिये फरक्का से 40,000 क्यूसेक पानी लाया जाना चाहिए। बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और आवश्यक 'पानी की आवाक मात्रा' के शब्द शामिल कर दिये गये। इसमें लोगों के मन में बहुत शंका उत्पन्न हो गई है। 1956 से लंका अब तक विशेषज्ञों द्वारा इस बारे में अनेक बार अध्ययन किये गये हैं कि हुगली की सफाई के लिए उसमें और कितनी मात्रा में पानी डालना होगा। रेडक्लिफ पंचाट में भी मुर्शिदाबाद जिले को जोकि मुस्लम बहुक्षेत्र है भारत को दिये जाने का यही कारण

था कि हुगली हैडवर्क्स भारत में आये । श्री दवेश मुकर्जी ने 1956 में यह दावा किया था कि हुगली में 40,000 से 46,000 क्युसेक पानी डाला जाना आवश्यक है। केवल जनवरी से मई के मध्य तक ही उक्त नदी में पानी की कमी होती है। इस बात का बाद में किये गये अध्ययनों में भी समर्थन किया गया है।

1957 में पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञ ने भी यही कहा था कि 40,000 क्युसेक पानी की आवश्यकता है। श्री ए० सी० मित्रा, जो फरक्का संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति के चेयरमैन थे, ने भी इस बात की पुष्टि की थी। और भी अनेक विशषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की है।

इस वर्ष 31 मई को अपने वक्तव्य में श्री राव ने कहा था कि जनवरी से मार्च के मध्य तक 20,000 क्युसेक पानी हुगली में डाला जायेगा और इसके पश्चात् 21 जून को इस में 20,000 से 40,000 क्युसेक पानी डाला जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा किसने किया है और किस के परामर्श से किया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे ।

इस बीच सरकार ने अनेक छोटी तथा मध्य सिंचाई परियोजनाचों को मंज़ूरी दी है। गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी आयोग को पानी के वितरण का अन्तर-राज्यीय समस्याओं को हल करने के लिए स्थापित किया गया था। इन योजनाओं से फरक्का में पूरा पानी नहीं पहुंच सकेगा। और इस प्रकार हुगली में 20,000 क्युसेक पानी डालना भी कठिन होगा। मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी परियोजनाएं बनाई जाएं उनको फरक्का बांध की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। अन्यथा फरक्का परियोजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लगभग 200 करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च किये जा चुके हैं। यदि हुगली में पूरा पानी नहीं डाला जाता तो कलकत्ता पत्तन को समाप्त होने से नहीं बचाया जा सकता।

बहुत से इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि जब तक तीस्ता नदी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के जल द्वारा गंगा के जल की वृद्धि न की जाये तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्याप्त मात्रा में भूजल निकालने की योजनाएं बनानी चाहिएं। परन्तु अब गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ने की योजना के स्थान पर गंगा को कावेरी से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है।

मैं अन्य राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को कम नहीं करना चाहता, परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि कलकत्ता बन्दरगाह के लिए कम से कम 40,000 क्युसेक पानी की आवश्यकता है। अन्य योजनाएं बनाए जाने से पूर्व इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह बात नहीं है कि केवल जल प्रदाय के बारे में ही मूल परियोजनाओं में परिवर्तन किए जा रहे हैं। भागीरथी नदी पर जो जलंगी बांध बनाया गया है उसमें जो 'लॉक' बनाया गया है वह मूल परियोजना में बनाए गए 'लाक' से अति छोटा है जिसके परिणामस्वरूप अब बंगला देश और उस देश के रास्ते आसाम के साथ जलपोत सेवा कभी भी आरंम्भ नहीं की जा सकती। इसी प्रकार कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। यह सारी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए कि ये परिवर्तन किस कारण से किए गए हैं और यह बताया जाना चाहिए कि कलकत्ता बन्दरगाह के लिए 40,000 क्युसेक जल को सुनिश्चित किया जायेगा. अथवा नहीं। यदि यह मात्रा सुनिश्चित नहीं की गई, तो कलकत्ता बन्दरगाह को भी नहीं बचाया जा सकेगा और न ही हुगली नदी में जलपोत चलाये जा सकेंगे ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1965 में अपनी 59वीं बैठक में यह प्रस्ताव किया था कि 24 परगना जिले में बोर्डर क्षेत्र में 4-5 तेल के समन्वेषी कुएं खोदे जाने चाहिएं। परन्तु

बाद में 4000 मीटर तक एक कुएं की खुदाई के पश्चात यह कार्य बंद कर दिया गया। इसका क्या कारण है? बाद में उस क्षेत्र में और किसी कुएं की खुदाई भी नहीं की गई।

वर्ष 1966 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की एक तकनीकी समिति ने मिदनापुर जिले के चैतन्य क्षेत्र में, 24 परगना जिले के बज बज और बारसात क्षेत्रों में खुदाई करने की सिफारिश की। परन्तु आज तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। क्या इन क्षेत्रों में तेल संरचनाएं प्रकट हुई हैं अथवा नहीं और यदि हुईं, तो ड्रिलिंग क्यों नहीं की जा रही? तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्य रूसी सलाहकार ने 1969 में विचार व्यक्त किए थे कि समूचे देश में से पश्चिम बंगाल में तेल मिलने की सब से अधिक संभावनाएं हैं। मालवीय समिति ने भी समन्वेषी ड्रिलिंग का सुझाव दिया है। परन्तु इस सब के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को उसके अनन्त संसाधनों से वंचित रखा जा रहा है। इसका क्या कारण है? यदि ये संसाधन उपलब्ध हो सकें, तो विकास रोजगार के अवसर जुटाने आदि के अनेक कार्य संभव हो सकते हैं। एक ओर रूई के मूल्य के आंकड़े जो वर्ष 1966 में 119 थे, 1972 में बढ़कर 223 हो गए हैं; परन्तु उसी अवधि में पटसन के आंकड़े 132 से बढ़कर 138 ही हुए हैं! पटसन पश्चिम बंगाल की मुख्य नकदी फसल है। सरकार ने काफी ढिलमिल नीति अपनाने के पश्चात् इसका समर्थन मूल्य कलकत्ता के लिए 40 रुपए नियत किया। यह मूल्य लाभप्रद नहीं है परन्तु फिर भी सरकारी तंत्र के अभाव के कारण यह न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू नहीं किया जा सका। अब सांविधिक न्यूनतम मूल्य की बात की जा रही है। यह विचार स्वागत योग्य है परन्तु इसके लिए जो मूल्य नियत किया जा रहा है, वह कलकत्ता में 42.50 रुपये के लगभग बैठता है। इस बात से आज सभी सहमत हैं कि प्रति मन उत्पादन लागत 50-55 रुपये बैठती है परन्तु फिर भी इससे कम मूल्य नियत किया जा रहा है! पटसन उत्पादकों को भारतीय पटसन मिल संघ तथा उनके एजेन्टों और दलालों की दया पर छोड़ा जा रहा है। पटसन की फसल पर सूखे का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। पटसन की अधिकतर फसल नष्ट हो गई है। पटसन की खरीद के लिए पटसन निगम की स्थापना की गई है परन्तु उस निगम में पश्चिम बंगाल सरकार को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अन्य सभी पटसन उत्पादक राज्यों को उस निगम के बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

इस निगम ने घोषणा की है कि इस वर्ष उत्तरी बिहार के केवल कूच बिहार पश्चिम दीनाजपुर तथा माल्दा जिलों से ही पटसन की तीन लाख गांठों का क्रय किया जायेगा। परन्तु जिस विषय पर पश्चिम बंगाल के 15 लाख परिवारों से संबंध हो वहां तीन लाख गांठों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था भारतीय पटसन मिल संघ और दलालों की दया पर नहीं छोड़नी चाहिए।

डमडम हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन का निर्माण किया गया है। परन्तु यातायात की कमी के कारण हवाई अड्डा मृतप्रायः हो रहा है। 1965 में 17 हवाई कम्पनियां इस अड्डे से सेवाएं चला रही थीं परन्तु अब केवल 8 कम्पनियों की सेवाएं वहां से चल रही हैं। इस स्थिति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को कैसे दोष दिया जा सकता है, जबकि हमारी अपनी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनी एयर इंडिया डमडम के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रही है। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि इस समय डमडम हवाई अड्डे से एयर इंडिया की कोई सेवा प्रारंभ नहीं होती और न ही वहां पर समाप्त होती है। इसी प्रकार उस अड्डे से कोई चार्टर सेवा अथवा मालवाहक सेवा नहीं प्रारंभ की गई। यह सब न समझ में आने

वाली बात है। अन्तर्राष्ट्रीय किराया ढांचा इस प्रकार का बनाया गया है कि इससे कलकत्ता को हानि होती है। बम्बई और दिल्ली से अन्तर्राष्ट्रीय टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट मिलती है जो कि कलकत्ता से उपलब्ध नहीं है। यदि एयर इंडिया राष्ट्रीय उपक्रम है, तो फिर इस भेदभाव का क्या कारण है। यहां तक कि वहां पर उपकरण लगाने में भी भेदभाव किया गया है। वहां पर लगाये गए उपकरणों के अनुसार जम्बो जहाज वहां पर उतर नहीं सकेंगे।

हाल्दिया बन्दरगाह के तलकर्षण का कार्य रुका हुआ है। जिसका कारण यह है कि पत्तन प्राधिकरण और ठेकेदार के बीच कुछ विवाद है? परन्तु क्या इस विवाद के कारण यह कार्य रुका ही रहेगा।

पश्चिम बंगाल में वर्षों से स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को वहां से हटाया जा रहा है। ब्रिटिश शासन काल से भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण का कार्यालय वहां पर स्थित है परन्तु अब इसके कुछ विभागों को इससे अलग करके कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है। योजना आयोग को एक 'पेनल' ने तथा सिंचाई आयोग ने सिफारिशें की कि यह कार्य भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा ही किए जाने चाहिए। इस कार्यालय के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त की गई एक तकनीकी समिति ने भी यही सिफारिश की थी। चौथी योजना में भी यह स्पष्टतया उल्लेख था कि यह कार्य न केवल इस संस्था द्वारा किए जाते रहने चाहिएं। अपितु इस संस्था द्वारा इनमें तीव्रता भी लानी चाहिए। परन्तु इस सबके विपरीत इन कार्यों को इस संस्था से लिया जा रहा है और इन विभागों को पश्चिम बंगाल से अन्यत्र ले जाया जा रहा है। इसी प्रकार, यह भी अफवाह है कि दामोदर घाटी निगम का भी विघटन किया जा रहा है और इसके मुख्यालय को कलकत्ता से अन्यत्र ले जाया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है?

पश्चिम बंगाल में बिजली की बहुत कमी है। यदि यह कमी बढ़ती रही, तो राज्य का विकास नहीं हो सकेगा। कराखानों के बन्द होने के कारण अभी ही लगभग 200,000 श्रमिकों की जबरन छुट्टी की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को छोड़ दिया है। अब तक के अनुमान के आधार पर 1979-80 तक 1.800 मेगावाट बिजली की कमी होगी।

केन्द्रीय सरकार ने बिजली की इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति में अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जो उन संस्थायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस कमी के लिए उत्तरदायी हैं। अतः ऐसी समिति से निष्पक्ष जांच की आशा किस प्रकार की जा सकती है। यह समिति तो केन्द्र की चाल है जिससे यह दिखाया जा सके कि इस समस्या के प्रति वह गंभीर है।

अंत में मुझे इतना ही कहना है कि चुनाव में कांग्रेस दल को अत्यधिक बहुमत प्राप्त होने अनेकों आश्वासनों एवं प्रतिज्ञाओं के पश्चात अब पश्चिम बंगाल के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अतः मैं इस बारे में केन्द्र को चेतावनी देता हूं कि यदि उसका व्यवहार इसी प्रकार का रहा, तो चक्र फिर घूमेगा और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक अशांति उत्पन्न होगी।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा मांग करती है कि सरकार पश्चिम बंगाल की आर्थिक गतिरोध संबंधी अविलम्बनीय समस्याओं के समाधान के लिए अपने वचनों और उत्तरदायित्वों को अविलम्ब तथा बिना शैथिल्य निभाए।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : प्रस्तुत संकल्प में पश्चिम बंगाल के आर्थिक गतिरोध और केन्द्रीय सरकार के वचनों और उत्तरदायित्वों की ओर निर्देश दिया गया है।

श्री सेझियान पीठासीन हुए

Shri Sezhiyan in the Chair

चर्चा में जो भी समस्याएं उठाई गई हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय सरकार को अपने वचनों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप इन्हें हल करना चाहिए।

जनता के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि केन्द्रीय सरकार ने चुनावों के समय जो आश्वासन दिए थे, उनके प्रति अब वह पर्याप्त गंभीर नहीं है। वह आश्वासन तो चुनाव के समय लोगों को प्रभावित करने मात्र के लिए ही थे।

पश्चिम बंगाल में आतंक का राज्य है और पिछले चुनाव भी वहां पर आतंक के दौरान ही हुए। चुनावों में संसदीय लोकतंत्र की हत्या की गई। चुनावों में धांधली के परिणामस्वरूप कांग्रेस शासनारूढ़ हुई और अब केन्द्रीय सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। इसी कारण लोगों के दिलों में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं।

संकल्प में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिरोध के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। परंतु यह तो राज्य की अर्थ-व्यवस्था की क्रमिक अवनति है। राज्य के सामने गंभीर संकट है। बेरोज़गारी, कारखानों का बंद किया जाना, जबरन छुट्टी तथा तालाबंदियां हो रही हैं। कांग्रेस सरकार लम्बे-लम्बे आश्वासन दे रही है। मुख्य मंत्री ने कहा है कि हल्दिया परियोजना में लगभग एक लाख बेरोज़गारों को काम मिलेगा। दूसरी ओर हल्दिया रेल सम्बन्ध के 500 रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। मार्च, अप्रैल और मई, 1972 के दौरान 29 कारखानों में तालाबंदियां हुईं, 36 कारखाने बंद हुए, जिसके परिणामस्वरूप 55,708 श्रमिक बेरोज़गार हुए। इस समय लगभग 500 कारखाने स्थायी एवं अस्थायी रूप से बन्द हो चुके हैं। इस आर्थिक संकट का कारण केन्द्रीय सरकार की नीतियां हैं। अतः बन्द हो चुके कारखानों को खुलवाने और उनमें काम करने वालों को फिर से काम दिलाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को ग्रहण करना चाहिए।

इसके साथ ही कानून और व्यवस्था की बात है। प्रतिदिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित होता है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। परंतु कानून और व्यवस्था के कारण कुछ कारखाने बन्द किए गए हैं। युवा कांग्रेस और छात्र परिषद् के नाम पर गुण्डागर्दी हो रही है। पुराने श्रमिकों को काम पर नहीं जाने दिया जाता और प्रबन्धकों को पुराने श्रमिकों के स्थान पर इन वर्गों के समर्थकों को नौकरी देने को बाध्य किया जा रहा है। फिर यह लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करते। इन समाज-विरोधी तत्वों द्वारा कुछ अधिकारियों तक को पीटा जाता है।

पश्चिम बंगाल में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन सबसे कम होता है। इसी प्रकार सिंचित भूमि की प्रतिशतता भी बहुत ही कम है। इसका परिणाम यह है कि कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। जब, तक इस स्थिति को नहीं बदला जाता और सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते तब तक पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन बढ़ाने की संभावना नहीं हो सकती।

बेरोज़गारों की संख्या लगभग 28 लाख है। पिछले एक वर्ष में लगभग 9 लाख लोगों ने अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाया है। इस प्रकार एक वर्ष में बेरोज़गारों में 41 प्रति वर्ष

हुई है। पुरूलिया ज़िले में रोज़गार दफ्तर में बहुत भीड़ रहती है। लोगों को यह आशा है कि वहां पर कुछ उद्योगों की स्थापना होगी और उन्हें काम मिलेगा।

पर्याप्त बिजली की कमी के कारण कई कोयला खानें बन्द हो रही हैं। झरिया-रानीगंज कोयला क्षेत्र में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन कोयला कोयला-खानों के मुहानों पर जमा हैं। कोयलाखानों के सामने संकट उपस्थित है। रोज़गारी की समस्या भी इस समस्या के साथ सम्बद्ध है। 22 कपड़ा मिलों में से सूती कपड़ा निगम ने 3-4 मिलों को ही अपने अधिकार में लिया है और शेष मिलें अभी बन्द हैं। अतः जब तक केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का पूरा उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करती, तब तक इस स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है।

Shri R. R. Sharma (Banda): There is no doubt about it that backbone of West Bengali's economy is broken. Business Community is fleeing the state since 1970. If the Government pays serious consideration towards solving the problems of this state, there is no doubt that at least some problems could be solved.

The whole country is facing the problem of unemployment but this problem is more acute in West Bengal. Government has made many promises to solve this problem but it has failed and this problem is becoming more serious every day, we have to be more honest about solving this problem otherwise it would assume serious proportion.

Problem of droughts and Floods is a very old problem in our country. Government did not take any constructive steps in this regard, with the result that situation is worsening every year.

There is a problem of Power shortage. It is there for the whole country. It is not peculiar to West Bengal alone. Backward areas of the country have become more backward due to shortage of power. Then there is a problem of rising prices. Common man has to face a lot of difficulties due to rise in prices. Government is not taking any action to relieve the common man. Government should be serious in solving the problems of West Bengal as well as the whole Country.

श्री बी० के० दास चौधरी: हमें इस बात के कारण जानने चाहिएं कि पश्चिम बंगाल की इस स्थिति के पीछे क्या बात है। यह बात सबको ज्ञात है कि काफी लम्बे समय से कलकत्ता उद्योग तथा व्यापार का प्रमुख केन्द्र रहा है। यह पूर्वी प्रदेश के विकसित नगरों में से एक था। परंतु आज इसकी स्थिति निरन्तर गिर रही है।

रोज़गार के लिए कृषि-क्षेत्र पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1951 में पश्चिम बंगाल में रोज़गार में लगे लोगों में से 50 प्रतिशत कृषि पर निर्भर रहते थे। 1961 में यह संख्या बढ़ कर 53.80 प्रतिशत हो गई। रोज़गार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या की प्रतिशतता 1971 में 57.50 हो गई। इस प्रकार रोज़गार के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर रहने वालों की संख्या की प्रतिशतता जो 1951 में 50 प्रतिशत थी, 1971 में 42.50 रह गई। परंतु महाराष्ट्र, तमिल नाडु और अन्य राज्यों में स्थिति इससे विपरीत है।

1951 में पश्चिम बंगाल में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों और शहरों की संख्या 6 थी, 1961 में यह संख्या बढ़ कर 11 हो गई परंतु 1971 में यह संख्या गिर कर 5 हो गई।

पश्चिम बंगाल की स्थिति जिन कारणों से बिगड़ी, उनमें आर्थिक मंदी और उद्योगों में गतिरोध आदि मुख्य कारण थे। पश्चिम बंगाल राज्य के युवकों में व्याप्त असंतोष से वहां विधि और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह सब केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हुआ है। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय ने वहां की सरकार को इस आशय का एक ज्ञापन दिया था कि पश्चिम बगाल का औद्योगिक दृष्टि से विकास किया जाना चाहिए क्योंकि इस कुछ लाभ प्राप्त है जैसे यहां एक बड़ा पत्तन है, एक हवाई अड्डा है और इसके समीप इस्पात-उत्पादक केन्द्र और कोयला बहुल क्षेत्र भी हैं। आज मंत्री महोदय इन सब बातों को पश्चिम बंगाल राज्य के विकास से असम्बद्ध क्यों देख रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन महत्वपूर्ण पत्तनों में से एक है। देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में इस पत्तन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा 38-40 प्रतिशत होती है। सम्पूर्ण फरक्का बांध-योजना कलकत्ता पत्तन की रक्षार्थ बनाई गई थी। अब मंत्री महोदय बताते हैं कि इससे पूरे वर्ष 40,000 क्यूसेक से अधिक पानी प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाएगा। यदि हमें कलकत्ता पत्तन को चालू स्थिति में रखना है, तो हुगली नदी में अधिक-से-अधिक पानी छोड़ा जाना चाहिए। यदि वर्षा ऋतु को छोड़ कर अन्य ऋतुओं में केवल 20 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो उसमें छोटे जलयान भी नहीं चलाए जा सकेंगे और कलकता पत्तन बिल्कुल बंद हो जाएगा। यदि कलकत्ता पत्तन की रक्षा नहीं की गई, तो न केवल पश्चिम बंगाल की जनता के सामने कठिनाई आएगी बल्कि उड़ीसा, बिहार और आसाम सहित सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार डमडम हवाई अड्डे के विकास के प्रति भी उदासीन है। मुझे मालूम नहीं इसका कारण क्या है।

जहां तक तेल-शोधक कारखानों की स्थापना का सम्बन्ध है, आरम्भ में विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया था कि तेलशोधक कारखाने ऐसे स्थान पर लगाए जाएं जो तेल-क्षेत्रों के समीप हों। यदि इस सिद्धांत के आधार पर तेलशोधक कारखाने लगाए जाते, तो उनमें से एक पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता पत्तन के समीप लगाया जाना चाहिए था किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। इसके विपरीत विशाखापत्तनम जैसे स्थान पर तेलशोधक कारखाना लगाया गया है। बरौनी तेलशोधक कारखाने को भी स्वीकृति दे दी गई है। अन्ततोगत्वा, पश्चिम बंगाल के नेताओं के प्रयास से केन्द्रीय सरकार ने हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना का निर्णय कर लिया है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विस्तार यथोचित रूप से नहीं हुआ। इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। वर्ष 1938 में कलकत्ता में रेडियो और इलेक्ट्रानिक मशीन की निर्माता फिलिप्स नामक कम्पनी स्थापित की गई थी। वर्ष 1948 में इसने रेडियो बनाने शुरू किए थे और उसकी क्षमता 12,000 रेडियो प्रतिवर्ष थी, बाद में उक्त कम्पनी ने सरकार से इसका विस्तार करने की अनुमति मांगी। सरकार ने अनुमति तो दे ी किन्तु कुछ शर्तों के साथ। सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में भी स्थिति ऐसी ही है। डा० बी० सी० राय ने केन्द्रीय सरकार से अनु ोध किया था कि पुरुलिया में एक सीमेंट का कारखाना लगाया जाए। किन्तु सरकार ने उनका अनुरोध नहीं माना।

सभापति महोदय : आप 17 मिनट ले चुके हैं। कृपा करके आप अगले अवसर पर अपना भाषण पूरा करना।

**स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के बारे में

RE. PENSION TO FREEDOM FIGHTERS

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे। श्री समर गुह आरम्भ करेंगे। मेरा अनुरोध है कि अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री समर गुह : (कन्टाई) : श्रीमान्, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और उन्हें मानदेय या पेंशन देने का निर्णय यद्यपि देर से लिया गया है, किन्तु उसका स्वागत न केवल स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बल्कि आम जनता द्वारा भी किया गया है। यह सर्वविदित है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और आज़ाद हिन्द फौज का स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक योगदान था। नेताजी ने 15 अगस्त, 1945 को सिंगापुर से यह भविष्यवाणी प्रसारित की थी कि युद्ध के पश्चात् भारत में एक क्रान्ति आएगी और भारत शीघ्र ही स्वतंत्र होगा। महात्मा गांधी ने भी उनके योगदान को स्वीकारते हुए कहा था कि आज़ाद हिन्द फौज के जादू से हम सब प्रभावित हुए हैं। डा० पट्टाभिसीतारामैया ने एक लेख में लिखा था कि इस समय आज़ाद हिन्द फौज के अधिकारी राष्ट्रीय नेताओं पर छाए हुए हैं। उस समय श्री एटली ने 'भारत स्वतंत्रता विधेयक' पेश करते हुए कहा था कि हम एक ज्वालामुखी की चोटी पर बैठे हैं। यह ज्वालामुखी नेताजी और उनकी आज़ाद हिन्द फौज द्वारा पैदा किया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश कमान्डर-इन-चीफ जनरल आकिनलेक ने एक पत्र ब्रिटिश सरकार को लिखा था। उसमें उन्होंने यह लिखा था कि आज़ाद हिन्द फौज के कार्यकलापों से देश में अराजकता फैलेगी और सैनिक क्रान्ति भी हो सकती है जिससे भारतीय सेना विघटित हो जाएगी। उनकी यह बात इस तथ्य पर आधारित थी कि 1946 में सेना के 7604 भारतीय अधिकारियों में से 7224 ने यह मत व्यक्त किया था कि आज़ाद हिन्द फौज के व्यक्ति देशभक्त हैं और उन्हें तत्काल छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं यह सब आपको केवल इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम आज़ाद हिन्द फौज के योगदान को भूल-से गए हैं। हमें यह जानकर शर्म आने लगती है कि जिन लोगों को ताम्रपत्र भेंट किया जा रहा है उनमें आजाद हिन्द फौज का एक भी अधिकारी नहीं है। मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि नेताजी ने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना भरी थी। उनसे प्रेरित लोगों में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी थे। उदाहरण के लिए मैं कर्नल एस० ए० मलिक, कर्नल हबीबुर्रहमान, मेजर आलवी, लेफ्टीनेन्ट रिज़वी, कर्नल सी० जे० स्ट्रेसी, कर्नल प्रीतम सिंह, कर्नल गुलज़ारा सिंह और सर्वश्री देवनाथ सिंह और आनन्द मोहन सहगल आदि के नाम ले सकता हूं।

सरकार ने उनमें से किसी को भी मुक्ति-योद्धा स्वीकार नहीं किया है। उनमें से कईयों को लाहौर अथवा दिल्ली जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। सरकार ने उनके बलिदान का मूल्यांकन नहीं किया है।

रायल इण्डियन नेवी के 90 में से 70 यूनिटों ने नेताजी के नाम पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उंचा किया था। उन्हें भी मुक्ति-योद्धा नहीं स्वीकार किया गया है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि आई० एन० ए० तथा आर० आई० एन० के इन मुक्ति-योद्धाओं को भी इनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इन मुक्ति-योद्धाओं के सम्बन्ध में रिकार्ड नष्ट हो गए हैं। उनके प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई उपाय सोचा जाए।

**आधे घन्टे की चर्चा।

Half-an-Hour Discussion.

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 75,000 आवेदन-पत्रों में से बीमार और बेरोज़गार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

अपने कई मुक्ति-योद्धाओं को कागज़ात नहीं मिल सके जिनको प्राप्त करने की वे चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए पेंशन आवेदन-पत्र लेना बंद अभी नहीं किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में उन व्यक्तियों की संख्या जो 15 से 25 वर्ष तक जेल में रहे 1,000 है, परन्तु केवल 90 व्यक्तियों का चयन किया गया है। उन सभी को ताम्रपत्र दिया जाना चाहिए।

मुक्ति-योद्धाओं को जो निमंत्रण-पत्र दिए गए हैं वह थानेदार के समन जैसा है। ऐसा पत्र लिखने वाले अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

स्वतन्त्र देश में मुक्ति-योद्धाओं को उचित सम्मान मिलना ही चाहिए।

श्री एस०सी० सामन्त : (तामलुक) : मैं सरकार द्वारा मुक्ति-योद्धाओं के लिए चालू की गई पेंशन योजना का स्वागत करता हूं। रिकार्ड के उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस और जेल अधिकारी प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ हैं। मिदनापुर में 1942 में जब राष्ट्रीय सरकार बनी थी, तो उसमें लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे, जिनमें से 5,000 व्यक्ति मर चुके हैं। शेष 5,0000 अभी भी जीवित हैं।

उन व्यक्तियों को जो 15 अगस्त तक चुन लिए जाते हैं, पेंशन मिलेगी और अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा। उनके आवेदनों को प्रमाणिक सिद्ध करने का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali): The persons who have lived in jails for more than 10 years are ignored, as was published in daily "Navjivan" of Goa. The "omission of the name of Mr. Santane Fernandes M.L.A. in the list of freedom fighters by the Government is an unpatriotic act."

The names of these freedom fighters who have became M.P's have been left out. why is it so? These names should also be included.

I wish that all freedom fighters who made sacrifices should be given due honour.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चितूर) मेरा सुझाव है कि जो सज़ा जुर्माना न देने के लिए दी गई थी उसे भी छह मास की निर्धारित अवधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस अवधि को दृढ़ता से नहीं लिया जाना चाहिए अपितु संबद्ध व्यक्तियों की परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बलिया में श्री चित्तु पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी थी पढरी में नाना पटेल ने सरकार का निर्माण किया था। श्री सरजू पांडे को 42 वर्ष का कारावास दिया गया था परन्तु बाद में उन्हें 5 वर्ष पश्चात् मुक्त कर दिया गया। संसद् सदस्य स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तो न दी जाए परन्तु उन्हें ताम्रपत्र तो अवश्य दिया जाना चाहिए।

इस रजत जयन्ती वर्ष में भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। माननीय मंत्री को मेरे सुझावों पर ध्यान देना चाहिए।

Shrimati Sahadrabai Rai (Sager): In Sager District various people raised the freedom flag during 1942. I also went to jail and was with Mahatmaji in connection with Hindu-Muslim riots in the struggle I lost my hand as well. The names of freedom fighter M.P's should be included in the list.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : पेन्शन योजना तथा ताम्रपत्र देने की योजना भिन्न-भिन्न हैं। यहां प्रश्न पेंशन योजना का है।

वास्तव में पैन्शन योजना का उद्देश्य सम्मान देना ही नहीं है। जब कि ताम्रपत्र योजना का उद्देश्य केवल सम्मान देना है।

जो संसद्-सदस्य अथवा मंत्री अथवा मुख्य मंत्री उसके पात्र हैं, उन्हें ताम्रपत्र दिए जाएंगे। परन्तु जिन 1100-1200 व्यक्तियों को हमने 15 अगस्त को निमंत्रित किया है उनमें हमने पदाधिकारियों को सम्मिलित नहीं किया है।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य व्यक्तियों को इस सम्मान से वंचित रखा जाएगा। उन सबके नामों पर, जो इस योग्य हैं, विचार किया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक राज्यों में कार्यक्रम के अनुसार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी ताम्रपत्र दिए जाएंगे।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : क्या उन लोगों को भी ताम्रपत्र दिए जाएंगे जिन्हें अपनी सम्पत्ति अथवा नौकरियों से हाथ धोना पड़ा ?

श्री कृष्ण चन्द पंत : मैं इस योजना को समाचार-पत्रों आदि द्वारा काफी स्पष्ट कर चुका हूँ। ऐसे सभी व्यक्तियों को ताम्रपत्र मिलेंगे। हम छः महीने से अधिक भूमिगत रहने वाले लोगों अथवा इस अवधि से अधिक नज़रबन्द रहने वाले लोगों के मामलों पर भी विचार कर रहे हैं। 15 अगस्त को लगभग 1,000 से 1,200 तक लोगों को दिल्ली में ताम्रपत्र दिए जाएंगे और अन्य को वर्ष के शेष भाग में राज्यों में दिए जाएंगे।

हमने राज्य सरकारों को सूचियां तैयार करने के लिए कहा था, जिन पर हमने विचार किया है। हमने संसद्-सदस्यों तथा अन्य लोगों के सुझावों का भी पूरा ध्यान रखा है और उन लोगों के नाम सूची में शामिल किए हैं, जो पहले रह गए थे। लेकिन हर नाम शामिल करना सम्भव नहीं है। कई प्रांतों में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत संख्या में लोगों ने भाग लिया। उनके त्याग और सेवा से ही हमें स्वतंत्रता मिली है। हमने ताम्रपत्र प्रदान करने के लिए हर राज्य से नाम चुनने की ओर ध्यान दिया है। हमने शर्तों में यथा आवश्यक छूट देकर नेफा और नागालैंड से भी नाम चुनने के प्रयत्न किए हैं ताकि सारा देश ताम्र-पत्र वितरण में भागीदार हो सके। यह सच है कि ताम्रपत्र देकर हम उनका सम्मान कर रहे हैं।

पेंशन की योजना भिन्न है। उन सब लोगों को पेंशन मिलेगी जो इसके पात्र हैं। कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं, इसकी परिभाषा सावधानी से की गई है। 15 अगस्त से पहले अथवा बाद में पेंशन के लिए प्रार्थना-पत्र देने वालों को 15 अगस्त से ही पेंशन दी जाएगी।

आज़ाद हिन्द फौज तथा नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया उससे हम सब परिचित हैं। आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को भी यदि वे शर्तें पूरी करते हैं, तो पेंशन दी जाएगी। अतः उन्हें स्वतंत्रता सेनानी न मानने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

आज़ाद हिन्द फौज के लोगों के बारे में हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास उनकी 6 महीने से अधिक जेल-यात्रा सम्बन्धी कोई रिकार्ड नहीं है। सारा रिकार्ड नष्ट किया जा चुका है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : रक्षा मंत्रालय में आज़ाद हिन्द फौज की बहुत फाइलें पड़ी हैं।

श्री कृष्ण चन्द पंत : हम आपके सब सुझावों पर विचार करेंगे । जिन लोगों के हमें साक्ष्य या प्रमाण मिलेंगे उन्हें निश्चित रूप से पेंशन मिलेगी । आप हमें ठोस सुझाव दें ताकि हम आज़ाद हिन्द फौज के लोगों के मामलों पर विचार कर सकें । यदि यह सिद्ध हो जाए कि कुछ लोग ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ते-लड़ते युद्ध में मारे गए तो हम उनकी विधवाओं अथवा निकट सम्बन्धियों को भी पेंशन देने पर, इस योजना के अनुसार, विचार करेंगे ।

प्रमाणपत्रों के बारे में हमने जेल रिकार्ड की बात कही थी लेकिन जेल का रिकार्ड प्राप्त करना आसान काम नहीं था । अतः हमने उन विधान सभाओं के भूतपूर्व सदस्यों तथा संसद्-सदस्यों, जो जेल में रहे, के प्रमाणपत्र लेना उचित समझा । हमने 7,500 प्रार्थनापत्र प्राप्त किए हैं । जो पहले प्राप्त हुए उन पर पहले विचार किया जाएगा । यदि हम वृद्धावस्था या दरिद्रता के आधार पर विचार करें तो इन पर निर्णय करने के लिए बहुत समय लग जाएगा ।

श्री सामन्त ने कुछ बातें कही हैं । इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और हम इनसे प्रेरणा लेते हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रार्थनापत्र हमने प्राप्त किए, उनमें से बहुत कम अस्वीकृत किए गए हैं ।

श्री एस०सी० सामन्त (तामलुक) : आपने आय तथा आश्रितों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शपथ-पत्र की बात कही थी । क्या संसद्-सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य द्वारा सिफारिश करने पर भी शपथ-पत्र देने की आवश्यकता होगी ?

श्री कृष्ण चन्द पंत : ऐसा प्रमाण-पत्र वही संसद् व विधान सभा सदस्य दे सकता है जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ जेल गया हो अथवा उसका निकट सम्बन्धी हो । आय के लिए शपथ-पत्र ही एकमात्र आधार हो सकता है । जेल रिकार्ड के बारे में हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि ज़िला अधिकारियों को कहा जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों के मांगने पर जेल रिकार्ड दिलाने में सहायता प्रदान करे ।

आश्रित की मूल सूची में हमने स्वतंत्रता सेनानियों के पिता तथा विधुर भी शामिल कर लिए हैं । इन आश्रितों को भी योजना के अनुसार पेंशन मिलेगी ।

तत्पश्चात लोक-सभा सोमवार, 14 अगस्त, 1972/23 श्रावण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 14, 1972 Sravana 20, 1894 (Saka)

MGIPRRND—Sec-III (Day)—43 LSS/72—22-12-72—490